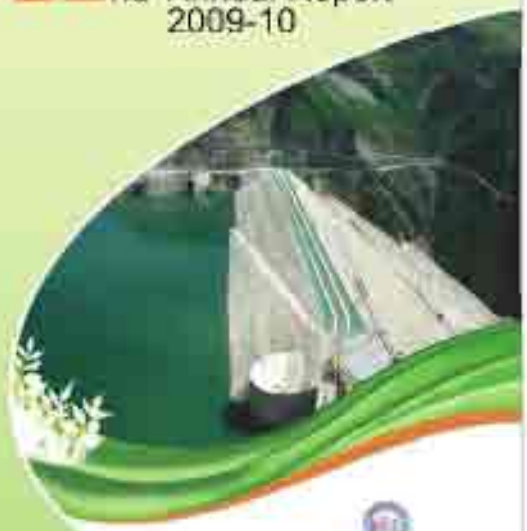

22वीं वार्षिक रिपोर्ट
22nd Annual Report 2009-10

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

विषय सूची
Contents

[illegible]

सूचना

सूचित किया जाता है कि **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड** के सदस्यों की **22वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 31.08.2010 को सायं 5:00 बजे भगीरथी भवन, भगीरथी पुरम, टॉप टेरिस, टिहरी (टिहरी गढ़वाल)– 249001 (उत्तराखंड) (दूरभाषः 01376–236391)** में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन किया जाएगा :

साधारण कार्य निष्पादन

1. 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कॉरपोरेशन की लेखापरीक्षक रिपोर्ट एवं निदेशकों की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे को प्राप्त करना, विचार करना तथा पारित करना।
2. 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के शुल्क का निर्धारण करना।
3. वर्ष 2009–2010 के लिए अंतरिम लाभांश की पुष्टि करना एवं अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

विशेष कार्य निष्पादन

4. संस्था के बहिर्नियम में संशोधन अनुमोदित करना।
5. संस्था के अन्तर्नियम में संशोधन अनुमोदित करना।
6. प्रदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित राशि के अतिरिक्त बोर्ड की ऋण लेने की शक्ति को अनुमोदित करना।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

सेवा में :

- टीएचडीसी के सभी सदस्यगण
- टीएचडीसी के सभी निदेशक
- सांविधिक लेखापरीक्षक, मैसर्स एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, डी–36, बेसमेंट, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110014

स्थान : **ऋषिकेश**
दिनांक : **21.08.2010**

पंजीकृत कार्यालय

भगीरथ भवन (टॉप टैरिस), भगीरथीपुरम,
टिहरी गढ़वाल – 249001 (उत्तराखण्ड)

अन्य कार्यालय

ऋषिकेश
प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201 (उत्तराखण्ड)

एन सी आर
प्लाट नं.–20, सेक्टर–14, कौशाम्बी, गाज़ियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश)

देहरादून
26, ई. सी. रोड, देहरादून – 248001 (उत्तराखण्ड)

लखनऊ
101, राज अपार्टमेंट, 7 जॉपलिंग रोड, लखनऊ – 226001 (उत्तर प्रदेश)

मुम्बई
ट्रांज़िट कैम्प–फ्लैट नं. 101–102, गुरू महिमा हाइट्स,
प्लाट नं. 12, सैक्टर–14, सनपाड़ा, नवी मुम्बई–400705

चंडीगढ़
प्रथम तल, एससीओ–27, सैक्टर–11, पंचकुला–134112 (हरियाणा)

भूटान
एच–2/33, ब्लॉक नं. 5, शिमालखा कॉलोनी, पो.–सिमाशम, चुखा, भूटान

कम्पनी सचिव

एस. क्यू. अहमद

सांविधिक लेखा-परीक्षक

मैसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
डी–36, बेसमेंट, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110014

बैंकर

पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

(यह रिपोर्ट 31.08.2010 को कॉरपोरेशन की 22वी वार्षिक आम सभा में पारित की गई)

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

निदेशक मंडल

31.08.2010 के अनुसार

श्री आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री गुरदयाल सिंह
अध्यक्ष, के.विं.प्रा.
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री ए.के. बजाज
अध्यक्ष, के.ज.आ.
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री सुधीर कुमार
संयुक्त सचिव (जल विद्युत),
विद्युत मंत्रालय
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री किशन सिंह अटोरिया
प्रधान सचिव (सिंचाई), उ.प्र. शासन
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री नवनीत कुमार सहगल
अध्यक्ष, उ.प्र.पॉ.कॉ.लि.
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री ए.एस. बिष्ट
निदेशक (कार्मिक)

श्री सी.पी. सिंह
निदेशक (वित्त)

श्री डी.वी. सिंह
निदेशक (तकनीकी)

डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया
पूर्व मुख्य सचिव, जम्मू एवं कश्मीर
स्वतंत्र निदेशक

प्रो.(डॉ.) एस.सी. सक्सेना
निदेशक, आई.आई.टी., रुड़की
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. के. एप्रामेयन
पूर्व अ. एवं म.नि. बी.ई.एन.एल
स्वतंत्र निदेशक

हमारी अभिदृष्टि

- विद्युत क्षेत्र में एक बड़ी विश्वस्तरीय भूमिका, पर्यावरणीय, परिस्थितिकीय तथा सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ गुणवत्तापूर्ण, समर्थपूर्ण तथा धारणीय विद्युत उपलब्ध कराना।
- व्यवसायिकीकरण तथा उत्कृष्टता की उपलब्धि के द्वारा विकास की कार्य संस्कृति सृजित करना।

हमारा मिशन

- कमीशनिंग की अवधारणा से जल विद्युत तथा अन्य ऊर्जा संसाधनों की योजना बनाना, उन्नतीकरण करना, विकास करना तथा पर्यावरण एवं परिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखते हुए बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को प्राप्त करने के लिए विद्युत स्टेशनों का परिचालन करना, जिससे राष्ट्रीय समृद्धता में वृद्धि हो सके।
- मानवीय दृष्टि से परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन सहित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को स्वीकार करना।
- गत्यात्मक परिवर्तित व्यापारिक परिवेश चुनौतियों का सामना करना तथा वैश्विक बेंचमार्क निर्धारित करना।
- पारस्परिक लाभ एवं उन्नति के लिए अंशधारकों से धारणीय और मूल्य आधारित संबंध बनाना।
- संगठनात्मक ज्ञान एवं आपसी विश्वास के परिवेश में समर्पित कार्यबल को प्रोत्साहित करते हुए उत्कृष्ट निष्पादन प्राप्त करना।

श्री आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष का अभिभाषण

देवियों और सज्जनो,

मैं कंपनी की 22वीं वार्षिक आम सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं।

वर्ष 2009–10 की लेखा परीक्षकों एवं निदेशकों की रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखा परीक्षित खाते आपके समक्ष हैं तथा मैं मान लेता हूं कि आपने इसे पढ़ लिया है।

देवियो और सज्जनो, विद्युत विकास करने वाले के रूप में मैं आप सबका ध्यान वृद्धि बनाम पर्यावरणीय संरक्षण के प्रतिमान की ओर आकर्षित करता हूं। पर्यावरणवादियों को भय है कि आर्थिक विकास के नाम पर प्रकृति में अनियंत्रित हस्तक्षेप से पारिस्थितिकीय आपदा आ जाएगी। दूसरी ओर विशाल जनसंख्या की उर्ध्वगामी आवश्यक जरूरतों को भी पूरा किया जाना आवश्यक है। इसलिए आज की जरूरत है ऐसा टिकाऊ विकास जिसमें पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक न्याय और आर्थिक उन्नति शामिल हो।

जैसा कि आप जानते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले 30 वर्षों में ऊर्जा की मांग में 3.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। अब हम ऐसे बिन्दु पर पहुंच गए हैं जहां लक्षित 9 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद को बनाए रखने के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता में कम से कम 7 प्रतिशत की वृद्धि की जानी अपेक्षित है। जून, 2010 में भारत की विद्युत उत्पादन क्षमता 1,62,366 मेगावाट रही जबकि प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत लगभग 700 केडब्ल्यूएच रही। वर्तमान में 1000 केडब्ल्यूएच की प्रति व्यक्ति खपत के तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने को विश्व मानकों के अनुसार साधारण ही माना जा सकता है।

जीवाश्म ईंधनों की सीमित उपलब्धता तथा सम्बद्ध पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए ऊर्जा के विकल्प सीमित हैं। नाभिकीय सेक्टर में भी तकनीकी और राजनीतिक सीमाएं हैं। ऊर्जा और सौर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत बहुत कम हैं। जल विद्युत विकास की गुंजाइश पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित है और पर्यावरणीय चिंताओं से ग्रस्त है।

विडंबना यह है कि जब हम भारत में जल विद्युत परियोजनाओं पर बहस कर रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश चीन, नदियों की धारा मोड़ने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है। हमारे देश में नदियां राज्य सूची में शामिल हैं और अन्तर–राज्य विवादों को सुलझाने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है।

जल प्रबंधन के संबंध में समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना जरूरी है क्योंकि सभ्यता को बनाए रखने के लिए जल बहुमूल्य है।

आपकी कंपनी की विष्णुगाड पीपलकोटि जल विद्युत परियोजना (444 मेगावाट) भी पर्यावरणीय/पारिस्थितिकीय चिंताओं पर चल रही बहस से बुरी तरह प्रभावित हुई है। विश्व बैंक की टीम परियोजना की तैयारी से संतुष्ट थी क्योंकि इसमें परियोजना से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय और सामाजिक पहलू शामिल थे जो अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाते थे। विश्व बैंक के साथ दीर्घकालिक चर्चा पर विचार किया जा रहा है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने परियोजना के लिए जंगली जमीन को

माननीय केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे की उपस्थिति में भूटान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के आदान-प्रदान के बाद हाथ मिलाते हुए

अलग करने के संबंध में निर्णय लेने से पूर्व आईआईटी, रूड़की और वन्य जीव संस्थान, देहरादून के माध्यम से कुछ अतिरिक्त अध्ययन कराने का निश्चय किया है।

देवियों और सज्जनो, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि टिहरी जल विद्युत परियोजना प्रारंभ होने के समय से ही लगातार अच्छे निष्पादन को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने आपकी कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी-I स्तर प्रदान किया है तथा इसका स्तर बढ़ा कर अनुसूची 'ए' कर दिया है।

आपकी कंपनी के एमओयू निष्पादन दर में सुधार हुआ है और यह 2008-2009 में "बहुत अच्छा" हो गया। एमओयू लक्ष्यों के लगभग सभी गतिशील प्रगत वर्ष 2009-10 में उत्कृष्ट श्रेणी में संपन्न किए गए।

आई कोल्ड द्वारा 'इंटरमेशनल साइल स्टोन प्रोजेक्ट' नामक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार टिहरी बांध परियोजना को प्रदान किया गया।

मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्त वर्ष 2009-10 में अच्छी बारिश न होने के बावजूद आपकी कंपनी ने पेय जल उपलब्ध कराने तथा सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने की अपनी वचनबद्धता पूरी की। इसके साथ ही साथ, लाखों यात्रियों के लिए कुंभ स्नान आरामदेह बनाया।

देवियों और सज्जनो, भविष्य में आपकी कंपनी को कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी होगी क्योंकि हमारा मुकाबला संसाधनयुक्त निजी कॉरपोरेटरों से होगा। सरकारी संगठन होने के नाते आपकी कंपनी सरकारी लिखत पर लागू होने वाली प्रक्रिया संबंधी सीमाओं में बंधी हुई है फिर भी इससे निजी क्षेत्र के समकक्ष परिणाम की अपेक्षा की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में कदाचार और पूर्वाग्रह के आरोपों से बचने के लिए पर्याप्त समय और ऊर्जा लगानी होगी। इस संदर्भ में कॉरपोरेट सुशासन के संबंध में डीपीई दिशानिर्देश स्वागत योग्य कदम है। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी कंपनी ने उसे अपना लिया है।

अब यह व्यापक तौर से स्वीकार किया जाता है कि किसी व्यापार में प्रतिस्पर्धा और वृद्धि सुनिश्चित करने में टिकाऊपन मुख्य रणनीति होती है। पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक सुव्यवस्था की दृष्टि से आपकी कंपनी ने पर्यावरण से जुड़ी पहले कर, मेजबान समुदायों से अच्छे संबंध बनाकर और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में रुचि लेकर टिकाऊपन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। आपकी कंपनी कार्मिकों में व्यावसायिक क्षमता के निर्माण के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता को स्वीकार करती है ताकि इसके व्यापार को बनाए रखा जा सके।

देवियों और सज्जनो, जैसा कि मैंने पिछले वर्ष वादा किया था, आपकी कंपनी ने वर्ष 2008-09 के लिए प्रथम टिकाऊपन रिपोर्ट तैयार कर ली है जो वैश्विक रिपोर्टिंग पहलों (जीआरआई) से मेल खाती है। स्टेकहोल्डरों के साथ कारगर संचार के लिए प्रत्येक वर्ष टिकाऊपन

31 अगस्त, 2010 को आयोजित तृतीय वार्षिक आम बैठक की झलकियां

रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। दीर्घकालिक व्यापार के लिए इष्टतम जोखिम प्रबंधन एक दूसरी पूर्वापेक्षा है। आपके बोर्ड ने जोखिम प्रबंधन मैनुअल को अनुमोदित कर दिया है जिसमें संभावित जोखिमों की व्यवस्थित किया गया है तथा विभिन्न प्रकार के जोखिमों के प्रबंधन के लिए रणनीतियां और उसके लिए जिम्मेदारियों का विस्तृत वर्णन किया गया है।

अब यह तथ्य सुस्थापित हो चुका है कि कॉरपोरेट, सामाजिक जिम्मेदारी, व्यापारिक पारिस्थिति और माहौल दीर्घकालिकता का महत्वपूर्ण अंग है। कंपनी द्वारा प्रायोजित 'सेवा' (सोसायटी फॉर एप्लायरमेन्ट एण्ड वेलफेयर एक्टिविटीज) नामक गैर सरकारी संगठन (कानपुर) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है जो आपकी कंपनी के व्यापार के प्रचालन क्षेत्र में लक्षित समुदायों की टिकाऊ आजीविका, समग्र विकास और कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगा।

वर्ष 2009-10 के दौरान लक्षित समुदायों के लाभ के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसरण में अवसंरचना के विकास, शिक्षा, रोजगारपरक संभावनाएं तथा स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने, पर 50 मिलियन रुपये खर्च किए गए हैं। आगामी वर्ष में आपकी कंपनी अपने लाभ का 2% तक अल्पपगल बजट बढ़ाकर इस दिशा में अपने प्रयास बढ़ाएगी।

देवियों और सज्जनो, आपकी कंपनी की मुख्य ताकत 2250 लोगों की अति प्रतिबद्ध जनशक्ति की टीम है। उनकी प्रतिबद्धता, ऊर्जा और उत्साह आपकी कंपनी की सफलता के आधार हैं।

मैं बोर्ड के सभी सदस्यों, सीईए, सीडब्लूसी, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, महाराष्ट्र सरकार, भूटान की शाही सरकार तथा सभी सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों और वित्तीय संस्थाओं, ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त सहायता और सहयोग के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

मैं धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं।

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 31.08.2010
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट - 2010

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लेखा–परीक्षित वार्षिक लेखों तथा सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कम्पनी की **22वीं** वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:

₹ मिलियन में

वर्ष	2009–10	2008–09
आय		
विद्युत बिक्री	14167.03	10649.99
अन्य आय (आंतरिक रूप से उपभोग की गई विद्युत सहित)	72.03	44.29
कुल आय (क)	**14239.06**	**10694.28**
व्यय		
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ	791.95	903.47
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य खर्चे	863.75	658.66
ब्याज एवं वित्त प्रभार	4183.91	3818.96
मूल्यह्रास	3458.33	1614.63
प्रावधान	22.10	0.67
पूर्वावधि समायोजन	12.39	25.36
कुल व्यय (ख)	**9332.46**	**7021.75**
कर पूर्व लाभ (क)–(ख)	**4906.60**	**3672.53**
कर	107.10	420.47
कर पश्चात लाभ	4799.51	3252.06
जोड़ें : पिछले वर्ष के आधिक्य शेष को अग्रनीत किया गया	5375.38	3269.87
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष	**10174.89**	**6521.93**
विनियोजन :		
लाभांश		
अंतरिम	600.00	700.00
अंतिम प्रस्तावित	850.00	280.00
लाभांश पर कर		
अंतरिम	101.97	118.96
अंतिम प्रस्तावित	144.46	47.59
तुलन–पत्र में ले जाया गया शेष	**8478.46**	**5375.38**

वित्तीय निष्पादन

वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान आपकी कंपनी की कुल आय 14239.06 मिलियन रुपये (गत वर्ष 10694.28 मिलियन रुपये) रही। आपको सहर्ष सूचना दी जाती है कि 2009–10 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा 4799.51 मिलियन रुपये शुद्ध लाभ (गत वर्ष 3252.06 मिलियन रुपये) अर्जित करने की सूचना मिली। आपकी कंपनी द्वारा चालू वर्ष 2009–10 के दौरान प्रति शेयर अर्जन 145.55 रुपये (गत वर्ष 98.98 रुपये) रहा।

1000 मे. वा. टिहरी परियोजना के भूमिगत विद्युत गृह का दृश्य

कंपनी ने 2009–10 में हर शेयर पीछे 18.19 रुपये का अंतरिम लाभांश दिया था। इसके अलावा, आपके निदेशकों ने वर्ष 2009–10 के दौरान 25.78 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार हर इक्विटी शेयर के पीछे वर्ष के लिए कुल लाभांश 43.97 रुपये बैठता है। वर्ष के दौरान लाभांश में कुल 1450.00 मिलियन रुपये खर्च होंगे, जो चुकता शेयर पूंजी के 4.40% और कर पश्चात लाभ के 30.21% के बराबर बैठता है। अंतिम लाभांश का भुगतान वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।

टिहरी जलाशय का दृश्य

मिनी रत्न और अनुसूची 'ए' कंपनी का दर्जा

मुझे यह सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि अक्तूबर, 2009 में आपकी कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है जिससे कंपनी को और अधिक वित्तीय तथा प्रचालनात्मक स्वायत्तता मिलेगी। इतना ही नहीं जुलाई, 2010 में आपकी कंपनी का स्तर बढ़ा कर अनुसूची 'ए' कर दिया गया है।

परिचालन निष्पादन

वर्ष 2009–10 के दौरान टिहरी विद्युत गृह (4 x 250 मेगावाट) की चारों यूनिटों काम करती रहीं और 2116.79 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया जबकि लक्ष्य 2850 मिलियन यूनिट (गत वर्ष 3164.23 मिलियन यूनिट) का था। उत्पादन में कमी का कारण वर्ष के दौरान बारिश का न होना है। हालांकि अनुमत्य रिजर्वायर का अधिकतम स्तर प्राप्त कर लिया गया है तथा गैर–मानसूनी अवधि में सिंचाई तथा पेय जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी छोड़ा गया। कुंभ मेला को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा जाना सुनिश्चित किया गया है। संयंत्र में 83.98% का "प्लांट अवेलिबिलिटी फैक्टर" (पीएएफ) का लक्ष्य प्राप्त किया गया जबकि सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, 2009 के अनुसार टिहरी एचपीपी के लिए निर्धारित नारमेटिव एनुअल प्लांट अवेलिबिलिटी फैक्टर का लक्ष्य 77% था। संयंत्र के उपयोग को मापने के लिए "प्लांट अवेलिबिलिटी" का प्रचालन 2009–14 की अवधि के लिए लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, 2009 के अनुसार लागू किए गए हैं।

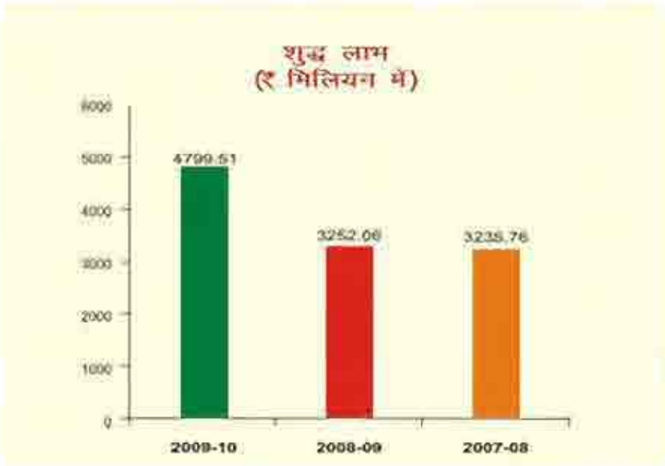

वाणिज्यिक निष्पादन

वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान ₹ 10044.50 मिलियन के बिल के स्थान पर लाभग्राहियों से बिजली की बिक्री के लिए ₹ 10044.50 मिलियन राजस्व की वसूली की गई है जो सीईआरसी द्वारा अधिसूचित अनंतिम प्रशुल्क पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने मौजूद अनशेड्यूल्ड इंटरचेंज तंत्र के तहत अनशेड्यूल्ड इंटरचेंज (यूआई) प्रभारों के कारण 148.40 मिलियन राजस्व का अर्जन किया है तथा यूआई प्रभारों के बिलों के भुगतान के कारण 2.19 मिलियन राजस्व का अर्जन किया है।

वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान "रिबेट स्कीम 2009–10" के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुए। लाभग्राही शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित हुए जिसके परिणामस्वरूप 100% राजस्व वसूली हुई। इसलिए वर्ष 2010–11 में भी यही योजना लागू की गई है।

वर्ष 2009–10 के दौरान कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (400 मेगावाट) के लिए बिजली खरीद करार पर इंजीनियरी विभाग, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

परियोजना निर्माण में प्रगति

कोटेश्वर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (400 मेगावाट)

वर्ष के दौरान परियोजना के सिविल कार्य के सभी मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है और परियोजना ऐसे स्तर तक पहुंच गई है कि इसकी प्रथम यूनिट चालू की जा सकती है। जून, 10 में बांध के सभी ब्लाकों और विद्युत अन्तर्ग्रहण क्षमता पूरी की जा चुकी है। पावर हाउस के सिविल कार्य भी पूरे होने वाले हैं। हाइड्रो–मैकेनिकल उपस्कर और गेटों के उत्थापन का कार्य अक्तूबर, 10 तक पूरा हो जाने की आशा है। पहली यूनिट के टर्बाइन और जनरेटर इन पिट की असेम्बली का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा बॉक्सिंग अप गतिविधियां प्रगति पर हैं। पावरहाउस के सभी तलों पर पहली यूनिट की एयूक्सीलरी तथा स्टेशन एयूक्सीलरी का उत्थापन प्रगति पर है तथा इसे अक्तूबर–10 तक पूरा कर लेने की योजना बनाई गई है। अन्य इकाइयों में इलेक्ट्रो– मेकैनिकल कार्य प्रगति पर हैं। स्विचयार्ड में इलेक्ट्रो–मेकैनिकल उपकरण का उत्थापन लगभग पूरा हो चुका है तथा स्विचयार्ड की प्रारंभण–पूर्व गतिविधियां प्रगति पर हैं। आपके निदेशकों को आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि परियोजना की पहली इकाई के दिसंबर, 10 तक प्रारंभ हो जाने की संभावना है, दूसरी इकाई के मार्च, 11 तक और शेष दो इकाइयों के सितंबर, 11 तक प्रारंभ हो जाने की संभावना है।

टिहरी बाँध एवं जलाशय का दृश्य

टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट)

टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (1000 मेगावाट) के प्रमुख निर्माण कार्यों को एक ही ईपीसी ठेके के जरिए पूरा कराने की योजना बनाई गई है। ईपीसी ठेके के लिए वैश्विक बोलियां अगस्त, 2007 में आमंत्रित की गई थीं। चयन–पूर्व प्रक्रिया अप्रैल, 2008 में पूरी की थी। संशोधित लागत अनुमानों के लिए निवेश अनुमोदन न मिलने तथा बोलीदाताओं द्वारा शुरू की गई मुकदमेबाजी के कारण ईपीसी ठेके देने को लंबित रखा गया था।

विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी (444 मेगावाट)

यह परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अगस्त, 2008 में भारत सरकार से निवेश अनुमोदन प्राप्त किया गया था। निजी भूमि (18.641 हेक्टेअर) को अधिग्रहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 80.507 हेक्टेअर भूमि के परिवर्तन (डायवर्जन) के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है। परियोजना के लिए विश्व बैंक से निधियां प्राप्त की जानी हैं। विश्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रापण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

श्री एच.सी. ब्रह्म, सचिव (ऊर्जा), भारत सरकार श्री आर.एस.टी. शाई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से विद्युत मंत्रालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद हाथ मिलाते हुए

अन्वेषण के अधीन परियोजनाएं

उत्तर प्रदेश राज्य में

उत्तर प्रदेश सरकार ने डीपीआर का अद्यतन करने तथा बाद में कार्यान्वयन के लिए आपकी कंपनी को ढुकवा लघु जल विद्युत परियोजना (24 मेगावाट)का काम सौंपा है। वर्ष के दौरान, डीपीआर के लिए आवश्यक सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य पूरे कर लिए गए हैं और परियोजना की अद्यतन की गई डीपीआर जून, 10 में उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। परियोजना निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक वन भूमि के डायवर्जन के लिए आवेदन–पत्र तथा उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाली अपेक्षित भूमि के अंतरण के लिए भी आवेदन–पत्र जून,10 में उत्तर प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इस परियोजना के 2013–14 तक पूरा हो जाने की आशा है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

उत्तराखंड राज्य में

उत्तराखंड राज्य के साथ कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर करने के बाद आपकी कंपनी ने छह परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम शुरू कर दिया है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने झेलम–तमक एचईपी (128 मेगावाट) और मलेरी–झेलम एचईपी (114 मेगावाट) की वाणिज्यिक साध्यता भेज दी है। भारत सरकार ने झेलम–तमक एचईपी और मलेरी–झेलम एचईपी के चरण–II की गतिविधियां शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। झेलम–तमक एचईपी के डीपीआर की तैयारी का काम पूरा होने वाला है। मलेरी–झेलम एचईपी के सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य प्रगति पर है। इसी बीच, इन दोनों परियोजनाओं के सामाजिक पक्षों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसके लिए जिला प्रशासन के कर्मचारियों की मौजूदगी में विभिन्न ग्राम पंचायतों के साथ त्रिपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा इन करारों के तहत विभिन्न सीएसआर गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं ताकि परियोजनाओं का निर्बाध कार्यान्वयन किया जा सके।

बिराही गंगा नदी पर गोहाना ताल एचईपी (50 मेगावाट) की साध्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस परियोजना में संबंधित आगे का कार्य उत्तराखंड सरकार द्वारा रोक कर रखा गया है क्योंकि उसी क्षेत्र में कुछ लघु विद्युत परियोजनाओं को आबंटित किया गया था। मामले को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कोटेश्वर एचईपी (400 मेगा.) में बांध के कार्य का एक दृश्य

कोटेश्वर एचईपी (400 मेगा.) में टरबाइन यूनिट की असेम्बली

बोकांग बेलिंग (330 मेगावाट) करमोली (140 मेगावाट) और जडगंगा (50 मेगावाट) संरक्षित वन्य–जीव क्षेत्रों में पड़ती हैं। इसके लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में अंतवर्ती आवेदन देकर वन भूमि को अनारक्षित करने के लिए आवेदन दिया है। एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति की बैठक हो चुकी है और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ड्रिलिंग और ड्रिफ्टिंग किए बिना सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्यों को शुरू करने को अनुमोदन प्रदान किया है। चूंकि ड्रिलिंग और ड्रिफ्टिंग के बिना डीपीआर से जुड़े अन्वेषण कार्य पूरे नहीं किए जा सके इसलिए यह मामला ड्रिलिंग और ड्रिफ्टिंग की अनुमति प्रदान करने के लिए संस्तुति को अग्रेषित करने हेतु मुख्य वन्य जीव वार्डन के समक्ष उठाया गया है। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

महाराष्ट्र राज्य में

महाराष्ट्र सरकार ने दो पंप स्टोरेज स्कीमों अर्थात मालसेज घाट पीएसएस (600 मेगावाट) और हुम्बर्ली पीएसएस (400 मेगावाट) के टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के संयुक्त उपक्रम को डीपीआर अद्यतन करने के लिए अप्रैल, 08 में सौंपी थी। आपके निदेशकों को आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि मालशेज घाट पीएसएस के डीपीआर के अद्यतन करने का कार्य जुलाई, 10 में पूरा कर लिया गया है जिससे 700 मेगावाट की उच्च क्षमता की परिकल्पना की गई है। कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर करने के लिए यह मामला मंत्री समूह के समक्ष उठाया जा रहा है। हुम्बर्ली पीएसएस के अन्वेषण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

भूटान में परियोजनाओं का विकास

जल विद्युत विकास क्षेत्र में भारत-भूटान सहयोग के अंतर्गत भारत-सरकार ने भूटान की दो परियोजनाएं नामत: संकोश बहुद्देश्यीय परियोजना (4060 मेगावाट) और बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) की डीपीआर अद्यतन करने के लिए आपकी कंपनी को सौंपी है।

आपकी कंपनी ने अप्रैल, 09 में विद्युत मंत्रालय को रॉक फिल मुख्य बांध के विकल्प को ध्यान में रखते हुए संकोश एचईपी की अद्यतित डीपीआर प्रस्तुत कर दिया है। सीडब्लूसी ने सुझाव दिया कि सेडीमेंट को बेहतर तरीके से संभालने तथा बांध की अवधि को लंबा बनाने को ध्यान में रख कर कंक्रीट बांध के निर्माण की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। कंक्रीट बांध की साध्यता का अध्ययन किया जा रहा है। सेडीमेंटेशन अध्ययन भी पूरा कर लिया गया है।

मार्च, 10 में बुनाखा एचईपी के संबंध में अनुमति प्राप्त करने के बाद आपकी कंपनी ने डीपीआर की तैयारी का काम शुरू कर दिया है। डीपीआर में संशोधन के लिए जून, 10 में टीएचडीसी और आरजीओबी के मध्य करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। यदि डीपीआर तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पायी गयी तो यह परियोजना जेवी मोड़ में कार्यान्वित की जाएगी।

आपकी कंपनी ने भूटान परियोजना के क्षेत्र में कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए फुन्त्सोलिंग में एक पूर्णकालिक कार्यालय भी खोला है, बुनाखा एचईपी के लिए एक कार्यालय चूखा में पहले से मौजूद है।

सिक्स कोर कम्पीटन्सीज कार्यक्रम के प्रतिभागी निदेशक कार्मिक के साथ

अनुसंधान और विकास

पवन ऊर्जा कार्यक्रम

टिहरी रिजर्वायर के आस-पास पवन संसाधनों की उपलब्धता के विश्लेषण के लिए कोटी में एक पवन मस्तूल स्थापित किया गया है। पवन संसाधनों के संबंध में एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर उन राज्यों में पवन फार्म स्थापित करने की संभावना का पता लगाने के लिए अध्ययन किया जाएगा जहां पवन ऊर्जा की प्रबल संभावना है। सर्वप्रथम निवेशक के रूप में और तत्पश्चात विकासक के रूप में इस क्षेत्र में प्रवेश करना समझदारी की बात समझी गयी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में विंड मस्तूल लगाया जा रहा है ताकि विंड पैटर्न को समझा जा सके तथा बाद में टर्बाइन स्थापित की जा सके। आपके बोर्ड ने प्रारंभिक अन्वेषण करने के लिए 50 लाख रुपये के प्रावधान को अनुमोदित किया है।

इनहैंसिंग बेसिक कम्पीटन्सीज कार्यक्रम के उपरान्त प्रतिभागी वर्कशॉप के साथ

क्षमता निर्माण तथा संस्थात्मक सुदृढ़ीकरण (सीबीआईएस)

विश्व बैंक ने यूपीएचईपी के लिए ऋण के प्रस्ताव के साथ-साथ क्षमता निर्माण तथा संस्थात्मक सुदृढ़ीकरण (सीबीआईएस) के लिए 10 एम0 अमेरिकी डालर का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित ऋण का उपयोग मुख्य रूप से परामर्शी सेवाओं मानव संसाधन विकास पहलों, कौशल संबंधी विभिन्न अंतरालों तथा हार्डवेयर और साफ्टवेयर आदि सुविधाओं के सृजन/वृद्धि के लिए किया जाएगा। टीएचडीसी आईएल द्वारा तैयार किए गए अवधारणा नोट के आधार पर विश्व बैंक के साथ सीबीआईएस की रूपरेखा पर विचार-विमर्श कर तैयार किया गया है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

प्रबंधन प्रणालियों का प्रमाणन (आईएसओ 9001 : 2008)

ऋषिकेश स्थित कॉरपोरेट कार्यालय में "जल विद्युत परियोजना/जल विद्युत संयंत्रों को डिजाइन संविदा एवं संबंधित टेक्नो-कामर्शियल" सपोर्ट देने की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को 9001 : 2008 का प्रमाण-पत्र दिया गया है। यह प्रमाणन मेसर्स क्यूएमएस सर्टीफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया है, जिसे आस्ट्रेलिया के जेएएस-एएनजेड द्वारा मान्यता दी गई है।

आईएसओ 9001 : 2008 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) को कार्यान्वित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

परियोजना का वित्तपोषण

वित्तीय संस्थाओं/बैंकों आदि से वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने के प्रयोजन से हाल ही में आपकी कंपनी ने क्रेडिट रेटिंग करवाई। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि क्रेडिट रेटिंग संस्था मेसर्स केयर ने टिहरी पीएसपी के लिए 1500 करोड़ के ऋण उगाहने के लिए टीएचडीसीआईएल को 'एए' की दूसरी सबसे बड़ी रेटिंग प्रदान की है।

मानव संसाधन प्रबंधन

इस समय आपकी कंपनी की जनशक्ति 2260 है जिसमें 753 कार्यपालक, 201 पर्यवेक्षक तथा 1306 कामगार है।

कार्मिकों के कौशल और क्षमता के स्तर में सुधार लाने के लिए 6270 कार्यदिवसों का प्रशिक्षण दिया गया। एमओयू में 435 कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया था परंतु 2642 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। विद्युत प्रबंधन संस्थान, नौएडा में 32 कार्यपालक प्रशिक्षुओं को 22 सप्ताह का विशेषज्ञतायुक्त प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष के दौरान निगम के मानव संसाधन विकास संस्थान को स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दिया गया और निर्माण कार्य शुरू किया गया। संस्थान के लिए लगभग 18 एकड़ भूमि प्रदान की गई है। मानव संसाधन विकास संस्थान इस प्रकार तैयार करना है कि प्रशिक्षण और शिक्षण अंतःक्षेपों के लिए आवश्यक सभी बुनियाद सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

कुल मिलाकर, इस अवधि के दौरान कर्मचारियों/कार्यपालक प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और शिक्षण अवसर उपलब्ध कराने पर 3.49 करोड़ रुपये का निवेश किया गया।

अ.जा./अ.ज.जा. और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए पहल

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पिछली रिक्तियों को भरने हेतु आपकी कंपनी ने खुले विज्ञापन के जरिए दो विशेष भर्ती अभियान शुरू किए हैं। चौदह उम्मीदवार (6 अ.जा., 2 अ.ज.जा. और 6 अ.पि.व.) ने विभिन्न श्रेणियों में आपकी कंपनी के

हिन्दी कार्यशाला में वैसे प्रतिभागियों का एक दृश्य

वर्ग 'ए' सेवा में शामिल हुए हैं। गत वर्ष के समान इस वर्ष भी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई ताकि उन्हें सरकारी नीतियों, सांविधिक प्रावधानों तथा सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों की जानकारी दी जा सके। सतत प्रयास के कारण एक भूखंड की पहचान कर उस पर राज्य सरकार से कब्जा प्राप्त कर लिया गया है ताकि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के भाग के रूप में नए टिहरी शहर में अ.जा./अ.ज.जा. छात्रावास का निर्माण किया जा सके।

छात्रावास की आधारशिला रखी जा चुकी है तथा निर्माण गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। आपकी कंपनी ने टिहरी गढ़वाल के चांपडा गांव को गोद लिया है जहां अनुसूचित जाति के एक सौ से अधिक परिवार रहते हैं। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विभिन्न सामुदायिक विकास गतिविधियां शुरू की गई है।

कर्मचारी संबंध

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखा। सतत और संरचनागत संप्रेषण बैठकों ने दृढ़ बंधन और पारस्परिक विश्वास के लिए पथ प्रशस्त किया। खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों से कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहन मिला और पारस्परिक विश्वास सुदृढ़ हुआ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया गया है और अधिनियम में दिए गए अनुसार सूचना चाहने वाले उचित व्यक्तियों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं।

पानी छोड़ने के बाद शुरू स्पिलवे टिहरी का एक दृश्य

राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार दैनंदिन सरकारी कार्य में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किए गए हैं।

कॉरपोरेट कार्यालय तथा परियोजना/यूनिट कार्यालयों ने नियमित बैठकों और निरीक्षणों के माध्यम से वर्ष भर राजभाषा के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए वर्ष के दौरान कॉरपोरेट कार्यालय में तथा अधीनस्थ परियोजनाओं/यूनिटों और जन संपर्क कार्यालयों में 14 कार्यशालायें आयोजित की गईं। कॉरपोरेट कार्यालय तथा इसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों में 14 सितम्बर से 29 सितम्बर 2009 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें टिप्पण और प्रारूपण, हिन्दी निबंध, हिन्दी प्रश्नोत्तरी, अनुवाद, वाद-विवाद, काव्य पाठ, टाइपिंग आदि अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

कॉरपोरेट कार्यालय में तथा अन्य यूनिटों/कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रत्येक तिमाही में तिमाही बैठकें भी आयोजित की गई हैं। राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए हिन्दी अनुभाग से समन्वय करने के लिए विभिन्न विभागों में हिन्दी नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं। अपने अपने विभागों में राजभाषा के प्रयोग की प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए नोडल अधिकारियों तथा उनके विभागाध्यक्षों के साथ नियमित तौर पर बैठकें आयोजित की गईं। निगम के कर्मचारियों ने भारत सरकार के मंत्रालय / राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित बैठकों/कार्यक्रमों में भाग लिया।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी "कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व-सामुदायिक विकास (सीएसआर-सीडी) योजना" के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है।

इस स्कीम के अंतर्गत मुख्य रूप से न केवल प्रचालन केन्द्रों के आस-पड़ोस के इलाकों में बल्कि आपकी कंपनी के व्यापार के प्रमुख प्रचालन क्षेत्र में 'सामाजिक विकास' का काम शुरू किया जाता है।

आपकी कंपनी ने अनेक प्रकार की सामाजिक-आर्थिक पहलों को समर्थन देकर प्रचालन क्षेत्रों में सुविधा वंचित समुदायों के लिए सकारात्मक योगदान देने का प्रयास जारी रखा। हमारा मुख्य बल स्वच्छ पेय जल, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर विशेष बल सहित स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल पर था।

श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव (हाईड्रो) भारत सरकार टिहरी परियोजना के दौरे पर

सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए कर पूर्व शुद्ध लाभ का 2% अव्यपगत बजट उपलब्ध कराया जा रहा है आपकी कंपनी ने नए डीपीई दिशानिर्देश, 2010 के अनुसार सीएसआर-सीडी स्कीम में संशोधन कर दिया है जो अनिवार्य है सीएसआर गतिविधियों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक-1** पर दी गई है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

पुनर्वास और पुनर्स्थापन

आपकी कंपनी ने टिहरी एचईपी के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बारे में एक नया प्रतिमान कायम किया है। आर एंड आर पैकेज का उद्देश्य विस्थापित लोगों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान करना है। अतिरिक्त सुधार उपाय जैसे सड़क सम्पर्क, पुनर्स्थापन स्थान पर सार्वजनिक सुविधाएं जुटाना और अलग-थलग पड़े इलाकों के लिए केबल कार और फेरीबोट जैसी सुविधाएं शुरू की गयी हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार परियोजना प्रभावित लोगों के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की गई है। यह दावों को स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से निपटाने में बहुत कारगर साबित हुआ है।

सेवा-टीएचडीसी द्वारा आयोजित विश्व वानिकी दिवस 2010 पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम की झलक

डोबरा गांव के समीप भागीरथी नदी पर एक भारी मोटर वाहन पुल निर्मित किया जा रहा है जिसका विस्तार 440 मीटर है ताकि जिला मुख्यालय अर्थात एनटीटी से कटे क्षेत्रों के साथ जुड़ाव बढ़ाया जा सके। इसकी कुल 129 करोड़ रुपये की संशोधित लागत में राज्य सरकार और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड / भारत सरकार 50 : 50 के अनुपात में निधियां वहन करेंगी।

आपकी कंपनी ने हैदराबाद के भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज (एएससीआई) के जरिए एक अध्ययन करवाया है जिसमें पुनर्वास के बाद लाभार्थी परिवारों की आर्थिक सामाजिक स्थिति की अन्य लोगों के साथ तुलना की गई है। एएससीआई ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला है कि बहुउद्देश्यीय टिहरी बांध परियोजना को पूरा करना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है।

आपकी कंपनी ने आगामी परियोजनाओं के लिए एक पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति तैयार की है जिसे संबद्ध स्टेकहोल्डरों और एनआरआरपी-2007 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस नीति में परियोजना प्रभावित परिवारों की जमीन, मकान और जीविका के अन्य साधन छिन जाने से उत्पन्न मुद्दों का ध्यान रखा गया है। नीति में इस बात पर खासतौर पर जोर दिया गया है कि परियोजना प्रभावित परिवारों की आर्थिक प्रगति हो और उनकी जीविका पर आंच न आए।

विश्व वानिकी दिवस 2010 पर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते हुए स्कूल के बच्चे

पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति तैयार करते समय एनआरपीपी – 2007 के सभी प्रावधान ध्यान में रखे गए हैं और कुछ प्रावधानों में सुधार भी किया गया है। आरएपी कार्यान्वयन के मध्यावधि और उसके अंत में तृतीय पक्ष के द्वारा मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए एक बाहरी परामर्शी एजेंसी नियुक्त की जा रही है। पीएएफ और पास-पड़ोस के लोगों के सामुदायिक कल्याण के लिए खर्च को पूरा करने के लिए आर एंड आर शीर्ष के तहत परियोजना लागत अनुमान में परियोजना लागत के 0.5% का प्रावधान रखा गया है।

पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी पर्यावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। टिहरी एचपीपी परियोजना को बीएसआई, जेडएसआई, गीरी जैसी विशेषज्ञ संस्थाओं ने अपने अध्ययन के आधार पर सभी संभावित पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने का सफल उदाहरण बताया है। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भारत सरकार द्वारा गठित हनुमंत राव समिति की सिफारिश को भी समाविष्ट किया गया है।

आपकी कंपनी ने अलकनंदा, भागीरथी और शारदा घाटियों में अन्य जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन का काम शुरू किया है। इनका पर्यावरण पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव का मूल्यांकन करने और उनसे होने वाली हानि को कम करने के लिए व्यापक अध्ययन किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी पर्यावरण के क्षेत्र में अपनी जल विद्युत परियोजनाओं में उच्च तकनीकी मानकों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा अत्याधुनिक विकास कला के अनुसार अतिरिक्त अध्ययन किए जा रहे हैं। विष्णुगाड पीपलकोटि जल विद्युत परियोजना के लिए निम्नलिखित अध्ययन किए जा रहे हैं:

- मत्स्य अध्ययन और डाउनस्ट्रीम नदी प्रवाह का निर्धारण
- स्थलीय जैव-विविधता का अध्ययन।
- समग्र पर्यावरण निर्धारण एवं प्रबंधन रिपोर्ट।
- सामाजिक निर्धारण अध्ययन।

आवाह क्षेत्र के उपचार तथा वीपीएचईपी के पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए तृतीय पक्ष मानीटरिंग का प्रस्ताव है।

नई टिहरी में राजी/एसटी हॉस्टल का शिलान्यास करते हुए स्थानीय माननीय सांसद श्री विजय बहुगुणा

इसके अलावा हिमालयी जल विद्युत परियोजनाओं में टरबाइन क्षरण के खराब अनुभव की दृष्टि से तलछट से निपटने के कारगर उपाय निर्धारित करने के लिए विस्तृत अध्ययन किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी ने वीपीएचईपी के तल पर एक लघु विद्युत गृह स्थापित करने की योजना बनाई है इसके जरिए अनिवार्य न्यूनतम जल प्रवाह निकाला जाएगा। नदी में जल स्तर बनाए रखने के लिए बांध के डाउनस्ट्रीम में एक जोड़ा वियर्स निर्मित करने की योजना है।

आपकी कंपनी अपनी आगामी जल विद्युत परियोजनाओं में स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) शामिल करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रही है।

आपकी कंपनी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए आर्द्र भूमि दिवस, वानिकी, पर्यावरण दिवस आदि मनाती है।

आपकी कंपनी ने 'टिहरी एचपीपी चरण-I पीएसपी और वीपीएचईपी' के लिए आईएसओ 14001-2004 प्रमाणन (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) प्राप्त करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

सतर्कता

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग का बल पद्धतियों और प्रणालियों में सुधार लाकर पारदर्शिता में सुधार लाने तथा भारत सरकार और केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर था।

कंपनी में ई-टेंडरिंग और ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली का अनुसरण और कार्यान्वयन कर निवारक सतर्कता को उच्च प्राथमिकता दी गई।

सतर्कता विभाग की गतिविधियों की मुख्य सतर्कता अधिकारी ने नियमित रूप से और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने समय-समय पर समीक्षा की। जांच और छानबीन के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने जो समय सीमा तय की है, उसका कुल मिलाकर पालन किया गया। सतर्कता कार्य को सुदृढ़ करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा नियमित रूप से और अचानक भी तकनीकी जांच और निरीक्षण किए गए। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य तकनीकी जांचकर्ता द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की गहन जांच की रिपोर्टों पर प्राथमिकता के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश पैरों का समाधान किया गया।

कॉरपोरेशन में 3 नवम्बर से 7 नवम्बर, 2009 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2009 मनाया गया। इस अवसर पर सतर्कता विभाग ने ई-गवर्नेंस, सार्वजनिक हित के प्रकटीकरण और सूचना देने वाले की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) और नैतिकता विषय पर एक पुस्तिका का प्रकाशन किया। मध्यवर्ती स्तर के कार्यपालकों के लिए सतर्कता जागरूकता पर दो दिवसीय कार्यशाला एचआरडी, केन्द्र ऋषिकेश में आयोजित की गई।

सतर्कता विभाग के प्रयासों के कारण कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों और अन्य क्षेत्रों में 4.14 करोड़ रुपये की बचत की।

केन्द्रीय संचार

आपकी कंपनी को इस बात का पूरा एहसास है कि स्टेकहोल्डरों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखने और कंपनी की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना पाने की जरूरत है।

केन्द्रीय संचार विभाग कंपनी की "ब्रांड इमेज" में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ताकि आपकी कंपनी के वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा दिया जा सके।

केन्द्रीय संचार विभाग द्वारा अप्रैल, 2010 में 'छवि निर्माण' पर एक वार्ता आयोजित की गई। आपकी कंपनी ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आईआईटीएफ - 2009 में भाग लिया। पारस्परिक समझ और विश्वास विकसित करने के लिए मीडिया तथा अन्य स्टेक होल्डरों के साथ नियमित सम्पर्क बनाया गया है। स्थानीय तथा राष्ट्रीय मीडिया में आपकी कंपनी की दृश्यता बढ़ी है।

श्री आर.एस.टी. साई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, लड़की बधिर विद्यालय के दौरे के अवसर पर स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुए

कॉरपोरेट सुशासन और लेखा परीक्षा समिति

कंपनी की सुशासन विचारधारा

कॉरपोरेट सुशासन के संबंध में आपकी कंपनी की विचारधारा का आधार निष्पक्ष, नैतिकता पूर्ण और पारदर्शी सुशासन व्यवहारों की समृद्ध परम्परा है। आमतौर पर कॉरपोरेट सुशासन से तात्पर्य ऐसी प्रणालियों से है जिनसे संगठन निर्देशित और नियंत्रित होते हैं तथा उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसमें कंपनी के लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पक्षकारों (स्टेक होल्डरों) के बीच अच्छे संबंध आते हैं। प्रमुख भूमिका निभानेवालों में शेयर धारक, प्रबंधन, निदेशक मंडल, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, बैंक, अन्य देनदार, विनियामक तथा बड़ी संख्या में समुदाय तथा पर्यावरण शामिल हैं। कॉरपोरेट सुशासन में नैतिक व्यापारिक आचरण और पारदर्शिता शामिल होते हैं। इसे नियंत्रण और संतुलन तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यपालकों में निहित फैसला करने के अधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ हो और साथ शेयरधारकों की महत्वाकांक्षाएं और सामाजिक अपेक्षाएं भी पूरी हों।

अधिकारों के प्रत्यायोजन के बारे में एक पारदर्शी दस्तावेज जारी किया जा चुका है ताकि विभिन्न स्तर के कार्यपालकों का सशक्तीकरण हो और वे विकेन्द्रीकृत बहु परियोजना संदर्भ में जल्दी फैसले ले सकें। साथ ही निर्माण कार्यों के लिए सप्लाई और खरीद नीति भी फिर से बनाई गयी है जिसमें सरकार के ताजा दिशा-निर्देशों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा, किफायत और जिम्मेदारी बढ़ाना है। इसी की तर्ज पर निर्माण ठेकों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश भी तैयार किए जाएंगे।

श्री आर.एस.टी. साई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, लड़की बधिर विद्यालय के छात्रों से मिलते हुए

यद्यपि आपकी कम्पनी सूचीबद्ध नहीं है और लिस्टिंग एग्रीमेंट का खण्ड 49 इस पर लागू नहीं होता फिर भी कंपनी ने कंपनी अधिनियम/लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार यथापेक्षित कॉरपोरेट सुशासन व्यवहार अपनाने की कोशिश की है।

आपकी कंपनी की कॉरपोरेट सुशासन विचारधारा तीन गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता अपनाने के साथ और सुदृढ़ हुई है। डीपीई ने उत्तम कारपोरेट सुशासन के संबंध में सभी सरकारी कंपनियों के, मार्च, 2011 में दिशानिर्देश जारी किए हैं और ये दिशानिर्देश अनिवार्य हैं। नई नीति के अनुसार व्यापार की दीर्घकालिकता कारपोरेट सुशासन का प्रमुख अंग है। इसे आगे बढ़ाते हुए आपके बोर्ड ने पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया है तथा जोखिम प्रबंधन मैनुअल को अनुमोदित कर दिया है, साथ ही वैश्विक रिपोर्ट पहल के अनुसार वार्षिक दीर्घकालिकता रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। वर्ष 2008-09 की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

कॉरपोरेट सुशासन पर एक विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक-II** इसके साथ संलग्न है। इसमें लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और बोर्ड स्तर की अन्य समितियों के कार्यों और कार्य क्षेत्र का विवरण के रूप में दिया गया है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

आज की कुछ सुविधाओं के साथ सज्जित न्यू टिहरी टाउन का दृश्य

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अनुसार आपके निदेशकों का कथन है कि:

- वार्षिक खाते तैयार करने के सिलसिले में सभी लागू लेखाकरण मानक अपनाए गए है और जहा भी इनसे विचलन है वहा समुचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।
- कंपनी ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रुप से इस्तेमाल किया है, निर्णय किया है एवं अनुमान लगाए हैं जो युक्तियुक्त और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2010 की कॉरपोरेशन की स्थिति के साथ–साथ उसी तारीख को खत्म साल के लाभ–हानि खाते की सभी और तथ्यपरक स्थिति प्रस्तुत कर सकें।
- कंपनी ने अपनी परिसम्पत्तियों की रक्षा करने तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं से बचाने, उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकन अभिलेख रखने में समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।
- ये खाते यह मानकर तैयार किए गए है कि कंपनी चल रही है।

निदेशक मंडल

पिछली वार्षिक आम सभा के बाद श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रधान सचिव (सिंचाई), उत्तर प्रदेश सरकार, श्री नवनीत सहगल सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश सरकार, श्री किशन सिंह अटोरिया, प्रधान सचिव (सिंचाई), उत्तर प्रदेश सरकार और श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक के रूप में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड बोर्ड में शामिल हुए हैं। श्री डी वी सिंह, श्री एस के शुक्ला के स्थान पर टीएचडीसी के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में शामिल हुए है।

अवधि के दौरान श्री अरूण कुमार सिन्हा, प्रधान सचिव (सिंचाई) उत्तर प्रदेश सरकार और श्री जयंत कावले सं. स. (हाईड्रो), विद्युत मंत्रालय कंपनी में नामांकित अंशकालिक निदेशक के पद से हट गए और श्री एस के शुक्ला, निदेशक (तकनीकी) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक पद से हट गए। निदेशक गण उनके कार्यकाल के दौरान उनकी बहुमूल्य सलाह और मार्गदर्शन की सराहना करते हैं।

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233–बी के तहत वित्त वर्ष 2009–2010 के लिए विद्युत स्टेशनों के लागत लेखाकरण रिकार्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए भारत सरकार ने मेसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी, लागत लेखाकार, 204, कृष्णा हाउस, 4835 / 24, भरत राम रोड, दरियागंज, नई दिल्ली – 110002 को लागत लेखा परीक्षक के रूप में मंजूरी दी है।

[illegible] ऋषिकेश में टीएचडीसी महिला क्लब की ओर से आवश्यक वस्तुओं के वितरण का एक दृश्य

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

सांविधिक लेखा परीक्षक

एक सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कम्पनी में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत की जाती है। तदनुसार मैसर्स एचडीएसजी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स डी–36, बेसमेंट, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110014 को कॉरपोरेशन का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

इस अधिनियम की धारा 224 (8) (एए) के अन्तर्गत पारिश्रमिक निर्धारण के लिए यथापेक्षित प्रस्ताव आगामी वार्षिक आमसभा में विचार के लिए रखा जा रहा है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणी

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने कॉरपोरेशन के वित्त वर्ष 2009–10 के खातों पर बिना शर्त रिपोर्ट दी है।

खातों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा

सी एंड एजी की टिप्पणियां

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक रूप में इस कंपनी के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के खातों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत टिप्पणियां संलग्न है। इन टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) के अन्तर्गत कर्मचारियों के ब्यौरे

कोई कर्मचारी विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक से ज्यादा वेतन नहीं ले रहा है, इसलिए अब तक यथा संशोधित 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (कर्मचारी ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 ए) के अन्तर्गत सूचना शून्य है।

आभार

निदेशक मंडल भारत के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भूटान की शाही सरकार द्वारा दिए गए सहयोग की भूरि–भूरि प्रशंसा करता है। निदेशक मंडल उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड सरकार और उनके विभिन्न विभागों, विशेष रूप से टिहरी परियोजना के निदेशक पुनर्वास से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए आभारी है। बोर्ड, महाराष्ट्र सरकार और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन से प्राप्त सहायता के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता है।

निदेशक वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अध्यक्ष, प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड – II के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशक कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का सफल कार्यान्वयन करने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं / बैंकों से लगातार समय से मिल रही सहायता और संरक्षण के लिए तथा कंपनी पर भरोसा और विश्वास व्यक्त करने के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक कंपनी का विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों तथा योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं।

कृते तथा निदेशक मंडल की ओर से

(आर.एस.टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 31.08.2010
स्थान : ऋषिकेश

वित्तीय विशेषताएं

नियोजित पूंजी (₹ हजार में)
(निवल ब्लॉक+निवल चालू परिसंपत्तियां)

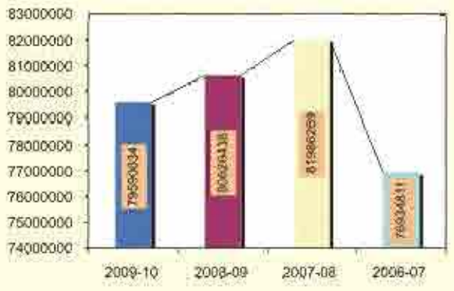

नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ
(पीबीआईटी / नियोजित पूंजी)

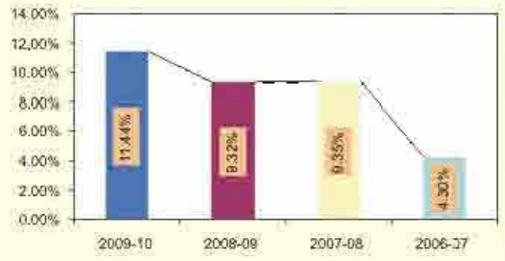

निवेशित पूंजी (₹ हजार में)
(अंशपूंजी+आरक्षित एवं अधिशेष+ऋण)

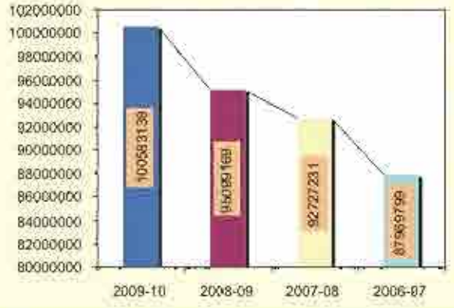

नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ
(कर पश्चात् लाभ / निवेशित पूंजी)

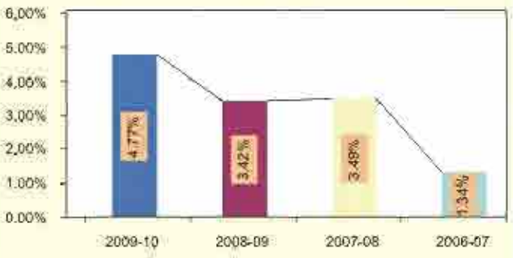

मूल वर्धित प्रति कर्मचारी (₹ हजार में)

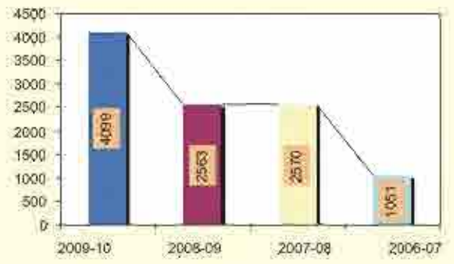

चुकता पूंजी (₹ हजार में)

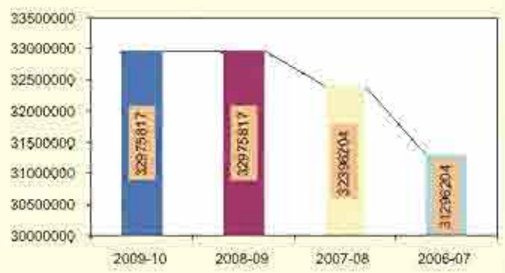

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

मूल्य ह्रास, ब्याज और कर पूर्व लाभ
(₹ हजार में)

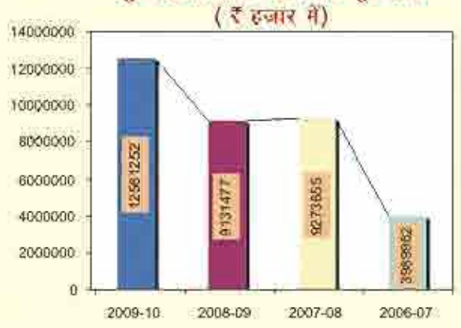

कर पूर्व लाभ (₹ हजार में)

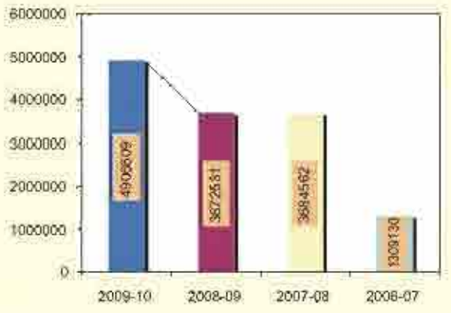

शुद्ध लाभ (₹ हजार में)

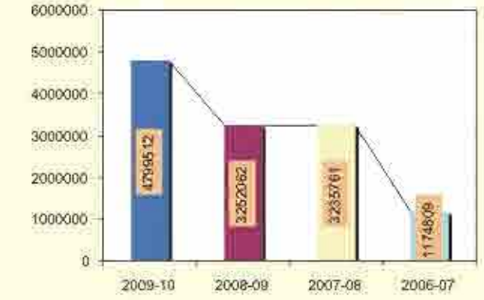

नेट वर्थ (₹ हजार में)

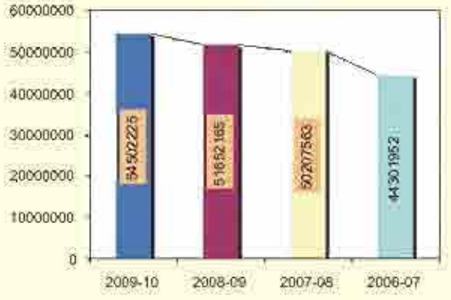

पर्यावरण की रक्षा और सामाजिक मूल्यों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ टिकाऊ विद्युत विकास के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

अनुलग्नक – 1

टीएचडीसीआईएल कॉरपोरेट सुशासन, टिकाऊपन और पर्यावरण की रक्षा में सर्वोत्तम पद्धतियों को अंगीकार करती है। टीएचडीसी ने अपनी टिहरी और कोटेश्वर एचईपी परियोजनाओं के लिए आईएसओ 14001 प्रमाणन को कार्यान्वित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

कंपनी के अभिदृष्टि विवरण में पर्यावरण, पारिस्थितिकी और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता शामिल है। इसके मिशन विवरण में मानवीय दृष्टि से परियोजना प्रभावित लोगों (पीएएफ) के पुनर्स्थापन और पुनर्वास सहित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को स्वीकार किया गया है।

टीएचडीसी सीएसआर–सीडी योजना–2010:

कंपनी ने सीएसआर – 2010 से संबंधित डीपीई दिशानिर्देशों के तर्ज पर बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित "टीएचडीसी–सीएसआर–सीडी योजना–2010" तैयार की है ताकि टीएचडीसीआईएल सीएसआर गतिविधियां कार्यान्वित की जा सकें। इसके लिए टीएचडीसीआईएल ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप कर पूर्व शुद्ध लाभ का 2% निर्धारित किया है। यह राशि विभिन्न टीएचडीसी सीएसआर–सीडी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रति वर्ष व्यपगत न होने वाली सीएसआर निधि को

देहरादून में महिला सशक्तिकरण केन्द्रों पर सिलाई मशीनों का वितरण

आबंटित और अंतरित की जाएगी। टीएचडीसी सीएसआर योजनाएं कंपनी द्वारा प्रायोजित गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) जैसे **"सेवा टीएचडीसी"** और **टीएचडीसी एजुकेशन मैनेजमेंट बोर्ड (ईएमबी)** के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। अनुमोदित टीएचडीसी

चम्बा में आजीविका परियोजना में टीएलएच केन्द्र पर आजीविका के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक दृश्य

सीएसआर–सीडी योजना के अनुसार सीएसआर बजट का उपयोग प्रचालन स्थानों और प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में किया जा रहा है।

अवधारणा :

- इस योजना में टीएचडीसीआईएल के सभी स्टेकहोल्डरों के हितों को स्वीकार करते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से धारणीय कंपनी के रूप में प्रचालन करने के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता को निर्धारित किया जाता है।
- सीएसआर के संबंध में हमारी प्रतिबद्धता सांविधिक आवश्यकताओं से ऊपर है। **यह दीर्घकालिक विकास** की परिपाटी से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। इसका विस्तार उदारतापूर्ण गतिविधियों से आगे तक है तथा सामाजिक और व्यापारिक लक्ष्यों के समेकन तक फैला हुआ है।
- जबकि शेयरधारक के लाभ को अधिकतम करने का हमारा प्राथमिक दायित्व निर्विवाद है, यह महसूस किया जा रहा है कि व्यापार का दीर्घकालिक टिकाऊपन आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव पर निर्भर करता है। जिसे आमतौर पर **ट्रिपिल बॉटम लाइन** कहा जाता है।
- उत्पादन और आर्थिक वृद्धि में बढ़ोत्तरी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के खपत की आवश्यकता होती है, जिसका सीधा प्रभाव अक्सर लागत के रूप में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज पर पड़ता है।

उद्देश्य

- सीएसआर के प्रति दृष्टिकोण **दीर्घकालिक टिकाऊ विकास** पर आधारित है। टीएचडीसी के परियोजना प्रबंधन और मानीटरिंग कौशल प्रशिक्षण द्वारा तथा सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक ढांचों और प्रणालियों की स्थापना कर यथासंभव स्थानीय प्रशासन के साथ सांझा किया जा सकता है।
- सीएसआर की गतिविधियां **3 यू.एन ग्लोबल कंपैक्ट** सिद्धांतों के अंतर्गत आती हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित की आवश्यकता होती है :
    - पर्यावरणात्मक चुनौतियों के प्रति एहतियाती दृष्टिकोण का समर्थन करना;
    - वृहत्तर पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए पहल करना; और
    - पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार को बढ़ावा देना।
- सेवा–टीएचडीसी की सीएसआर गतिविधियों की योजना इस प्रकार बनाई गई है कि टीएचडीसी के प्रचालन और संसाधन क्षमता के आधार पर लाभ लघुत्तम इकाइयों अर्थात गांव, पंचायत, ब्लॉक या जिले तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

वर्ष 2009–10 के दौरान सेवा–टीएचडीसी द्वारा शुरू की गई प्रमुख सीएसआर गतिविधियों का सारांश नीचे दिया गया है :

शिक्षा :

- सेवा–टीएचडीसी ने उत्तराखंड राज्य के देहरादून और ऋषिकेश में तथा उत्तर प्रदेश के रायबरेली, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी में अंग्रेजी बोलने तथा अल्पसंख्यक एवं अन्य कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए सिलाई और कटाई जैसे शैक्षिक सुधार और

राय बरेली, उ.प्र. में महिला सशक्तिकरण केन्द्र में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए एकत्रित बच्चे

राय बरेली, उ.प्र. में महिला सशक्तिकरण केन्द्र में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का उद्घाटन

स्वरोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इससे लगभग 500 परिवार लाभान्वित हुए हैं। प्रशिक्षण के बाद स्व–सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए जा रहे हैं ताकि दीर्घकालिक विकास के लिए उन्हें बाजार से जोड़ कर वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू की जा सकें।

- आईटीआई, चम्बा, टिहरी गढ़वाल में ₹ 75 लाख की लागत पर छात्रावास भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- टीएचडीसी, टीएचडीसी शिक्षा प्रबंधन बोर्ड (ईएमबी) (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत टीएचडीसी द्वारा प्रोन्नत सोसाइटी) के माध्यम से दो स्कूल चला रहा है जिसमें से एक 8वीं कक्षा तक ऋषिकेश में चल रहा है और दूसरा 12वीं कक्षा तक टिहरी में चल रहा है। वर्ष 2009–10 के दौरान कुल वार्षिक व्यय लगभग ₹ 2.18 करोड़ हुआ है।
- पुस्तकालय स्थापित करने के लिए फर्नीचर और किताबों के रूप में आईटीआई, गोपेश्वर को सहायता दी गई।
- आईएलएफएस एजूकेशन और टेक्नोलाजी सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली की सहायता से अंग्रेजी प्रसारण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि टिहरी गढ़वाल जिले के थाउल्डर और झाकणीधार ब्लॉकों के सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे 2000 छात्रों की अंग्रेजी भाषा के ज्ञान में वृद्धि की जा सके।
- कक्षा 10 और 12 के छात्रों में प्रतिभागी दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए टिहरी और ऋषिकेश में "ब्रेन सिटी" नामक प्रतियोगी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 5000 छात्रों ने भाग लिया और अपना ज्ञान बढ़ाया।
- सेवा–टीएचडीसी ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की 04 बालिकाओं को हिम ज्योति स्कूल, देहरादून में कक्षा 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए गोद लिया है।

- लडकियों को कंप्यूटर की शिक्षा देने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए गर्ल्स इंटर कालेज, ऋषिकेश में कंप्यूटर लैब स्थापित किया गया है।
- सेवा–टीएचडीसी ने टिहरी गढ़वाल के चोपडा गाँव में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित 250 छात्रों को स्कूल बैग, स्टेशनरी, पुस्तकें, स्कूल की वर्दियां प्रदान की है।
- सेवा–टीएचडीसी ने देहरादून की गोकुल सोसाइटी के विकलांग बच्चों को कंप्यूटर सेट प्रदान किए हैं ताकि विकलांग बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षित किये जा सकें। कुल 150 छात्र लाभान्वित हुए।

टिहरी परियोजना क्षेत्र में बीपीएल एवं अन्य सदस्यों के लिए इलेक्ट्रिशियन वेल्डिंग कोर्स का उद्घाटन

स्वास्थ्य :

- सेवा–टीएचडीसी ने स्वामी नारायण आश्रम, ऋषिकेश को निःशुल्क होम्योपैथी इलाज के लिए सहायता प्रदान की। क्षेत्र के कुल 2000 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

कुम्भ मेले के अवसर पर हरिद्वार में आयोजित चिकित्सा शिविर का दृश्य

राय बरेली, जायस में महिला सशक्तिकरण केन्द्र का दृश्य

- टिहरी गढ़वाल के लंबगाव और मदन नागी गांव के गरीबों और बुजुर्गों की सहायता के लिए पराचिकित्सीय डॉक्टर/स्टाफ टैक्नीशियन तैनात किए।
- निर्मल आश्रम नेत्र संस्थान, ऋषिकेश के माध्यम से निःशुल्क जांच शिविर लगाए गए जिसमें महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस नेत्र शिविर में कुल 250 व्यक्ति लाभान्वित हुए।
- कुंभ मेला – 2010, हरिद्वार में निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगाए गए। कुंभ मेला अवधि के दौरान कुल 3500 व्यक्तियों का इलाज किया गया।
- जेजेएसएस माधव आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा 7.5 लाख रुपये की लागत से रूद्रप्रयाग में निर्मित किए जा रहे मल्टी–स्पेशियलिटी अस्पताल, रूद्रप्रयाग को 50 बिस्तरों की सहायता प्रदान की।

अवसंरचनात्मक सुविधाएं

टीएचडीसीआईएल ने उत्तराखंड के प्रचालन व्यापार/परियोजना क्षेत्र में लोगों की परेशानियां कम करने तथा टिकाऊ विकास के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना जारी रखा।

- टीएचडीसीआईएल क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण और प्रचालन के लिए स्थानीय छात्रों को आवश्यक इंजीनियरी कौशल प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण में अपने योगदान के भाग के रूप में टिहरी परियोजना के नजदीक एक इंजीनियरिंग कालेज–सह विद्युत प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर रहा है।
- कंपनी ने परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन के माध्यम से कॉलेजों/स्कूलों में अनेक सामुदायिक हॉल, सेमिनार हॉल/कक्षाएं तथा अस्पतालों में वार्ड स्थापित किए हैं।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

टिहरी के बुडोगी गाँव में जल संग्रहण टैंक का स्थापन

- अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों के छात्रों के लाभ के लिए नए टिहरी शहर में ₹ 1.95 करोड़ की राशि से अ.जा./अ.ज.जा. छात्रावास का निर्माण शुरू किया गया है।

आजीविका वृद्धि कार्यक्रम और आय उत्पादक योजनाएं

- प्रताप नगर और जाखणीधार के अलग–थलग पड़े क्षेत्रों के अत्यधिक प्रभावित 20 गांवों में आय उत्पादक योजनाएं शुरू की गई है।
- वर्मिन कंपोस्ट पिट के निर्माण के लिए गुलाबकोटि गांव के परियोजना प्रभावित परिवारों को रियायती दर पर आर्थिक सहायता प्रदान की गई।
- दूर दराज के अलग–थलग पड़े क्षेत्रों में पानी उपलब्धता में कठिनाई कम करने के लिए वर्षा जल संचयन टैंक उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष के दौरान 5 गांवों में कुल 74 वर्षा जल संचयन टैंक (3000 लीटर की क्षमता वाले) निर्मित किए गए।
- टिहरी के प्रताप नगर और थौलधार ब्लॉक के किसानों को सब्जियों के बीज उपलब्ध कराए गए हैं ताकि सब्जियों की खेती प्रोत्साहित की जा सके। इसके जरिए इस क्षेत्र के लोगों की आय में काफी वृद्धि हुई है।

टीएचडीसी महिला मंडल द्वारा ऋषिकेश में आवश्यक वस्तुओं का वितरण

टिहरी, चम्बा में आईटीआई के लिए आवासीय भवन का शिलान्यास के अवसर का दृश्य

- टिहरी के चाथी गाव में प्याज के बीज दिए गए हैं।
- 09 गांवों में मुर्गी पालन शुरू किया गया है। 100 लाभार्थियों को कुल 732 चूजे दिए गए हैं।
- टिहरी के 05 गांवों में जैव खेती को बढ़ावा देने के लिए 63 वर्मी पिट बनाए गए हैं। वर्मी कंपोस्ट खेती से किसानों को दो प्रकार से लाभ होता है। एक, इससे भूमि की वहन क्षमता (उर्वरता) बढ़ती है और दूसरे उत्पादकता बढ़ती है तथा उस धन की भी बचत होती है जो वे पहले उर्वरक पर खर्च कर रहे थे।
- युवाओं के लिए रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि वे प्रचालन व्यापारिक क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय में स्वरोजगार प्राप्त कर सकें।
- सेवा–टीएचडीसी ने आधुनिक खेती के बारे में ज्ञान और संकेत (टिप्स) देने के लिए विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक गोष्ठी आयोजित की है। इस अवधि के दौरान कुल 124 किसान लाभान्वित हुए।
- सेवा ने किसानों और बेरोजगार व्यक्तियों के लिए गैर सरकारी संगठन (हाईफीड) के माध्यम से अनेक व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय उत्पादक योजनाएं शुरू की हैं ताकि उन्हें आधुनिक खेती और जंगली जानवरों के बारे में जानकारी दी जा सके।

कल्याण :

- टिहरी और ऋषिकेश के खाडीखाल, चोपडा गांवों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों को गरम कपडे वितरित किए गए। कुल 1500 छात्र इस कार्यक्रम में लाभान्वित हुए।

- जाखनीदार के जरूरतमंद परिवारों के लिए स्वेटर, खाना, कम्बल आदि जैसे दैनिक प्रयोग की अनेक वस्तुओं की व्यवस्था की गई है।
- सेवा–टीएचडीसी ने टिहरी और विष्णुगाड पीपलकोटि परियोजनाओं के लिए आस–पास के गांवों में आयोजित सामुदायिक उत्सवों में ग्रामीणों की सहायता के लिए जनरेटर सेट, बर्तन, टैंट, सिलाई मशीन, कुर्सियां, मेज तथा अन्य विविध सामान प्रदान किए हैं।
- देहरादून के स्व–सहायता प्राप्त समूह (एसएचजी) को सिलाई मशीनें वितरित की गईं तथा समूह के आत्म निर्भर बनाने के लिए उन्हें बाजार से जोड़ने के प्रयास किए गए हैं। सेवा–टीएचडीसी द्वारा खोला गया देहरादून महिला सशक्तिकरण केन्द्र अब प्रशिक्षण केन्द्र और वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में काम कर रहा है। महिलाओं को शिक्षा तथा कैरियर काउंसलिंग गरीबी रेखा से नीचे के और अल्पसंख्यक परिवारों आदि से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए समूहों का गठन जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में सामुदायिक, जातीय, नस्ली या आतंकवादी हिंसा के शिकार 34 बच्चों को सहायता देने के लिए नेशनल फाउंडेशन फार कम्युनल हार्मोनी (गृह मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन) को 3.4 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

पर्यावरण :

- बड़े पैमाने पर पौध रोपण किया गया। ऋषिकेश, टिहरी और विष्णुगाड़ पीपलकोटि में फलदार और औषधीय पौधे रोपे गए।
- पर्यावरण संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सेवा–टीएचडीसी ने 2 फरवरी, 2010 को धरती भूमि दिवस तथा 21.3.2010 को राष्ट्रीय वानिकी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए। 13 स्कूलों के 550 बच्चों ने इन कार्यक्रमों में सक्रियतापूर्वक भाग लिया। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इन अवसरों पर चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई।

खेलकूद :

- सेवा–टीएचडीसी, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता रहा है। सेवा–टीएचडीसी ने गोपेश्वर उत्तराखंड में राष्ट्रीय फुटबाल टूर्नामेंट के लिए सहायता प्रायोजित की है। उत्तराखंड के चमोली जिले के मलारी में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए भी सहायता दी गई। वर्ष के दौरान 6.00 लाख की राशि प्रदान की गई। सेवा–टीएचडीसी ने ऋषिकेश में सिटी एरिया स्पोर्ट्स (एथलेटिक्स) प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए हैं।
- युवाओं में खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रचालन क्षेत्रों में क्रिकेट, फुटबाल तथा अन्य खेल–कूदों से संबंधित किट वितरित किए गए।

सीएसआर गतिविधियों पर व्यय

सीएसआर गतिविधियों पर किया गया कुल व्यय इस प्रकार था। वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान ₹ 501.38 लाख, जिसमें से ₹ 282.53 लाख सेवा–टीएचडीसी के माध्यम से और ₹ 218.85 लाख शिक्षा प्रबंधन बोर्ड (ईएमबी) के माध्यम से खर्च किए गए। वित्त वर्ष 2008–09 से कर पूर्व लाभ के 2% का प्रावधान किया गया है। नई सीएसआर दिशा–निर्देश, 2010 के अनुसार यह निधि व्यपगत नहीं होगी।

वर्ष 2009–10 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर हुआ खर्च संक्षेप में इस प्रकार है :

(₹ लाख में)

क्षेत्र	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि	कुल व्यय (वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान)
शिक्षा विविध	12	62.89	41.81
पर्यावरण	6	6.18	7.08
स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा	13	22.29	14.50
आय उत्पादन	6	15.24	13.08
अवसरचना	87	517.13	180.17
विविध	13	14.64	6.42
कल्याण	23	21.93	19.47
उप योग			282.53
टीएचडीसी शिक्षा प्रबंधन बोर्ड (ईएमबी)			218.85
कुल	160	660.30	501.38

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

कॉरपोरेट सुशासन की रिपोर्ट

अनुलग्नक – 2

आपके निदेशक कॉरपोरेट सुशासन पर कंपनी की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 (i) (iv) के अनुसार इसकी हैसियत एक सार्वजनिक कंपनी की है। कंपनी सूचीबद्ध नहीं है और सूचीबद्धता समझौते का खंड 49 इस पर लागू नहीं होता। तथापि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956/ लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित कॉरपोरेट सुशासन के व्यवहार अपनाने के प्रयास किए हैं।

1. कंपनी की सुशासन विचारधारा

टीएचडीसी की कॉरपोरेट सुशासन संबंधी विचारधारा का आधार सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की निष्पक्ष, नैतिकतापूर्ण और पारदर्शी सुशासन व्यवहारिक विशेषताओं की समृद्ध परंपरा है। कॉरपोरेट सुशासन के अन्तर्गत कम्पनी के प्रबन्धन निदेशक मंडल तथा इसके शेयरधारकों के बीच संबंध आते हैं।

गंभीर सुशासन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की हमारी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों से निर्देशित होते हैं

- **पारदर्शिता**

  हमारे सभी वार्तालापों और संव्यवहारों में पारदर्शिता के उच्चतम मानक स्थापित करना।

- **सशक्तीकरण और जवाबदेही**

  टीएचडीसी का मत है कि जवाबदेही सहित सशक्तीकरण से निष्पादन के लिए एक मंच प्राप्त होता है जिससे निष्पादन होता है तथा कारगरता बढ़ती है। इससे शेयरधारकों का महत्व बढ़ता है। उच्चतम स्तर की व्यक्तिगत जवाबदेही को प्रदर्शित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी अपने द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में सतत उत्कृष्टता लाते हैं।

- **अनुपालन**

  कंपनी पर लागू सभी विधियों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करना।

- **स्टेकहोल्डरों के हित**

  ग्राहकों, अंशधारकों, कर्मचारियों, देनदारों, विक्रेताओं और समुदाय सहित सभी स्टेकहोल्डरों के हितों को बढ़ावा देना।

- **व्यापारिक आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता**

  कंपनी का व्यापार नैतिक रूप से चलाया जाएगा। "व्यापारिक आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता" से संबंधित हमारी नीति से जुड़ा दस्तावेज संक्षेप में यह निर्दिष्ट करता है कि हमारे कर्मचारी अपने व्यक्तिगत लाभ की बातें दिमाग से निकाल पूरी निष्ठा के साथ व्यापार करें।

- **पर्यावरण नीति**

  कंपनी की अभिदृष्टि में पर्यावरण पारिस्थितिकी और सामाजिक मूल्य आते हैं। मिशन के विवरण में पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय संतुलन सुनिश्चित करने पर पर्याप्त बल दिया गया है।

- **जोखिम प्रबंधन**

  हमारी जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि उपयुक्त रूप में परिभाषित ढांचे के माध्यम से जोखिम का प्रबंधन इष्टतम रूप में किया जा सके।

2. सुशासन ढांचा

(i) बोर्ड का आकार :

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें भारत के राष्ट्रपति की ओर से 75% और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की ओर से 25% पूंजी लगी हुई है। कंपनी के व्यवसाय की देख–रेख निदेशक मंडल करता है।

टीएचडीसी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या तय करेंगे। यह संख्या सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी। इसमें से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल 25% इक्विटीधारक होने के नाते कम से कम दो निदेशकों को नामांकित करेंगे।

(ii) बोर्ड का गठन :

31 मार्च, 2010 को निदेशक मंडल में दस (10) निदेशक थे जिसमें से अध्यक्ष सहित तीन (3) प्रकार्यात्मक निदेशक थे, चार (4) सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा तीन (3) स्वतंत्र निदेशक थे। मई और जुलाई, 2010 में एक (1) और प्रकार्यात्मक निदेशक और एक (1) सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किए गए जिससे बोर्ड की कुल संख्या बारह (12) हो गई। इस प्रकार इस समय कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, 3 प्रकार्यात्मक निदेशक, 5 सरकार द्वारा नामित निदेशक और 3 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

31 मार्च, 2010 को बोर्ड का गठन तथा समाप्त वर्ष में अन्य कंपनियों में आपके निदेशकों द्वारा धारित पदों की स्थिति तथा समितियों की स्थिति (अर्थात लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति) इस प्रकार है

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	श्रेणी	धारित अन्य निदेशक पद	अन्य समिति / समितियों की स्थिति	
				अध्यक्ष	सदस्य
1	श्री आर.एस.टी. शाई (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	प्रकार्यात्मक निदेशक	एक	—	—
2	श्री ए. एस. बिष्ट, निदेशक (कार्मिक)	प्रकार्यात्मक निदेशक	शून्य	—	—
3	श्री सी. पी. सिंह, निदेशक (वित्त)	प्रकार्यात्मक निदेशक	शून्य	—	—
4	श्री डी.वी. सिंह, निदेशक (तकनीकी) (12.05.2010 से)	प्रकार्यात्मक निदेशक	शून्य	—	—
5.	श्री ए. के. बजाज, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली	सरकार द्वारा नामित निदेशक	शून्य	—	—
6.	श्री गुरदयाल सिंह, अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली	सरकार द्वारा नामित निदेशक	एक	—	—
7.	श्री नवनीत कुमार सहगल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूपीपीसीएल, लखनऊ	सरकार द्वारा नामित निदेशक	चौदह	—	—
8.	श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव (एच), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सरकार द्वारा नामित निदेशक	छः		
9.	श्री किशन सिंह अटोरिया, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ (01.07.2010 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	एक	—	—
10.	डॉ. सुधीर एस. बलोरिया, पूर्व मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	—	—
11.	डॉ. के. एग्रामेयन, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत अर्थ मूवर्स, बंगलौर	स्वतंत्र निदेशक	एक	—	—
12.	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना, निदेशक, आईआईटी, रूड़की	स्वतंत्र निदेशक	शून्य	—	—

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

वर्तमान निदेशकगणों का संक्षिप्त विवरण

श्री आर.एस.टी. शाई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 00171920

श्री आर.एस.टी. शाई ने 08.03.2007 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। श्री शाई इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स के फेलो हैं। उन्होंने आई आई एम बेंगलोर से पी जी डी एम प्राप्त किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री प्राप्त की है। इससे पूर्व उन्होंने 05.05.2005 से 07.03.2007 तक टीएचडीसी में निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत थे।

उन्हें बैंकिंग, वित्त, वाणिज्य, ई पी सी संविदा तथा परियोजना प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 33 वर्षों का व्यापक अनुभव है। निदेशक (वित्त) के रूप में टीएचडीसी से जुड़ने से पूर्व श्री शाई एसबीआई, एनटीपीसी, पावरग्रिड और दिल्ली मेट्रो में अलग–अलग पदों पर काम कर चुके हैं।

श्री ए. एस. बिष्ट
निदेशक (कार्मिक)
डीआईएन : 00184943

श्री अशोक सिंह बिष्ट ने 08.09.2004 को निदेशक (कार्मिक) का पदभार संभाला। इससे पूर्व वे महाप्रबंधक (कार्मिक और प्रशासन) का पदभार संभाल रहे थे। वे 1989 में टीएचडीसी से जुड़े और विभिन्न पदों पर रहते हुए संगठन की सेवा की। मानव संसाधन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें 35 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है। टीएचडीसी में कार्यभार संभालने से पूर्व श्री बिष्ट बीएचईएल में कार्यरत थे।

उन्होंने अन्य बातों के साथ–साथ कार्मिक नीतियाँ तैयार करने में अत्यधिक योगदान किया जिससे तत्कालीन यूपीआईडी कर्मचारियों का टीएचडीसी में समावेश करना आसान हो गया। उन्होंने संगठन को निर्माण स्तर से विद्युत उत्पादन स्तर तक रूपांतरण में कारगर योगदान दिया है। उन्होंने मानव संसाधन विकसित करने में पर्याप्त प्रशिक्षण और शिक्षण अवसर उपलब्ध कराये ताकि कर्मचारी वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बन सकें।

श्री सी. पी. सिंह
निदेशक (वित्त)
डीआईएन : 01880648

श्री सी पी सिंह ने 18.10.2007 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड मे निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला। वे फैलो चार्टर्ड एकाउंटेंट (एफ सी ए) और दिल्ली विश्वविद्यालय से विधि स्नातक है। इससे पूर्व श्री सिंह निगम में महाप्रबंधक (वित्त) / वित्तीय नियंत्रक थे। श्री सिंह को सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में वित्त और लेखा विभाग में 28 से अधिक वर्षों का कार्यकारी अनुभव है।

श्री सिंह 1990 से टीएचडीसी में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं और उन्हें बड़ी परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। वाणिज्यिक और विधिक मामलों के अतिरिक्त उन्हें निधि प्रबंधन में सुविज्ञता हासिल है। वे महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों मे विभिन्न सरकारी संगठनों के साथ सव्यवहार करते रहे हैं। टीएचडीसी में काम करने से पूर्व उन्होंने एनटीपीसी लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और भारत सरकार के शर्करा निदेशालय, खाद्य विभाग में कार्य किया है।

श्री डी. वी. सिंह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन : 03107819

श्री डी वी सिंह ने 12.05.2010 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभाला। श्री सिंह एन आई टी, राउरकेला, उड़ीसा से ऑनर्स के साथ बी एस सी इंजीनियरिंग (सिविल) हैं। इससे पूर्व वे मार्च, 2007 से टीएचडीसी आई एल में कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना अधिकारी का प्रभार संभाल रहे थे। उनके पर्यवेक्षण में कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना में बड़ी मात्रा में सिविल / इलैक्ट्रिकल / मैकेनिकल कार्य हुए है जिससे 3 वर्षों में रिकार्ड प्रगति हुई है।

श्री सिंह को सिविल भवन निर्माण, पुनर्वास, भूमि तल निर्माण, विद्युत गृह निर्माण, संविदा और प्रापण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 25 वर्षों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने पिछले अठारह वर्षों से टीएचडीसी आई एल में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। 250 मेगावाट की चारों इकाइयों के प्रारंभण के दौरान वे टिहरी विद्युत गृह के इंजीनियर प्रभारी थे। टीएचडीसी आई एल में कार्यभार संभालने से पूर्व श्री सिंह एल एंड टी में कार्य कर चुके हैं।

श्री सुधीर कुमार
संयुक्त सचिव (जल विद्युत),
भारत सरकार
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन 02669103

भारत सरकार ने 24.9.2010 से श्री सुधीर कुमार को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया। उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (1982–बैच बिहार कॉडर) के अधिकारी हैं।

उप विकास आयुक्त, राँची और उपायुक्त, दुमका के रूप में उन्होंने मिलियन वेल कार्यक्रम के तहत निर्धन जनजातियों के लिए "जल ही जान है" योजना शुरू की। सीतामढ़ी जिले में साम्प्रदायिक दंगा होने के बाद नवम्बर 1992 में उन्हें सीतामढ़ी का जिलाधिकारी बनाया गया था।

अखिल भारतीय प्रबंधन ऐसोसिएशन द्वारा वर्ष 2008 में उन्हें सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए भारतीय लोक प्रशासन द्वारा वर्ष 2007 के लिए उन्हें निदेशक का विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।

श्री ए. के. बजाज
अध्यक्ष (सी डब्ल्यू सी),
भारत सरकार,
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन 02669103

भारत सरकार ने 14.08.2008 से श्री ए. के. बजाज को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया। श्री बजाज केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव है। उन्होंने थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला से मेकैनिकल इंजीनियरिंग और आई आई टी, दिल्ली से फ्लूयडस इंजीनियरिंग और जल संसाधन में एम टेक किया है।

श्री बजाज अप्रैल, 1974 में सहायक निदेशक के रूप में केंद्रीय जल आयोग में केंद्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा में पदभार संभाला और जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत इस विभाग और अन्य संगठनों में अनेक पद संभाल चुके है। केंद्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) के अध्यक्ष के रूप में श्री बजाज विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियों / कार्य संस्थाओं में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। वे आई सी आई डी (इंटरनेशनल कमीशन आन इरिगेशन एंड ड्रेनज) के भारतीय भाग इंडियन नेशनल कमेटी ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज (आई एन सी आई डी) के अध्यक्ष हैं। वे अफगानिस्तान के सलमा बाँध परियोजना की प्रगति और पर्यवेक्षण के लिए गठित विशेषज्ञों की टीम के सदस्य थे। अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए पैकेज के भाग के रूप में विदेश मंत्रालय द्वारा इस परियोजना को धन उपलब्ध कराया गया था।

श्री गुरदयाल सिंह
अध्यक्ष, सीईए, भारत सरकार,
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन 00015079

भारत सरकार ने 22.12.2004 से श्री गुरदयाल सिंह को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त की है।

वे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और साथ ही भारत सरकार के पदेन अपर सचिव है। उन्हें डिज़ाइन, इंजीनियरी, हाइड्रो पावर मूल्यांकन, निर्माण मानीटरिंग, हाइड्रो क्षमता आकलन, पुनरूद्धार, आधुनिकीकरण और अपरेटिंग सहित जल विद्युत विकास के विभिन्न पक्षों में लगभग 36 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उन्हें गैर–परंपरागत विद्युत विकास अर्थात टाइडल विद्युत परियोजनाओं की प्रशुल्क से जुड़े मामलों में सुविज्ञता प्राप्त है। उन्होंने सी ई ए में विभिन्न पदों पर कार्य किया है।

श्री नवनीत कुमार सहगल
सचिव (ऊर्जा), जीओयूपी
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन 02508634

उत्तर प्रदेश सरकार ने 13.10.2009 से श्री नवनीत कुमार सहगल को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया। श्री सहगल एक सुयोग्य सनदी लेखाकार और कंपनी सचिव हैं और 1988 बैच के यू पी कॉडर के आई ए एस अधिकारी हैं।

इस समय वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा सचिव का पदभार संभाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त के उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं तथा टीएचडीसी आई एल सहित विद्युत क्षेत्र की 15 कंपनियों के बोर्ड के निदेशक हैं। श्री सहगल ने अपने कैरियर के दौरान उत्तर प्रदेश में अनेक पदों पर काम किया है।

श्री किशन सिंह अटोरिया
प्रधान सचिव (सिंचाई)
सरकार द्वारा नामित निदेशक
डीआईएन 03272172

उत्तर प्रदेश सरकार ने 01.07.2010 से श्री किशन सिंह अटोरिया को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया। वे 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कॉडर के अधिकारी हैं।

वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (सिंचाई), का पद संभाल रहे हैं। श्री अटोरिया ने अपने करियर के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, आयुक्त, खाद्य विभाग, प्रबंध निदेशक (यूपीएसआरटीसी) का पदभार संभाला है।

डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया
पूर्व प्रधान सचिव (सिंचाई),
जम्मू और कश्मीर
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन 02221744

भारत सरकार ने 02.05.2008 से 03 वर्ष की अवधि के लिए श्री सुधीर एस ब्लोरिया को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। वे सींधिया स्कूल, ग्वालियर के पूर्व छात्र है, वे विज्ञान में स्नातक है, इतिहास में एम ए हैं तथा उन्होंने "दि बैटिल ऑफ जोजिला – 1948" विषय पर पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त की है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा कॉलेज, नई दिल्ली के स्नातक हैं और सैन्य इतिहास तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में गहरी रूचि लेते हैं।

वे जम्मू और कश्मीर लघु उद्योग विकास निगम, जम्मू और कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक तथा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रह चुके हैं। माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी रह चुके हैं। वे केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव, जम्मू और कश्मीर कार्यक (एमएचए) और प्रवर्तन निदेशालय में निदेशक रह चुके हैं।

डा. सुधीर एस ब्लोरिया, आईएएस (जे एंड के–1968) पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने पैदल सेना में तथा 1968 से 1972 तक जम्मू और कश्मीर राइफल्स में सेवा की है। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में फजिल्का सेक्टर में युद्ध में हिस्सा लिया।

प्रो. एस सी. सक्सेना
निदेशक, आईआईटी, रूड़की
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन 02284387

भारत सरकार ने 02.05.2008 से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रो. एस सी सक्सेना को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया। प्रो सक्सेना प्रख्यात शिक्षाविद हैं और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बी ई इलेक्ट्रिकल (1970), आईआईटी, रूड़की (तत्कालीन रूड़की विश्वविद्यालय) से एम ई इलेक्ट्रिकल (मिस एंड इंस्ट) (1973) और पी एच डी इलैक्ट्रिकल (बायोमेडिकल इंजीनियरी) (1977) प्राप्त की। उन्होंने आईआईटी, रूड़की के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के संकाय सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला और प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष तथा डीन के स्तर तक पहुँचे।

वर्तमान में वे जून, 2006 से आईआईटी, रूड़की के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वे आईआईटी, हिमाचल प्रदेश के मेंटोर डायरेक्टर तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की कार्यकारी समिति के सदस्य हैं।

उन्होंने थापर विश्वविद्यालय (पूर्ववर्ती टीआईईटी) और थापर औद्योगिक अनुसंधान और विकास केन्द्र के निदेशक के रूप में काम किया। डा. सक्सेना ने प्रबंधन, उत्कृष्ट और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के तकनीकी और वित्तीय वृद्धि में अपनी इंजीनियरिंग उत्कृष्टता स्थापित की है। उन्होंने 24 पीएचडी में मार्गदर्शन दिया है और 200 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए है। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वे विभिन्न स्वायत्त शैक्षिक संस्था और आयोगों के पदों पर आसीन हैं।

डा. के. एप्रामेयन
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन 00053652

डा. के. एप्रामेयन को 02.05.2008 से 3 वर्ष की अवधि के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने 1963 में मैसूर विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री प्राप्त की। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी), बंगलौर से ऑटोमोबाइल इंजिनियरी में मास्टर डिग्री तथा पेरिस विश्वविद्यालय, फ्रांस से इंटर्नल कंबस्टन इंजन के क्षेत्र में डाक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। डा. के एप्रामेयन 01.12.2002 के बी ई एम एल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए।

इससे पूर्व वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर के संकाय सदस्य थे। उन्होंने भारत आने से पूर्व लोकोमोटिव डीजल इंजन कंपनी, फ्रांस तथा मोटर उद्योग इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, बंगलोर के अनुसंधान और विकास प्रभाग में काम किया। उन्होंने 1976 में बी ई एम एल में कार्यभार संभाला तथा अलग–अलग हैसियत से संगठन की सेवा की तथा जनवरी, 1987 में निदेशक (अनुसंधान और विकास) तथा 1995 में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर प्रोन्नत हुए। उन्होंने निदेशक (विपणन) और निदेशक (उत्पादन) के पद पर भी काम किया।

2.1 निदेशकों की आयु सीमा और कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशक पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं जो प्रभार संभालने की तारीख से या सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के अगले निदेशों तक, जो भी पहले आता हो, नियुक्त किए जाते है।

सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक सेवारत अधिकारी होते हैं जो पदेन अपने मंत्रालय/भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग का प्रतिनिधित्व करते है और अपने मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से हटते ही निदेशक पद से हट जाते हैं। स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते है।

2.2 स्वतंत्र निदेशकों को प्रतिपूर्ति और प्रकटीकरण :

हमारी कंपनी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है, अतः निदेशकों का कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। निदेशक मंडल पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का फैसला नहीं करता। सरकार द्वारा पदेन हैसियत से अंशकालिक निदेशक नामित करने पर उनको कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। स्वतंत्र अंशकालिक गैरसरकारी निदेशकों को बोर्ड तथा कमेटी की प्रति बैठक ₹ 10,000/– की सिटिंग फीस दी जाती है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार पारिश्रमिक तय किया गया हो।

वर्ष 2009–10 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को प्रति बैठक किए जाने वाले भुगतान का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है

स्वतंत्र निदेशकों के नाम	बैठक फीस (₹ में)		कुल (₹ में)
	बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
डॉ. सुधीर एस ब्लोरिया	60000	70000	130000
डॉ. के. अप्पामेयन	60000	60000	120000
प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना	50000	50000	120000

2.3 बैठक और हाजिरी

कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार बोर्ड की बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बार तथा वर्ष में चार बार होनी चाहिए। वर्ष के दौरान बोर्ड की दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतर तीन महीने से कम था। कंपनी ने निदेशक मंडल तथा उसकी समितियों की बैठकों की प्रक्रिया परिभाषित की है ताकि संसूचित और कार्यकुशल रीति से निर्णय लेने में सुविधा हो। वर्ष 2009–10 के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या तथा उपस्थित निदेशकों की संख्या नीचे दी गई है

क्र. सं.	बोर्ड की बैठक की तारीखें	बोर्ड के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	23 अप्रैल, 2009	11	8
2.	24 जुलाई, 2009	11	8
3.	20 अगस्त, 2009	10	8
4.	29 सितम्बर, 2009	10	9
5.	18 दिसम्बर, 2009	12	9
6.	09 मार्च, 2010	10	9

वर्ष 2009–10 के दौरान बोर्ड की बैठकों और वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने वाले निदेशकों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है

क्र. सं.	श्रेणी/नाम	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उन बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए	पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति
	प्रकार्यात्मक निदेशक			
1.	श्री आर.एस.टी. शाई (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	6	6	हां
2.	श्री ए. एस. बिष्ट, निदेशक (कार्मिक)	6	5	हां
3.	श्री सी. पी. सिंह, निदेशक (वित्त)	6	6	हां
4.	श्री डी.वी. सिंह, निदेशक (तकनीकी) (12.05.2010 से)	शून्य	शून्य	लागू नहीं
5.	श्री एस.के. शुक्ला, निदेशक (तकनीकी) (31.12.2009 तक)	5	4	हां
	सरकार द्वारा नामित निदेशक			
6.	श्री ए. के. बजाज, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली	6	4	हां
7.	श्री गुरदयाल सिंह, अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली	6	5	हां
8.	श्री नवनीत कुमार सहगल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूपीपीसीएल, लखनऊ, (13.10.2009 से)	2	0	लागू नहीं
9.	श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव (एच), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली (24.09.2009 से)	2	2	लागू नहीं
10.	श्री किशन सिंह अटोरिया, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ (01.07.2010 से)	शून्य	शून्य	लागू नहीं
11.	श्री अरूण कुमार सिन्हा (05.01.2010 से)	1	शून्य	लागू नहीं
12.	श्री जयंत कावले, संयुक्त सचिव (एच) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (24.09.2009 तक)	4	2	लागू नहीं
13.	श्री हरमिंदर राज सिंह, प्रधान सचिव (सिंचाई) उत्तर प्रदेश सरकार (20.8.2009 तक)	2	शून्य	लागू नहीं
	स्वतंत्र निदेशक			
14.	डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया, पूर्व मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर	6	6	हां
15.	डॉ. के. अप्पामेयन, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत अर्थ मूवर्स, बंगलौर	6	6	हां
16.	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना, निदेशक, आईआईटी, रूड़की	6	5	हां

2.5 बोर्ड एजेंडा

बोर्ड की बैठकें तैयार एजेंडा के अनुसार होती हैं। अध्यक्ष के परामर्श से, बोर्ड सदस्य कोई भी विषय बोर्ड के विचारार्थ उठा सकते हैं। सभी प्रमुख एजेंडा मदों के साथ व्यापक पृष्ठभूमि दी जाती है। एजेंडा कागजात आमतौर पर बोर्ड मीटिंग से सात कार्य दिवस पहले प्रसारित कर दिए जाते है।

2009–2010 के दौरान बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत सूचना

बोर्ड, कंपनी से उसके बारे में कोई भी सूचना मांग सकता है। निदेशक मंडल के समक्ष विचार के लिए और नियमों और सुशासन नीति के अन्तर्गत जरूरी सभी विषय प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- वार्षिक खाते, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
- वार्षिक प्रचालन योजनाएं और राजस्व बजट तथा इनके बारे में अन्य ताजा सूचनाएं।
- पूंजीगत बजट और इससे संबंधित नयी सूचनाएं तथा परियोजनाओं की अनुमानित संशोधित लागत।
- सभी निर्माण कार्यों और चालू केन्द्रों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा।
- बड़े ठेकों को अवार्ड और ठेके अवार्ड के बाद अनुमोदन।
- संयुक्त उद्यम और सहयोग समझौते।
- नीति संबंधी सभी मुददे।
- कारण बताओ, मांग, मुकदमा चलाने की नोटिसें, शास्ति सूचनाएं, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हों।
- नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
- लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड स्तर की अन्य समिति बैठकों के कार्यवृत्त।
- सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारण।
- वेतनमान, कर्मचारी लाभ और कार्मिक नीतियां।
- अंतरिम लाभांश अदायगी और अंतिम लाभांश घोषणा।
- मानव संसाधन तथा वेतन समझौते पर हस्ताक्षर आदि जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक संबंध से संबद्ध महत्वपूर्ण मुददे।
- दीर्घावधि/अल्पावधि ऋण लेना, इक्विटी शेयरों का आवंटन।
- कानूनी और टैक्स संबंधी परिपालन रिपोर्ट।
- महत्वपूर्ण कानूनी मुददे और माध्यस्थम मामलों का निपटारा।
- अन्य महत्वपूर्ण मुददे।

3. निदेशक मंडल की समितियां :

इस समय कंपनी के निदेशक मंडल की दो उप–समितियां हैं।

i) पारिश्रमिक समिति

ii) लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की इन उप–समितियों में कंपनी सचिव, सचिव की हैसियत से काम करता है।

3. i) पारिश्रमिक समिति :

कॉरपोरेट सुशासन, 2010 के संबंध में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया गया है ताकि वेतन और भत्तों, वार्षिक बोनस/वेरिएबल पे पूल तथा नीति आदि के संबंध में विचार/निर्णय किया जा सके।

पारिश्रमिक समिति का गठन

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्य की श्रेणी
1	डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2	डॉ. (प्रो.) एस.सी. सक्सेना	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3.	डॉ. के. अप्रामेयन	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य

पिछली वार्षिक आम सभा के बाद पारिश्रमिक समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं :

क्र. सं.	पारिश्रमिक समिति की बैठकों की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	23 अप्रैल, 2009	2	2
2.	22 अप्रैल, 2010	2	2
3.	12 अगस्त, 2010	2	2

बैठकें और उपस्थिति

पारिश्रमिक समिति की बैठकों तथा उनमें उपस्थित सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम	अवधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
1	डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया	3	3
2	श्री ए.एस. बिष्ट (12.08.2010 तक)	3	3
3.	डॉ. (प्रो.) एस.सी. सक्सेना (12.08.2010 से)	0	0
4	डॉ. के. अप्रामेयन (12.08.2010 से)	0	0

3. ii) लेखा परीक्षा समिति

कॉरपोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति में सदस्य के रूप में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे, लेखा परीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। डीपीई दिशानिर्देशों की तर्ज पर लेखा परीक्षा समिति का गठन इस निम्नानुसार किया गया है:

लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार है :

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	सदस्य की श्रेणी
1.	डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया	स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2.	डॉ. के. अप्रामेयन	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3.	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना	स्वतंत्र निदेशक–सदस्य

वर्ष 2009–10 के दौरान आयोजित लेखा परीक्षा समितियों की संख्या और उपस्थित सदस्यों की संख्या नीचे दी गई है :

क्र. सं.	लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की तारीख	सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	23 अप्रैल, 2009	3	3
2.	20 अगस्त, 2009	3	2
3.	29 सितम्बर, 2009	3	3
4.	18 दिसम्बर, 2009	3	3
5.	08 मार्च, 2010	3	3
6.	27 मार्च, 2010	3	3

बैठकें और उपस्थिति

लेखा परीक्षा समिति और उपस्थित सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	उसकी अवधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठक में उपस्थिति
1.	डॉ. सुधीर एस. ब्लोरिया, स्वतंत्र निदेशक	6	6
2.	डॉ. के. अप्रामेयन, स्वतंत्र निदेशक	6	6
3.	प्रो. (डॉ.) एस.सी. सक्सेना, स्वतंत्र निदेशक	6	5

निदेशक (वित्त) और मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी ने विशेष आमंत्रिती के रूप में लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लिया। लेखा परीक्षा समिति को सहायता देने के लिए समय–समय पर अनेक अन्य अधिकारी तथा लेखा परीक्षक बुलाए गए थे।

लेखा परीक्षा समिति के विषय क्षेत्र में अन्य बातों के साथ–साथ निम्न शामिल थीं :

(क) निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक लेखाओं पर विचार और समीक्षा :

- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अन्तर्गत बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले।
- लेखाकरण नीतियों, व्यवहारों में परिवर्तन, यदि कोई हो और उनके कारण।
- लेखा परीक्षा के परिणामों के बाद वित्तीय विवरणों के किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
- किसी संबद्ध पक्ष के बारे में लेन–देन का प्रकटन।
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में उल्लिखित आपत्तियां।

(ख) निम्नलिखित विषयों की स्वतंत्र लेखा परीक्षक/प्रबंधन के साथ समीक्षा और विचार :

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता
- स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक की सिफारिशें और निष्कर्ष तथा उन पर प्रबंधन की टिप्पणी से संबंधित विषय।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और भरोसेमंद है।

(घ) लेखाकरण और वित्त से संबंधित काफी समय से लंबित मुद्दों को सुलझाना।

(ङ) आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षा और सी एंड एजी लेखा परीक्षा के मसौदा लेखा परीक्षा पैरा की समीक्षा करना तथा उक्त लेखा परीक्षा रिपोर्टों की आपत्तियों की समीक्षा करना।

(च) संसद की लोक उद्यम समिति (कोपू) की सिफारिशों की समीक्षा और उन पर अगली कार्रवाई करना।

(छ) आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों आदि की नियुक्ति, प्रकार्य और निष्पादन की समीक्षा करना और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों की पर्याप्तता सुनिश्चित करना।

(ज) आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना और लंबे समय से चल रहे मुद्दों पर निर्देश जारी करना।

(झ) आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा आंतरिक छानबीन में निकाले गए निष्कर्षों की समीक्षा करना और यदि धोखाधड़ी, अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था के फेल हो जाने से संबंधित कोई ठोस सूचना आती है तो यथावश्यक बोर्ड को सूचित करना।

(ञ) लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के बारे में लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करना और लेखा परीक्षा के बाद की चर्चाओं में शामिल होना।

(ट) बोर्ड द्वारा सौंपे गए किसी मामले में छानबीन करना।

(ठ) लेखा परीक्षा समिति द्वारा निर्णीत कोई अन्य मामला।

4. टीएचडीसी के निदेशकों और वरिष्ठ कार्यपालकों की व्यापार और नैतिक आचार संहिता :

टीएचडीसी के निदेशकों और वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए व्यापार और नैतिक आचार संहिता का अपनाया जाना :

सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार "टीएचडीसी की बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए व्यापार आचार संहिता" बना दी गयी है और इसे निदेशक मंडल ने अपना लिया है। यह आचार संहिता कंपनी के सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू है।

यह आचार संहिता तीन अन्तरसंबद्ध मूल सिद्धांतों से निकली है। ये सिद्धांत हैं – अच्छी कारपोरेट सुशासन, अच्छी कारपोरेट नागरिकता और अनुकरणीय व्यक्तिगत आचरण। इस आचार संहिता में टीएचडीसी की सतत विकास, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के प्रति चिंता, लैंगिक भेदभाव रहित कार्यस्थल, पारदर्शिता, लेखा परीक्षकों के प्रति जवाबदेही, कानून का परिपालन और खुद आदर्श प्रस्तुत करने की विचारधारा शामिल है। सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों ने आचार संहिता की इस घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और रिपोर्ट निदेशक मंडल को प्रस्तुत कर दी गयी है।

5. ई–खरीद

भारत सरकार ने ई–खरीद को राष्ट्रीय ई–सुशासन योजना (एनईजीपी) के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण घटक माना है। ई–खरीद का मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के जरिए सारी खरीद और लेन–देन करना है।

इससे पारदर्शिता बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है, टेंडर प्रक्रिया सरल हो जाती है और तेजी आती है, मानवीय गलतियों की गुंजाइश खत्म होती है, सूचना के आदान–प्रदान में आसानी होती है, संचालन आसान हो जाता है और फैसले करने में देर नहीं लगती।

कंपनी ने 28.03.2008 से माल और निर्माण कार्यों तथा सेवाओं की खरीद में ई–टेंडरिंग व्यवस्था शुरू कर दी है।

6. सत्यनिष्ठा समझौता

सभी पात्र बोलीदाता जो टेंडर प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं और बोर्ड द्वारा यथानिर्णीत अनुमानित मूल्यों के अंदर अपनी बोली देना चाहते हैं, उन्हें एक मानक प्रपत्र पर सत्यनिष्ठा समझौते के मानक प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना होता है। सत्यनिष्ठा समझौता संविदा करार का भाग बनता है। इस समय लागू सीमा निम्नानुसार है :

i) 50 करोड़ रुपये से अधिक अनुमान मूल्य वाले सभी प्रमुख आपूर्ति और सेवा ठेके।

ii) ₹ 100 करोड़ से अधिक अनुमान मूल्य वाले सभी प्रमुख निर्माण ठेके (विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ठेकों को छोड़कर)

7. सतर्कता

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के प्रकार्यात्मक नियंत्रण में काम करता है।

8. स्वामित्व की लेखा परीक्षा :

कंपनी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है और इसका निरीक्षण संसद भी करती है।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का आपकी कंपनी में भली-भांति कार्यान्वयन किया गया है तथा अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार सूचना चाहने वाले उचित व्यक्ति को सूचना उपलब्ध कराने के पूर्ण प्रयास किए जाते हैं।

10. सेवोत्तम (सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता) :

कारपोरेट सुशासन को और सुदृढ़ करने के प्रयास में टीएचडीसी ने "सेवोत्तम" (सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता) दस्तावेज तैयार किया है जिसके तीन घटक अर्थात नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण प्रणाली और सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता शामिल है। विभिन्न समूहों से लोगों को शामिल कर यह दस्तावेज तैयार किया गया है।

जन शिकायतों के निवारण के तंत्र के अतिरिक्त, कर्मचारियों के लिए पृथक शिकायत निवारण तंत्र है।

11. वार्षिक आम सभाएं :

जिन स्थानों पर पिछली तीन वार्षिक आम सभाएं संपन्न हुई थीं उनकी तारीख, समय और स्थान इस प्रकार है :

वित्त वर्ष	तारीख	समय	स्थान
2007–2008	27.09.2007	सायं 7.30 बजे	दिल्ली
2008–2009	26.09.2008	दोपहर 12 बजे	दिल्ली
2009–2010	29.09.2009	सायं 7 बजे	दिल्ली

गत तीन वर्षों के दौरान पारित किए गए विशेष संकल्प का ब्यौरा :

क्र. सं.	सभाओं का विवरण	पारित किया गया विशेष संकल्प
1.	27 सितम्बर, 2007 को आयोजित 19वीं वार्षिक आम सभा	• इक्विटी शेयर पूंजी में ₹ 2,77,87,000.00 की कमी करने को अनुमोदन
2.	26 सितम्बर, 2008 को आयोजित 20वीं वार्षिक आम सभा	शून्य
3.	29 सितम्बर, 2009 को आयोजित 21वीं वार्षिक आम सभा	• कंपनी के नाम में परिवर्तन को अनुमोदन • एसोसिएशन के ज्ञापन में संशोधन को अनुमोदन • एसोसिएशन के अनुच्छेदों में संशोधन को अनुमोदन

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां 2009-2010

1. सामान्य

सलग्न वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 के सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी किए गये विवरणों, मानकों तथा मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप पारंपरिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और व्यावहारिक आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. सहायता अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए केन्द्र/राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त सहायता अनुदान के साथ-साथ उपलब्धता अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार से टिहरी एचईपी चरण-I के लिए परियोजना लागत के सिंचाई घटक के लिए प्राप्त अंशदान को शुरू में आरक्षित पूंजी के रूप में माना गया तथा बाद में उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया, जितना कि इस अंशदान/ सहायता अनुदान से अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाला गया है।

4. अचल परिसंपत्तियां

i. अमूर्त परिसंपत्तियों सहित अचल परिसंपत्तियां उनके अधिग्रहण/निर्माण लागत पर बताई गयी हैं। एक से अधिक उत्पादन इकाइयों की साझा परिसंपत्तियां और प्रणालियां अभियांत्रिकी प्राक्कलनों/मूल्यांकनों के आधार पर पूंजीकृत की जाती हैं। लेकिन खासतौर से निर्माण के लिए अधिग्रहीत / निर्मित अचल परिसंपत्तियों को जिन्हें मुख्य अचल परिसंपत्ति के साथ विलय कर दिया जाएगा अथवा जो निर्माण अवधि के बाद उपयोगी नहीं रहेंगी, उनके साथ पूंजीकृत किए जाने के लिए अचल परिसंपत्तियों की मुख्य मद के चालू पूंजीगत कार्य के भाग के रूप में ली जाती है।

ii. भूमि पर सृजित अचल परिसंपत्तियां, जो कंपनी की नहीं है, अचल परिसंपत्तियों में शामिल की जाती हैं।

iii. विशेष भू-अर्जन अधिकारी (एसएलएओ)/ पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू-भाग पूंजीकृत किए जाते है, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है। ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी भूमि से बेदखल किए गये व्यक्तियों के पुनर्वास संबंधी व्यय को लागत में शामिल नहीं किया जाता। पट्टे पर मिली जमीन को चुकाई गयी पट्टे की राशि के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

iv. उस मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान करना बाकी है, लेकिन परिसंपत्तियां पूर्ण हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

v. कंपनी द्वारा स्वामित्व में न ली गयी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय को पूरा होने की अवधि तक चालू पूंजीगत कार्यों में विशिष्ट मद के तौर पर दर्शाया जाता है और बाद में उसे अचल संपत्तियों में शामिल कर लिया जाता है।

5. चल रहा पूंजीगत कार्य

i. पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों हेतु क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वनीकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रखरखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्चे) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना में इस्तेमाल के लिए भू-अधिग्रहण हेतु विशिष्ट पूर्व शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पूंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन के शुरू हो जाने पर से भू-अवर्गीकृत में पूंजीकृत किया जाएगा।

ii. संबंधित अभिकरणों से प्राप्त विवरणों के आधार पर जमा निर्माण कार्यों को हिसाब में लिया जाता है।

iii. आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर मिली सप्लाई के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

iv. ठेकों के मामले में मूल्य परिवर्तन के लिए दावों को स्वीकार कर लिए जाने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

v. कॉरपोरेट ऑफिस के प्रशासन एवं सामान्य शिरोपरि खर्चों/सेवा केन्द्रों के व्यय को अचल संपत्ति के निर्माण में डाल दिया जाता है और नियमबद्ध आधार पर इन्हें निर्माण परियोजनाओं को आवंटित कर दिया जाता है।

कॉरपोरेट ऑफिस/सेवा केन्द्रों के प्रशासन और सामान्य शिरोपरि खर्चों सहित वर्ष के दौरान निर्माण व्यय (नियत) को चल रहे पूंजी कार्य में जोड़ लिया जाता है और जब तक वे

इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हो जाते तब उन्हें परिसंपत्तियों की लागत में शामिल कर लिया जाता है।

vi. परियोजना के पुनर्वास कार्यों के संबंध में निर्माण कार्य के दौरान प्रासंगिक व्यय को अग्रेनीत कर नीति संख्या–5 (i) के अनुसार आबंटित किया जाता है।

6. ऋण लागत

i. विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा निर्माण से सीधी जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हो, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

ii. सामान्यतः उधार ली गयी निधियों एवं जिन्हें अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति लेने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है, की ऋण लागत जो विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों से सीधे जुड़ी न हो, को उनके निर्माण के दौरान पूंजीकृत किया जाता है। ऐसी ऋण लागतों को वर्ष के लिए चालू पूंजीकृत कार्य के औसत शेष के अनुसार विभाजित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उनके व्यय होने की अवधि में खर्चों के रूप में माना जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

i. विदेशी मुद्रा में किए गए सौदों का हिसाब–किताब उस दिन की दरों पर किया जाता है, जिस दिन सौदा किया गया हो।

ii. तुलन–पत्र की तारीख पर विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मदें उस तारीख को बंद दर पर प्रयोग की जाती हैं। गैर मुद्रा मदों का हिसाब–किताब उस विदेशी मुद्रा दर पर किया जाता है जो सौदे की तारीख पर थी।

iii. 01.04.2004 से पहले किए गये लेन–देन से उत्पन्न ऋणों/जमा राशियों/अचल परिसंपत्तियों/प्रगति पर पूंजीगत कार्यों से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/प्रगति पर पूंजीगत कार्यों की वहन लागत में समायोजित किया जाता है। तथापि 01.04.2004 को या बाद में किए गए लेन–देन से उत्पन्न विनिमय दरों को एएस–11 (संशोधित 2003) विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव के अनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा।

iv. अन्य विनिमय अंतर दरों को उस अवधि के दौरान, जिनमें यह उत्पन्न होते हैं, आय एवं व्यय के तौर पर मान्यता दी जाती है।

8. मूल्यह्रास

i. मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में सीईआरसी ने अधिसूचित नहीं किया है, उनमें मूल्यह्रास का कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित दरों के अंतर्गत सीधी रेखा विधि से प्रावधान किया जाता है।

विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बड़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में बढ़ोत्तरी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

ii. ₹ 1500/– तक की कम लागत वाली सामग्रियां जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व पसूला जाता है।

iii. ₹ 1500/– से अधिक पर ₹ 5000/– तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

iv. मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि से प्रभारित किया जाता है।

v. लीज होल्ड जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

vi. कंपनी द्वारा स्वामित्व में न ली गयी परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय को परियोजना की पहली यूनिट के वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के पांच वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है तथा इसके बाद उस वर्ष से, जिसमें संबंधित परिसंपत्ति पूरी हो गई हो तथा प्रयोग के लिए उपलब्ध हो गयी हो, परिशोधित की जाती है।

vii. कोटेश्वर हाइड्रो–इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट की डाइवर्जन सुरंग के मामले में मूल्यह्रास सुरंग की अनुमानित उपयोगिता जीवन पर सीधी रेखा विधि से प्रभारित किया जाता है।

viii. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या पांच वर्षों, जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से प्रशेषोधित किया जाता है।

मशीनों के कल–पुर्जों, जिनका प्रयोग अचल परिसंपत्ति के मामले में अनियमित रूप से किया जाना अपेक्षित हो, को पूंजीकृत किया गया है तथा संबंधित संयंत्र और मशीनरी की बाकी उपयोगिता अवधि के दौरान मूल्यह्रासित किया गया है।

9. भंडार तथा अतिरिक्त कल–पुर्जे

i. भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों को भारित औसत आधार पर निर्धारित लागत पर लिया जाता है।

ii. अप्रचलित तथा अप्रयोज्य सामग्री तथा कल–पुर्जों के मूल्य में गिरावट समीक्षा के बाद निर्धारित की जाती है और उनके लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

10. आय तथा व्यय

आय की मान्यता

i. ऊर्जा बिक्री का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम प्रशुल्क के अनुसार रखा जाता है। उस पावर स्टेशन के मामले में, जहां अंतिम टैरिफ अधिसूचित नहीं की गयी है, राजस्व की मान्यता समुचित प्राधिकरण अर्थात् सीईआरसी द्वारा बनाए गये लागू विनियमों में दी गयी विधि और मापदंडों के आधार पर की जाती है। राजस्व की स्वीकृति सीईआरसी से वार्षिक नियत प्रभारों की अधिसूचना लंबित होने तक वसूली के लिए अपनायी गयी अनंतिम दर पर निर्भर नहीं होगी। विदेशी मुद्रा वाले ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन के प्रति वसूली/वापसी तथा आयकर के प्रति वसूली का हिसाब वर्ष–दर–वर्ष आधार पर रखा जाता है।

ii. प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन राशि का हिसाब केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित लागू मानदंडों या लाभार्थियों के साथ हुए करारों के आधार पर रखा जाता है। जिन विद्युत स्टेशनों के मामले में इसे अधिसूचित/अनुमोदित नहीं किया गया है/लाभार्थियों के साथ करार नहीं किया गया है, उनके लिए प्रोत्साहन/गैर प्रोत्साहन राशियों का हिसाब अंनतिम आधार पर रखा जाता है।

iii. ऊर्जा बिक्री के लिए विविध देनदारों से वसूल किए जाने वाले अधिभार को वसूली किए जाने की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत नहीं माना जाता तथा इसकी पावती/पावती आधार के सुनिश्चित होने पर हिसाब में शामिल किया जाता है।

iv. ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गये अग्रिमों पर मिले ब्याज को संबंधित चालू पूंजीगत कार्य के खाते में क्रेडिट कर संबंधित परिसंपत्ति के निर्माण पर लगी लागत में से घटा दिया जाता है।

v. कबाड़ के मूल्य का हिसाब उसकी बिक्री के समय रखा जाता है।

vi. बीमाकर्ता द्वारा सुनिश्चित वसूली के लिए बीमा दावों की प्राप्ति/स्वीकृति का हिसाब वर्ष में रखा जाता है।

व्यय

vii. मरम्मत और अनुरक्षण के काम में इस्तेमाल की गयी सामग्री और कल–पुर्जों की लागत मरम्मत एवं अनुरक्षण खाते में डाली जाती है।

viii. प्रत्येक मामले में ₹ 10000/– या उससे कम की मदों के पहले दिए गये खर्च या पूर्वावधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

ix. वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले हुई शुद्ध आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

x. संभाव्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए उद्यहित प्रारंभिक खर्चे राजस्व से प्रभारित किए जाते हैं।

xi. पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का विनिर्दिष्ट प्रतिशत अलग रख दिया जाता है ताकि निगम की सामाजिक जिम्मेदारियों के व्यय के लिए ऐसी निधि सृजित की जा सके जो व्यपगत न की जा सके। खर्च न की गई राशि आगे बढ़ा दी जाती है।

11. कर्मचारियों के लाभ

i. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नगदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, वैगेज भत्ता, रिटायर कर्मचारियों को मोमेन्टो, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार खर्च के लिए देनदारी का हिसाब प्रोद्भवन आधार पर वर्ष के अंत में निर्धारित वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

ii. कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक ट्रस्ट स्थापित किया है और इस फण्ड में कंपनी के अंशदान को हर साल व्यय से प्रभारित किया जाता है। निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

12. विविध व्यय

31.03.2004 तक आस्थगित राजस्व व्यय को व्यय किए गए वर्ष से 10 वर्षों की अवधि के दौरान घटते खाते में डाल दिया गया है। हालांकि बाद में उसी व्यय वाले वर्ष में पूरी तरह प्रभारित किया जा रहा है।

13. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर लगने वाले कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर को आय का हिसाब लगाने और वर्ष की कर योग्य आय जोड़ने के बीच समय में अंतर से मान्यता दी जाती है और कर की दरों और तुलन–पत्र की तारीख तक पारित किये गये कानूनों के आधार पर होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस युक्तिसंगत निश्चितता के साथ मान्यता दी जाती है और अर्जनीत किया जाता है कि भविष्य में ऐसी कर योग्य आय उपलब्ध हो जाएगी जिसमें से इन आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली संभव हो सकेगी। आस्थगित कर वसूली समायोजन खाते उस हद तक करों के रूप में होने वाले खर्चों में जोड़े/घटाए जाते हैं जिस हद तक उन्हें भविष्य में लाभार्थियों से वास्तविक अदायगी आधार पर प्रभारित किया जा सकता है।

14. नगदी प्रवाह विवरण

नगद प्रवाह विवरण लेखाकरण मानक (एएस)–3 के नगदी प्रवाह विवरण से संबंधित निर्धारित परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है।

लेखा विवरण 2009-2010

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड)

तुलन-पत्र 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
		₹	₹	₹	₹
निधियों के स्रोत					
शेयर धारक निधियां	1				
क) शेयर पूंजी		3,29,75,817		3,29,75,817	
ख) आबटन के लिए लंबित शेयर पूंजी अंशदान		0	3,29,75,817	0	3,29,75,817
आरक्षित एवं अधिशेष	2		2,15,29,823		1,86,80,982
आस्थगित राजस्व–मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के कारण	3		28,33,089		24,41,592
ऋण निधियां	4				
प्रतिभूति ऋण		4,52,60,173		4,23,00,072	
अप्रतिभूति ऋण		8,17,326	4,60,77,499	11,42,298	4,34,42,370
योग			**10,34,16,228**		**9,75,40,761**
निधियों का प्रयोग					
अचल पूंजी व्यय					
अचल परिसंपत्तियां	5				
सकल ब्लॉक		8,52,27,799		8,44,58,659	
घटाएं : मूल्यह्रास		97,70,864		54,97,339	
निवल ब्लॉक			7,54,56,935		7,89,61,320
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	6		2,05,33,633		1,47,00,960
निर्माण भण्डार तथा पूंजीगत अग्रिम	7		25,38,094		22,08,537
निवेश			0		0
आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)		13,81,536		6,31,296	
घटाएं :– वापसी योग्य		6,31,296	7,50,267	6,31,296	0
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम					
वस्तु सूचियां	8	1,70,206		1,51,765	
फुटकर लेनदार	9	75,76681		37,44,181	
नगद एवं बैंक अधिशेष	10	2,30,870		5,88,117	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	11	16,188		19,178	
ऋण तथा अग्रिम	12	12,99,989		12,54,304	
(क)		**92,93,934**		**57,57,545**	

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
		₹	₹	₹	₹
घटाएं : चालू देनदारियां तथा प्रावधान					
चालू देनदारियां	13	14,80,365		16,55,689	
प्रावधान	14	36,79,870		24,36,738	
(ख)		**51,60,235**		**40,92,427**	
निवल चालू परिसंपत्तियां (क)–(ख)			41,33,699		16,65,118
विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया)	15		3,600		4,826
लेखों पर टिप्पणियाँ	25				
योग			**10,34,16,228**		**9,75,40,761**

अनुसूचियां 1 से 25 तथा महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण लेखों के अभिन्न अंग हैं।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समः दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या–84072

दिनांक : 13.08.2010
स्थान : नई दिल्ली

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि लेखा

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	वर्ष 2009–2010 के लिए		वर्ष 2009–2010 के लिए	
		₹	₹	₹	₹
आय					
विद्युत बिक्री	16		1,41,67,032		1,06,49,993
अन्य आय	17		72,034		44,293
कुल आय क			**1,42,39,066**		**1,06,94,286**
व्यय					
कर्मचारियों का पारश्रमिक एवं लाभ	18		7,91,955		9,03,477
उत्पादन, प्रशासन एव अन्य खर्च	19		8,63,752		6,58,658
ब्याज तथा वित्त पोषण प्रभार	20		41,83,911		38,18,961
मूल्यह्रास			34,58,339		16,14,626
प्रावधान	21		22,107		674
कुल व्यय ख			**93,20,064**		**69,96,396**
कर से पूर्व लाभ तथा पूर्वावधि समायोजन (क–ख)			**49,19,002**		**36,97,890**
घटाएं :					
पूर्वावधि आय/व्यय–(शुद्ध)	22		12,393		25,359
कराधान से पूर्व शुद्ध लाभ			**49,06,609**		**36,72,531**
कराधान के लिए प्रावधान	23				
आयकर		8,55,572		4,15,812	
क्रिज लाभ कर		0		3,266	
सम्पत्ति कर		1,792	8,57,364	1,391	4,20,469
आस्थगित कर		(7,50,267)		(6,74,098)	
घटाएं : उसूलनीय/परिसंपत्तियां		0	(7,50,267)	(6,74,098)	0
चालू वर्ष के कर के बाद लाभ			**47,99,512**		**32,52,062**
लाभ तथा हानि लेखा में आधिक्य को आगे ले जाया गया			53,75,380		32,69,869
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष			**1,01,74,892**		**65,21,931**
लाभांश					
अंतरिम लाभांश		6,00,000		7,00,000	
प्रस्तावित लाभांश		8,50,000	14,50,000	2,80,000	9,80,000
लाभांश पर कर					
लाभांश वितरण कर–अंतरिम		1,01,970		1,18,965	
लाभांश वितरण कर–प्रस्तावित		1,44,458	2,46,428	47,586	1,66,551
तुलन–पत्र को अग्रेनीत शेष			**84,78,464**		**53,75,380**

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
		₹	₹	₹	₹
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय प्रति शेयर अर्जन (1000 रू. प्रत्येक के इक्विटी शेयर)	24				
मूल (रू.)			145.55		98.98
कम किया हुआ (रू.)			145.55		98.98

अनुसूचियां 1 से 25 तथा महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियों के विवरण लेखों के अभिन्न अंग हैं।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या–84072

दिनांक : 13.08.2010
स्थान : नई दिल्ली

अनुसूचियां – लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 1
शेयर पूंजी

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
प्राधिकृत पूंजी				
₹ 1000/– प्रत्येक के 4,00,00,000 इक्विटी शेयर		4,00,00,000		4,00,00,000
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी				
₹ 1000/– प्रत्येक के 32975817 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 32975817)				
उपरोक्त शेयरों में से 7078600 शेयर (पिछले वर्ष 7078600)नगद के अलावा विचार के लिए पूर्णत प्रदत्त के रूप में आवंटित है।		3,29,75,817		3,29,75,817
योग		**3,29,75,817**		**3,29,75,817**

अनुसूची : 2
आरक्षित एवं अधिशेष

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
आरक्षित पूंजी				
उ.प्र. सरकार से सिंचाई क्षेत्र के प्रति देय अंशदान	1,44,13,380		1,44,13,380	
घटाएं : बकाया अंशदान	1,542		4,54,942	
प्राप्त अंशदान	**1,44,11,838**		**1,39,58,438**	
घटाएं : मूल्यह्रास में समायोजन	14,03,603	1,30,08,235	6,95,836	1,32,62,602
अन्य आरक्षित पूंजी				
विश्व बैंक से पीएचआरडी अनुदान (वीपीएचईपी परियोजनाओं के लिए)		43,124		43,000
लाभ एवं हानि लेखा में आधिक्य शेष				
लाभ एवं हानि लेखा में आधिक्य शेष तुलन		84,78,464		53,75,380
योग		**2,15,29,823**		**1,86,80,982**

अनुसूची : 3
मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान आस्थगित	24,41,592		12,41,066	
राजस्व	3,91,497		12,00,526	
घटाएं : वर्ष के दौरान निर्मित राजस्व	0	28,33,089	0	24,41,592
योग		**28,33,089**		**24,41,592**

अनुसूचियां – लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 4

ऋण निधियां

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
प्रतिभूति ऋण*				
दीर्घावधि ऋण		4,37,22,586		4,23,00,072
(i) वित्तीय संस्थाओं से ऋण		15,37,587		0
बैंकों में जमा नकद राशि				
उप जोड़		**4,52,60,173**		**4,23,00,072**
अप्रतिभूति ऋण				
विदेशी मुद्रा ऋण				
(भारत सरकार द्वारा गारंटी शुदा)				
वित्तीय संस्था –केएफडब्ल्यू जर्मनी @ से सावधि ऋण		8,17,326		11,42,298
उप जोड़		**8,17,326**		**11,42,298**
कुल योग		**4,60,77,499**		**4,34,42,370**
अगले एक वर्ष के भीतर भुगतान के लिए देय ऋण		**38,77,640**		**36,04,667**

*** प्रतिभूति ऋण में निम्नलिखित शामिल हैं :–**

i) टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस, सिविल निर्माण, पावर हाउस विद्युतीय एवं अभियांत्रिकीय उपकरणों पर परस्पर आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा सुरक्षित ₹ 3,198.38 करोड़, जो अन्य उधारियों में शामिल नहीं होते हैं तथा टिहरी बांध एवं एचपीपी की परियोजना टाउनशिप में ऋण के सभी अधिकार ताकि उन पर लगे ब्याज शामिल नहीं होते हैं।

ii) कोटेश्वर परियोजना के लिए ₹ 1,113.88 करोड़ कोटेश्वर एचईपी की परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार से सुरक्षित हैं

iii) ₹ 60.00 करोड़ जिस पर परस्पर आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों पर

iv) बैंक में जमा नकद राशि कम्पनी की परिसम्पत्तियों के ब्लॉक पर द्वितीय प्रभार द्वारा सुरक्षित है।

@ अप्रतिभूति ऋण :–

समरूप संबंधित ऋण श्रेणी के अंतर्गत वित्त पोषित उपकरणों पर ऋणात्मक ग्रहणाधिकार के साथ।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

अनुसूचियां – लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 5

अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची

राशि ₹ हजार में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल 2009 की स्थिति	1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 के बीच संवर्धन	1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 के बीच बिक्री/समायोजन	31 मार्च 2010 की स्थिति	1 अप्रैल 2009 की स्थिति	1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 के बीच की अवधि के लिए	1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 के बीच समायोजन	31 मार्च 2010 की स्थिति	31 मार्च 2010 की स्थिति	31 मार्च 2009 की स्थिति
1. फ्री होल्ड भूमि	1,84,916	3,749	-	1,88,665	-	-	-	-	1,88,665	1,84,916
2. लीज होल्ड भूमि	21,800	4,519	-	26,319	1,913	876	-	2,789	23,530	19,887
3. अवर्गीकृत भूमि	1,27,85,538	3,49,129	(2,395)	1,31,32,272	8,47,532	4,31,314	-	12,78,846	1,18,53,426	1,19,38,006
4. भवन	8,46,871	2,67,353	(384)	11,13,840	95,843	36,089	468	1,32,400	9,81,440	7,51,028
5. भवन अस्थायी ढांचे	10,381	30,008	-	40,389	2,829	37,541	19	40,389	-	7,552
6. सड़क, पुल तथा पुलिया	2,78,154	1,09,092	-	3,87,246	24,066	11,979	36	36,081	3,51,165	2,54,088
7. जल निकासी, मल निकासी व्यवस्था तथा जलपूर्ति	1,35,664	1,800	-	1,37,464	24,219	6,296	-	30,515	1,06,949	1,11,445
8. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	1,50,746	15,946	-	1,66,692	1,20,968	3,847	102	1,24,917	41,775	29,778
9. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	1,60,03,271	1,10,839	(3,01,185)	1,58,12,925	9,87,503	8,48,040	(17,518)	18,18,025	1,39,94,900	1,50,15,768
10. ई.डी.पी. मशीनें	82,383	2,486	(1,249)	83,620	42,470	9,268	(1,160)	50,578	33,042	39,913
11. विद्युत संस्थापनाएं	52,350	22,521	-	74,871	12,953	3,223	-	16,176	58,695	39,397
12. पारेषण लाइनें	1,02,880	32,518	-	1,35,398	18,863	7,610	925	27,398	1,08,000	84,017
13. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	2,05,138	45,987	(118)	2,51,007	57,607	15,453	(133)	72,927	1,78,080	1,47,531
14. फर्नीचर तथा फिक्सचर	72,009	22,077	(347)	93,739	24,787	6,096	(314)	30,569	63,170	47,222
15. वाहन	75,989	15,526	(3,170)	88,345	52,835	4,040	(2,718)	54,157	34,188	23,154
16. रेलवे साइडिंग	12,189	-	-	12,189	394	407	-	801	11,388	11,795
17. अमूर्त आस्तियां–सॉफ्टवेयर	18,972	1,161	-	20,133	7,295	3,272	-	10,567	9,566	11,677
18. हाइड्रोलिक कार्य – बांध एवं स्पिलवे	4,00,85,561	12,201	(22,884)	4,00,74,878	17,88,121	21,15,513	(515)	39,03,119	3,61,71,759	3,82,97,440
19. हाइड्रोलिक कार्य–टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,31,01,418	47,714	(14,736)	1,31,34,396	12,72,305	7,07,975	(222)	19,80,058	1,11,54,338	1,18,29,113
20. निवल बही मूल्य या निवल वसूलनीय मूल्य, जो कम हो, में अप्रयोज्यनीय/अप्रचलित आस्तियां	510	-	15,952	16,462	-	-	-	-	16,462	510
21. आस्तियों पर पूंजीगत व्यय, जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं है।	2,31,919	5,030	-	2,36,949	1,14,836	45,716	-	1,60,552	76,397	1,17,083
योग	**8,44,58,659**	**10,99,656**	**(3,30,516)**	**8,52,27,799**	**54,97,339**	**42,94,555**	**(21,030)**	**97,70,864**	**7,54,56,935**	**7,89,61,320**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**8,14,78,633**	**29,93,938**	**(13,912)**	**8,44,58,659**	**34,45,905**	**20,23,872**	**27,562**	**54,97,339**	**7,89,61,320**	**7,80,32,728**

मूल्यह्रास का ब्यौरा	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
ई.डी.सी. को हस्तांरित मूल्यह्रास	1,28,449	1,08,080
लाभ हानि लेखा को हस्तांरित मूल्यह्रास	34,58,339	16,14,626
उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान–आरक्षित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन	7,07,767	3,01,166
	42,94,555	**20,23,872**

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 6
पूंजीगत कार्य प्रगतिपर

राशि ₹ हजार में

विवरण		31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
		₹	₹	₹	₹
निर्माण कार्य प्रगति पर					
– भवन एवं अन्य सिविल कार्य		3,84,514		2,30,112	
– सडक, पुल तथा पुलिया		2,75,072		1,56,991	
– जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		9,112		0	
– उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		49,44,564		32,58,375	
– जलीय कार्य, बांध, स्पिलवे, जल मार्ग, वियर्स, सर्विस द्वार तथा अन्य जलीय कार्य		1,37,55,078		1,00,86,943	
– जलागम क्षेत्र वनीकरण		80,025		80,025	
– विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		30,898		28,889	
– अमूर्त आस्तियां– सॉफ्टवेयर		0		405	
– परिसंपत्तियों पर पूंजीगत व्यय जो कम्पनी के स्वामित्व में नहीं हैं।		23,853		27,691	
अन्य		8,381	1,95,11,497	0	1,38,69,431
उत्पादन संयंत्र एवं गार्मस्थ मशीनरी			70,916		1,16,938
व्यय लम्बित आबंटन					
– सर्वेक्षण तथा विकास खर्चे		5,18,664		4,25,264	
– निर्माण के दौरान व्यय	24	17,691	5,36,355	17,790	4,43,054
पुनर्वास					
– पुनर्वास खर्चे (साकेतिक लागत तथा किराए की निवल वसूलियां)			4,14,865		2,71,537
योग			**2,05,33,633**		**1,47,00,960**

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 7
निर्माण भण्डार एवं पूंजीगत अग्रिम

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
निर्माण भण्डार (प्रबंधन द्वारा यथाप्रमाणित लागत पर)				
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री	6,725		9,758	
अन्य	39,008		37,129	
मार्गस्थ सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)	211		0	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)	2,431		1,779	
	48,375		48,666	
घटाएं : स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान	25,246	23,129	25,246	23,420
पूंजीगत अग्रिम				
पूंजीगत व्यय के लिए				
अप्रतिभूति				
(i) बैंक गारंटी के बाबत	1,46,339		2,22,678	
(ii) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (उत्तराखण्ड सरकार एसएलएओ)	4,12,189		7,02,125	
(iii) अन्य	16,61,827		11,01,047	
(iv) अग्रिमों पर उपर्जित ब्याज	2,94,610		1,59,267	
	25,14,965		21,85,117	
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0		0	
		25,14,965		21,85,117
योग		**25,38,094**		**22,08,537**
पूंजीगत अग्रिम				
शोध्य समझे गए (अप्रतिभूति)		25,14,965		21,85,117
संदिग्ध समझे गए तथा प्रावधन किए गए		0		0
कुल पूंजीगत अग्रिम		**25,14,965**		**21,85,117**

अनुसूची : 8
वस्तु सूची

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
(प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित लागत पर)				
सीमेंट	21,932		18,807	
अन्य सिविल एवं भवन निर्माण सामग्री	1,59,205		1,28,658	
अन्य	367		0	
मार्गस्थ सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)	4,157		4,300	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)	1,85,661		1,51,765	
घटाएं : वस्तु सूची के लिए प्रावधान	15,455	1,70,206	0	1,51,765
योग		**1,70,206**		**1,51,765**

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 9
विविध देनदार

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
छः माह से अधिक समय से बकाया ऋण				
असुरक्षित, शोध्य समझे गए	22,91,402		22,23,566	
संदिग्ध समझे गए	0	22,91,402	0	22,23,566
अन्य ऋण				
असुरक्षित, शोध्य समझे गए	52,91,874		15,20,615	
संदिग्ध समझे गए	0	52,91,874	0	15,20,615
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		6,595		0
कुल		**75,76,681**		**37,44,181**

अनुसूची : 10
नगदी एवं बैंक शेष

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
नगदी एवं बैंक शेष		571		398
विद्यमान नगद, बैंक, डिमांड ड्राफ्ट तथा टिकटें				
अनुसूचित बैंकों के पास शेष	2,30,299		5,87,719	
चालू खाता (अनुसूचित बैंकों में आटो-स्वीप, फ्लैक्सी किस्म की जमाराशियों सहित)		2,30,299		5,87,719
योग		**2,30,870**		**5,88,117**

अनुसूची : 11
अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
अन्य चालू परिसंपत्तियां				
उपार्जित ब्याज		60		2,582
पूर्व भुगतान खर्च		16,128		16,596
योग		**16,188**		**19,178**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 12
ऋण तथा अग्रिम

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
ऋण				
कर्मचारियों के लिए				
प्रतिभूति	2,57,077		2,67,320	
अप्रतिभूति	27,068	2,84,145	28,629	2,95,949
कर्मचारियों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज				
प्रतिभूति	1,50,161		1,22,423	
अप्रतिभूति	18,788	1,68,949	30,726	1,53,149
अन्य		0		61
		4,53,094		4,49,159
अग्रिम				
(नगद या वस्तुओं के रूप में वसूलनीय अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए)				
अप्रतिभूति	15,911		18,067	
क्रय के लिए	16,009		35,412	
अन्य के लिए	7,41,421	7,73,341	6,80,342	7,33,821
जमाराशियां				
प्रतिभूति जमा	19,798		12,318	
जमा किया गया कर	4,950		16,431	
सरकार / न्यायालय में जमाराशियां	50,177		47,794	
अन्य जमाराशियां	114	75,039	1,282	77,825
उप जोड़		**13,01,474**		**12,60,805**
घटाएं : अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		1,485		6,501
योग		**12,99,989**		**12,54,304**
टिप्पणी : निदेशकों से देय वर्ष के दौरान अधिकतम देय राशि ₹ 64,932.00 (पिछले वर्ष ₹ 76,992.00)				
मूलधन		0		37
ब्याज		0		0
योग		**0**		**37**
टिप्पणी : अधिकारियों से देय वर्ष के दौरान अधिकतम देय राशि ₹ 9,15,908.00 (पिछले वर्ष ₹ 9,63,662.00)				
मूलधन		324		400
ब्याज		516		488
योग		**840**		**888**
ऋणों तथा अग्रिमों के विवरण				
शोध्य समझे गए				
ऋण तथा अग्रिम (प्रतिभूति)	4,07,014		3,89,743	
ऋण तथा अग्रिम (अप्रतिभूति)	8,92,975	12,99,989	8,64,561	12,54,304
संदिग्ध समझे गए तथा जिनके लिए प्रावधान किया गया		1,485		6,501
योग		**13,01,474**		**12,60,805**

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 13
चालू देनदारियां

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
विविध लेनदार				
पूंजीगत व्यय के लिए	4,14,714		4,69,041	
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए	0		0	
अन्यों के लिए	1,16,941	5,31,655	1,26,450	5,95,491
जमाराशियां, ठेकेदारों से प्रतिधारण राशि इत्यादि		1,39,852		1,57,032
उपार्जित ब्याज, लेकिन जो देय नहीं हैं				
वित्तीय संस्थाएं	7,30,961	7,30,961	7,17,511	7,17,511
अन्य देनदारियां		77,897		1,85,655
योग		**14,80,365**		**16,55,689**

अनुसूची : 14
प्रावधान

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
I. निर्माण				
प्रारंभिक शेष	3,99,032		1,36,337	
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,26,484		7,12,416	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(3,55,225)	3,70,291	(4,49,721)	3,99,032
II. कर्मचारियों से संबंधित				
प्रारंभिक शेष	16,68,374		9,17,507	
वर्ष के दौरान वृद्धि	4,35,811		8,32,880	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(1,10,501,)	19,93,684	(82,013)	16,68,374
III. प्रस्तावित लाभांश				
प्रारंभिक शेष	2,80,000		40,000	
वर्ष के दौरान वृद्धि	8,50,000		2,80,000	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(2,80,000)	8,50,000	(40,000)	2,80,000
IV. अंतरिम लाभांश पर कर				
प्रारंभिक शेष	0		1,58,903	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,01,970		0	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(1,01,970)	0	(1,58,903)	0
V. प्रस्तावित लाभांश पर कर				
प्रारंभिक शेष	47,586		6,798	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,44,458		47,586	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(47,586)	1,44,458	(6,798)	47,586
VI. कर एवं अन्य				
प्रारंभिक शेष	41,746		16,783	
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,68,919		46,103	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	(89,228)	3,21,437	(21,140)	41,746
योग		**36,79,870**		**24,36,738**

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 15
विविध व्यय (जिस सीमा तक बट्टे खाते में न डाला गया हो या समायोजित किया गया हो)

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 की स्थिति		31/03/2009 की स्थिति	
	₹	₹	₹	₹
आस्थगित राजस्व व्यय	3,415		4,634	
कमी लंबित छानबीन	185	3,600	192	4,826
योग		**3,600**		**4,826**

अनुसूची : 16
विद्युत बिक्री

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
विद्युत बिक्री	1,43,29,193		1,11,34,939	
घटाएं :–				
मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम–आस्थगित	3,91,497	1,39,37,696	12,00,526	99,34,413
लाभार्थियों से आयकर वसूली		0		4,17,894
लाभार्थियों से एफईआरवी वसूली		47,550		61,453
यू.आई./संकुचन प्रभार		1,81,786		2,36,233
योग		**1,41,67,032**		**1,06,49,993**

अनुसूची : 17
अन्य आय

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
ब्याज				
बैंक जमाराशि पर (टीडीएस ₹ 90,495.00 शामिल है, (पिछले वर्ष ₹ 5,28,455.00)	5,660		33,174	
कर्मचारियों से	23,229		24,323	
अन्य से	3,028	31,917	1,272	58,769
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार		373		176
किराया प्राप्तियां		2,946		2,032
फुटकर प्राप्तियां		16,729		12,393
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना		321		630
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		36,278		4,533
विलम्ब भुगतान अधिभार		6,247		7,368
योग		**94,811**		**85,901**
घटाएं : ईडीसी अनुसूची को अंतरित		22,777		41,608
योग		**72,034**		**44,293**

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 18
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ		13,87,012		16,24,555
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान		1,68,500		1,19,629
उपदान		1,50,978		2,24,583
कल्याण		49,650		51,425
योग		**17,56,140**		**20,20,192**
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		9,64,185		11,16,715
योग		**7,91,955**		**9,03,477**

अनुसूची : 19
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
किराया, दर एवं कर				
कार्यालय किराया	14,849		12,274	
कर्मचारी आवास किराया	26,537		20,277	
दर एवं कर	13,670	55,056	19,130	51,681
विद्युत एवं ईंधन		97,457		1,69,902
बीमा		39,039		45,476
सचार		16,701		15,287
मरम्मत एवं अनुरक्षण				
संयंत्र एवं मशीनरी	83,672		1,02,658	
भवन	85,941		55,918	
अन्य	1,35,030	3,04,643	1,34,403	2,92,979
यात्रा एवं वाहन		92,959		85,327
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन		79,074		66,091
सुरक्षा		1,23,718		1,19,453
प्रचार तथा जनसपर्क		30,913		25,915
अन्य सामान्य व्यय		1,69,623		1,54,483
परिसपत्तियों पर हानि		1,27,245		813
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे		30,636		49,179
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय		1,219		1,220
निगम की सामाजिक गतिविधियों पर व्यय		1,04,031		6,405
योग		**12,72,314**		**10,84,211**
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		4,08,562		4,25,553
योग		**8,63,752**		**6,58,658**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 20
ब्याज एवं वित्त–पोषण प्रभार

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
ऋणों पर ब्याज		50,70,875		41,98,813
ग्राहकों को छूट		1,14,701		1,35,680
योग		**51,85,576**		**43,34,493**
घटाएं :				
अंतरित तथा सीडब्ल्यूआईपी लेखा के साथ पूंजीकृत		10,01,665		5,15,532
योग		**41,83,911**		**38,18,961**

अनुसूची : 21
प्रावधान

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
अशोध्य ऋणों, ब्याजों तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान		6,652		631
भण्डारों तथा कल–पूर्जों के लिए प्रावधान		15,455		56
योग		**22,107**		**687**
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		0		13
योग		**22,107**		**674**

अनुसूची : 22
पूर्वावधि आय/व्यय–(शुद्ध)

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
आय				
बिक्री	0		10,225	
अन्य	2,945		0	
विविध प्राप्ति	0	2,945	71	10,296
व्यय				
कार्मिक व्यय	1,282		45	
विद्युत एव ईंधन	886		(1,660)	
मरम्मत एवं अनुरक्षण	0		1,264	
अन्य सामान्य व्यय	414		118	
मूल्यह्रास	617		36,220	
सुरक्षा	17,667		0	
किराया दर और कर	55		0	
विविध – अन्य	917	21,838	0	35,987
योग		**18,893**		**25,691**
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		6,500		332
योग		**12,393**		**25,359**

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 23

कराधान के लिए प्रावधान

राशि ₹ हजार में

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
आयकर				
चालू वर्ष		8,55,572		4,15,812
योग		**8,55,572**		**4,15,812**
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		0		0
योग		**8,55,572**		**4,15,812**
फ्रिंज लाभ कर				
चालू वर्ष		0		18,476
योग		**0**		**18,476**
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		0		15,210
योग		**0**		**3,266**
संपत्ति कर				
चालू वर्ष		3,879		3,042
योग		**3,879**		**3,042**
घटाएं :				
ईडीसी अनुसूची को अंतरित		2,087		1,651
योग		**1,792**		**1,391**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

अनुसूची : 24

निर्माण के दौरान व्यय

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
		₹	₹	₹	₹
व्यय					
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं लाभ	18				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		7,80,618		9,02,547	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		86,495		68,475	
उपदान		76,897		1,20,410	
कल्याण		20,175	9,64,185	25,283	11,16,715
प्रशासन तथा अन्य व्यय	19				
किराया, दर एवं कर					
कार्यालय किराया		13,396		11,098	
कर्मचारी आवास किराया		19,489		15,939	
दर एवं कर		1,290	34,175	1,813	28,850
ऊर्जा एवं ईंधन			30,819		54,085
बीमा			1,169		1,140
संचार			9,796		10,973
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयत्र एवं मशीनरी		396		798	
भवन		20,271		31,445	
अन्य		46,680	67,347	49,957	82,200
			63,048		55,276
यात्रा एवं वाहन			43,771		33,987
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			37,787		45,894
सुरक्षा			15,508		16,292
प्रचार तथा जनसंपर्क			1,04,659		92,433
अन्य सामान्य व्यय			81		670
परिसंपत्तियों पर हानि			144		0
सर्वेक्षण और अन्वेषण व्यय			258		270
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय			0		3,483
निगम की सामाजिक गतिविधियों पर व्यय					
प्रावधान	21				
भण्डारण एवं कल-पुर्जों के लिए प्रावधान		0	0	13	13
मूल्यह्रास			1,28,449		1,08,080
कुल व्यय (क)			**15,01,196**		**16,50,361**

अनुसूचियां - लेखा के साथ अनुबंधित

राशि ₹ हजार में

विवरण	अनुसूची संख्या	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
		₹	₹	₹	₹
प्राप्तियां					
अन्य आय	17				
ब्याज		3,432		21,500	
कर्मचारियों से		11,626		12,551	
अन्य		1,800	16,858	738	34,789
मशीन किराया प्रभार			215		45
किराया प्राप्तियां			1,994		1,247
फुटकर प्राप्तियां			3,270		2,677
प्रावधान की गई अधिक राशि को हटाना			73		602
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			367		2,248
कुल प्राप्तियां (ख)			**22,777**		**41,608**
पूर्वावधि समायोजन	22		6,500		332
कराधान से पूर्व शुद्ध व्यय			**14,84,919**		**16,09,085**
कराधान के लिए प्रावधान	23				
फ्रिंज लाभ कर		0		15,210	
सम्पत्ति कर		2,087	2,087	1,651	16,861
कराधान सहित शुद्ध व्यय			**14,87,006**		**16,25,946**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			17,789		2,223
कुल ईडीसी			**15,04,795**		**16,28,169**
घटाएं :					
सीडब्ल्यूआईपी को आवंटित ईडीसी/परिसम्पत्ति			14,67,389		15,72,429
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी			19,715		37,950
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित					
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**17,691**		**17,790**

अनुसूची : 25
लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए बाकी बचे ठेकों की अनुमानित राशि तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिमों का निवल) ₹ 21,969.79 लाख (₹ 44,482.90 लाख) है।

2. आकस्मिक देयताएं

	(₹ लाख में) 2009–10	2008–09
(i) कंपनी के प्रति दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है : माध्यस्थम/अदालती मामले (इसमें विभिन्न माध्यस्थम/श्रम अदालती मामलों में कंपनी के विरुद्ध डिक्री की गयी ₹ 219.22 लाख (विगत वर्ष ₹ 258.47 लाख) की राशि शामिल है, जिनमें कंपनी ने पैसे जमा किए लेकिन जो विवादित हैं और अपीलों के अंतर्गत हैं।)	1,24,046.16	1,29,974.14
(ii) विवादित आयकर, व्यापार कर, वाणिज्य कर, प्रवेश कर जिसमें कंपनी द्वारा जमा किए गए ₹ 254.96 लाख (विगत वर्ष ₹ 191.88) शामिल हैं। कंपनी ने इनके बारे में अपील की हुई है।	746.46	1,042.74
(iii) अन्य (ठेकेदारों के दावे आदि)	12,977.95	49,332.14

(iv) कर्मचारियों/विस्थापितों तथा अन्यों के द्वारा दायर किए गए दावों/अदालती मामलों के संबंध में देनदारी की राशि, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

3. कंपनी ने ₹ 739.28 लाख (विगत वर्ष ₹ 580.82 लाख) की एफडीआर/सीडीआर, ईएमडी/ प्रतिभूति जमा के रूप में भी स्वीकार की है। इसके अलावा अनुसूची –13 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से ₹ 1398.52 लाख (विगत वर्ष ₹ 1570.32 लाख) "जमा, प्रतिधारण राशि" के रूप में रखा है।

4. कंपनी के पास विद्युत के विभिन्न लाभार्थियों से ₹ 1907.38 लाख (विगत वर्ष ₹ 1984.75 लाख) की राशि भुगतान के लिए बैंकर प्रतिभूति के तौर पर पक्के साख पत्र (एलसी) हैं।

5. नए टिहरी शहर में सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों को अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराने के लिए ₹ 7800.00 लाख की रकम खर्च की गयी थी। यह राशि उत्तराखंड सरकार (जीओयूके) से वसूल की जानी है। भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, उत्तराखंड सरकार की ओर से 2005–06 में पंजाब नेशनल बैंक से ₹ 7800.00 लाख के साधारि ऋण लिए गये। यह राशि ब्याज सहित टिहरी एच ई पी चरण–I से दी जाने वाली 12% निःशुल्क विद्युत के उनके हिस्से से वसूल की जानी है। 27.03.2009 को विद्युत मंत्रालय के सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में हुई बैठक में आपस में यह तय कर लिया गया कि टीएचडीसी द्वारा आवासीय/गैर–आवासीय भवनों के रूप में उपलब्ध कराई गयी अतिरिक्त जगह के लिए उत्तराखंड सरकार ₹ 7800.00 लाख की प्रतिपूर्ति कर देगी। बांध के निर्माण में प्रयुक्त कंकड़/शेल सामग्री पर रॉयल्टी के लिए समझौता है अतः उत्तराखंड सरकार या टीएचडीसी एक दूसरे को देय राशि पर कोई ब्याज नहीं वसूलेंगे। तदनुसार उत्तराखंड सरकार से वसूली योग्य ₹ 1857.42 लाख का ब्याज समायोजित कर लिया गया। आगे यह भी फैसला किया गया कि रॉयल्टी प्रभार की राशि टीएचडीसी द्वारा दी गयी वास्तविक मात्राओं के आधार पर निकाली जाएगी। रॉयल्टी की रकम का हिसाब कर लिया गया है और यह ₹ 3820.00 लाख बैठती है। डीएम के पास जमा ₹ 1900.00 लाख घटाने के बाद बाकी राशि ₹ 1920.00 लाख बनती है जिसे ₹ 7800.00 लाख में से समायोजित कर लिया गया है और बाकी ₹ 5880.00 लाख की राशि को अनुसूची–12 में उत्तराखंड सरकार से वसूली योग्य दर्शाया गया है। संयुक्त सचिव (हाइड्रो) की अध्यक्षता में दिनांक 11.05.2010 को आयोजित बैठक में इस मामले पर आगे विचार किया गया जहां उत्तराखंड की सरकार के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि धनराशि शीघ्र जारी करने के लिए राज्य के वित्त विभाग से उठाया जाएगा।

कंपनी ने हाई कोर्ट, नैनीताल में एक याचिका दायर करके रॉयल्टी और ब्याज के रूप में वसूली जाने वाली ₹ 6448.58 लाख की वसूली पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। लेकिन 27 मार्च, 2009 के ऊपर बताई गयी संयुक्त बैठक के बाद नैनीताल हाई कोर्ट से याचिका वापस लेने के बारे में टिहरी के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) से संपर्क किया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अपने 25.5.2009, 21.07.2009 और 4.3.2010 के पत्रों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव से 27.3.2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। उत्तराखंड की सरकार ने कार्यवृत्त के अनुसार कंपनी द्वारा दायर किए गए शपथ–पत्र पर आपत्ति नहीं की है। इस मामले में माननीय

उच्च न्यायालय नैनीताल का निर्णय अभी प्रतीक्षित है। हालांकि लेखा बहियों में आवश्यक समायोजन शामिल कर दिए गए हैं।

6. (i) वर्ष के लिए उधार ली गयी कुल निधियों पर ब्याज ₹ 50114.46 लाख (विगत वर्ष ₹ 42155.41 लाख) बैठता है। उधार लागत की राशि के रूप में वर्ष के दौरान ₹ 10016.65 लाख (विगत वर्ष ₹ 5155.32 लाख) पूंजीकृत की गयी थी। इससे पहले वर्ष के दौरान अधिशेष उधार की निधियों पर अल्पावधि जमा पर मिले ब्याज की राशि ₹ 9.06 लाख (विगत वर्ष ₹ 11.78 लाख) को समायोजित कर दिया गया था।

(ii) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव राशि ₹ 963.89 लाख (विगत वर्ष ₹ 932.79 लाख) को प्रगति पर पूंजीगत कार्यों / परिसंपत्तियों में समायोजित किया गया है।

7. कोटेश्वर परियोजना में डायवर्जन सुरंग को 28 दिसम्बर, 2003 को पूंजीकृत किया गया था। पिछले वर्षों के दौरान डायवर्जन सुरंग के परिशोधन को सुरंग के अपेक्षित उपयोगी जीवन के ऊपर सीधी रेखा विधि से प्रभारित किया गया है। इसका उपयोग परियोजना की पहली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन के बाद बन्द हो जाएगा। पहली यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की संभावित निर्धारित तिथि 31 दिसम्बर, 2010 है। तदनुसार वर्ष के दौरान समायोजित की जाने वाली परिशोधन की दर 7.89% (पिछले वर्ष 11.05%) निकाली गयी। तथापि स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की निर्धारित तिथि 31 अक्तूबर, 2011 है।

8. (i) कंपनी के कर्मचारियों का वेतन संशोधन 01.01.2007 से देय है। वेतन संशोधन लागू होने तक इस कार्य के लिए अनुमान के आधार पर ₹ 4669.88 लाख (पिछले वर्ष ₹ 3126.29 लाख) का प्रावधान किया गया है। ऐसा करते हुए भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखा गया है।

(ii) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत टीएचडीसी शिक्षा प्रबंध बोर्ड एक स्वायत्त इकाई है टीएचडीसीआईएल वेतन, भत्तों और उपदान आदि पर हुई खर्च की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। ईएमबी में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन को ईएमबी द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है। चूंकि ईएमबी वेतनमान में संशोधन के कारण पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव को अभी निश्चित कर सूचित नहीं कर सकी इसलिए लेखा बहियों में इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

9. कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में देरी होने के कारण 114.22 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत ₹ 70.18 लाख रुपये (विगत वर्ष 107.05 एकड़ जिसका मूल्य ₹ 63.49 लाख थी) के हक विलेख अभी कंपनी के नाम से रजिस्टर किए जाने हैं।

10. (i) चालू पूंजीगत कार्य के अंतर्गत पुनर्वास खर्चों में कार्यों के निष्पादन / विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अधिग्रहीत की गयी 608.77 एकड़ (पिछले वर्ष 600.86 एकड़) जमीन की लागत के लिए ₹ 460.63 लाख (विगत वर्ष ₹ 437.71 लाख) राशि शामिल है।

इसके अलावा टिहरी एचपीपी चरण–I से संबंधित सीडब्ल्यूआईपी और ईडीसी के पुनर्वास के लिए ₹ 3467.34 लाख (विगत वर्ष ₹ 5720.60 लाख) वर्ष 2009–10 के दौरान पूंजीकृत किए गये, जिसमें शून्य एकड़ (विगत वर्ष 29.12 एकड़) जमीन के अधिग्रहण के लिए ₹ 177.84 लाख (विगत वर्ष ₹ 74.46 लाख) शामिल हैं।

(ii) पुनःस्थापन के लिए नये स्थानों पर विस्थापितों को आबंटित सम्पत्ति का पंजीकरण चल रहा है और इसकी देख–रेख उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, जिसे बांध के विस्थापितों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

(iii) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 17 / 23 अक्टूबर, 2002 के आदेश संख्या एफ सं. 8–3 / 89–एफ सी के अनुसरण में उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 के कार्यालय आदेश संख्या जीआई–186 / 7–1–2002–300(459) / 88 अंतर्गत कोटेश्वर बांध परियोजना (4X100 मेगावाट) के निर्माण के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्ष के पट्टे पर 338.932 हेक्टेयर सिविल सोयम तथा वन भूमि के डायवर्जन का आदेश जारी किया है। 337.057 हेक्टेयर के लिए पट्टा विलेख उत्तराखंड सरकार के साथ 01.01.2003 को निष्पादित किया जा चुका है। 1.875 हेक्टेयर वन भूमि के लिए पट्टा विलेख, जिसके लिए भुगतान किया जा चुका है, कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लम्बित है तथा पट्टा धारण भूमि के तौर पर दिखाया गया है। 338.932 हेक्टेयर में से 218.307 हेक्टेयर भूमि डूब क्षेत्र में आती है और बांध के पूरा होने पर पूंजीकृत किये जाने के लिए पुनर्वास के अंतर्गत दिखायी गयी है। डूब क्षेत्र के ऊपर 120.625 हेक्टेयर भूमि के बारे में ₹ 67.84 लाख की राशि को 30 वर्षों में परिशोधित किया जा रहा है।

(iv) कोटेश्वर बांध परियोजना (4X100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क दी गयी 14.37 एकड़ भूमि का हिसाब एक रुपये की सांकेतिक कीमत पर लगाया है।

(v) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 07.03.2007, 27.09.2007, 29.04.2008 और 29.12.2008 के आदेश सं. 08बी / यूसीपी / 06 / 305 / 2006 / एफसी / 2013, 967, 968 और सं. 08बी / यूसीपी / 06 / 312 / 2006 / एफसी / 144, 08बी / यूसीपी / 06 / 303 / 2008 / एफसी / 1585 द्वारा विष्णुगाड पीपलकोटी परियोजना में सड़क बनाने के लिए कंपनी के पक्ष में 30 वर्षों की अवधि के लिए 19.883 हेक्टेयर वन भूमि पट्टे पर देने के लिए मंजूरी दी गयी है जिसके लिए पट्टा प्रीमियम अदा कर दिया गया है। इस भूमि को लीज होल्ड के रूप में दिखाया गया है। लेकिन, इसके बारे में कानूनी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं।

11. (i) अचल परिसम्पत्तियों के वास्तविक सत्यापन के दौरान जो छोटी–मोटी कमियां पायी गयी हैं, उनकी जांच की जा रही है तथा कमियों को दूर किया जा रहा है। आवश्यक समायोजन अंतिम निस्तारण पर किया जाएगा।

(ii) वास्तविक लागत के अभाव में वास्तविक सत्यापन के दौरान अधिक पायी कुछ परिसम्पत्तियों को 1 रुपये प्रत्येक के सांकेतिक मूल्य पर दर्ज किया गया है।

12. अग्रिमों, देनदारों, लेनदारों तथा ठेकेदार के पास सामग्री के अंतर्गत दिखाये गये शेष पुष्टि / मिलान तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन हैं।

13. बैंकों के पास जमा शेष में ₹ 136.78 लाख (विगत वर्ष ₹ 136.78 लाख) शामिल हैं, जिसके संबंध में रॉयल्टी, स्पिलवे वृद्धि एवं विद्युत प्रभारों की वसूली के लिए संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ग्रहणाधिकार का प्रयोग किया गया है।

14. चल रही छानबीन के दौरान ₹ 1.85 लाख की क्षतियां / कमियां (विगत वर्ष ₹ 1.92 लाख) कमी के द्योतक हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन लम्बित होने के कारण दावों का समायोजन करना अभी बाकी है।

15. कंपनी को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार से उनके दिनांक 17.12.2008 के पत्र सं. 40 / 2 / 2008–सीएल–III के जरिये भारत सरकार को आबंटित शेयर पूंजी के 27787 इक्विटी शेयर (₹ 1000 प्रति) निरस्त करके शेयर पूंजी में ₹ 277.87 लाख कटौती की पुष्टि की सूचना मिली है। इसके लिए जरूरी प्रविष्टियां वर्ष 2008–09 में कर दी गयी हैं। ये कटौती पावर ग्रिड कॉरपोरेशन आफ इंडिया को ट्रांसमिशन लाइनों और संबद्ध सब–स्टेशनों के हस्तांतरण के एवज में मिली आंशिक क्रय राशि का द्योतक है। इस प्रकार इस मामले में कुल ₹ 1118.87 लाख की शेयर पूंजी की कमी, हुई जिसमें पहले 1998–99 में ₹ 841.00 लाख की गई कमी शामिल है।

16. (i) कंपनी द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर बने 35 फ्लैट (विगत वर्ष 75 फ्लैट) विभिन्न व्यक्तियों अनधिकृत कब्जे में कार्यवाही की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

(ii) 26 ई.सी. रोड, देहरादून में ₹ 20.10 लाख कीमत से टीएचडीसी परिसर में बने आवागमन कैम्प का इस्तेमाल टीएचडीसी तथा उत्तराखंड सरकार के उन विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है जो टिहरी बांध परियोजना के पुनर्वास कार्यों के लिए उत्तरदायी है। हालांकि पुनर्वास गतिविधियां पूरी होने के बाद ये परिसम्पत्तियां कंपनी के कब्जे में बनी रहेंगी।

(iii) फ्रीहोल्ड भूमि में 0.458 हेक्टेयर भूमि शामिल है जो सीतियाल गांव में है और जिस पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

17. संगम के अनुच्छेदों के अनुसार 1000 मेगावाट की टिहरी एचपीपी परियोजना के सिंचाई घटक के, जो कुल लागत के 20% के बराबर है, की लागत उपभोक्ता अंशदान के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जानी है। 31.03.2010 तक परियोजना पर उपगत कुल लागत ₹ 839245.05 लाख (विगत वर्ष ₹ 839245.05 लाख) परिकलित की गई थी जिसमें फार्मूले के अनुसार सिंचाई क्षेत्र की लागत ₹ 144133.80 लाख (विगत वर्ष ₹ 144133.80 लाख) बनती है। 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹ 144118.38 लाख (विगत वर्ष ₹ 139584.38 लाख) दे दिए हैं।

18. संगम अनुच्छेदों के खंड संख्या 61 (बी) के अनुसार सिंचाई क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले अनुरक्षण खर्च कंपनी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारस्परिक रूप से तय किये जाने हैं। पारस्परिक सहमति होने तक इसे उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिदेय नहीं दर्शाया गया है।

19. वर्ष 2007–08 के दौरान टिहरी एचपीपी ने उत्पादन स्टेशन का वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया गया है। प्रबंधन का मत है कि टिहरी एचपीपी–I का प्रतिनिधित्व करने वाले नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के संबंध में लेखाकरण मानक (एएस) 28 की दृष्टि से वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है।

20. (i) विद्युत उत्पादन इस कंपनी की व्यापारिक गतिविधि है। इसीलिए इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग पर लेखाकन मानक–17 के अनुसार कोई अन्य रिपोर्ट करने लायक खंड नहीं हैं।

(ii) कंपनी के विद्युत गृह देश के भीतर ही स्थित हैं। अतः इसके लिए भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

21. संबद्ध पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण :

लेखाकरण मानक –18 से संबद्ध "पक्षकार द्वारा प्रकटीकरण" में की गई अपेक्षा के अनुसार संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन का ब्यौरा इस प्रकार है:–

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

क) सम्बद्ध पक्षकार – प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

1	श्री आर एस टी शाई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री ए. एस. बिष्ट	निदेशक (कार्मिक)
3	श्री एस. के. शुक्ला	निदेशक (तकनीकी)*
4	श्री सी. पी. सिंह	निदेशक (वित्त)

*31 दिसम्बर, 2009 को अधिवर्षिता

ख) संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन–देन के सारांश (अनुबंधित जिम्मेदारियों को छोड़ कर) – शून्य

ग) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक नोट 42 पर दर्शाया गया है।

घ) टीएचडीसीआईएल, एनपीसीआईएल संयुक्त उद्यम गठित किए जाएंगे जैसा कि नोट 28 (i) में कहा गया है।

22. प्रति शेयर आय (ईपीएस) – मूल और परिवर्तित

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (मूल और परिवर्तित' इस प्रकार है

	2009–10	2008–09
करोपरांत निवल लाभ जिसका प्रयोग न्यूमरेटर के रूप में हुआ है (लाख रुपये)	47995.12	32520.62
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जिनका प्रयोग डिनोमीनेटर के रूप में हुआ है	32975817	32855009
प्रतिशेयर आय रुपये मूल	145.55	98.98
परिवर्तित	145.55	98.98
प्रति शेयर अंकित मूल्य	1000	1000

23. इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी "आय पर करों का लेखांकन" के लेखांकन मानक 22 के अनुपालन में ₹ 7502.67 लाख (विगत वर्ष ₹ 6740.98 लाख) जो कि आस्थगित देयता में कमी दर्शाता है, को लाभ एवं हानि खाते से प्रभारित किया गया है। 31 मार्च, 2009 तक की आस्थगित कर परिसंपत्तियां लाभग्राहियों को वापस की जाएंगी, उसके पश्चात वह सीईआरसी विनियम 2009–2014 के सीईआरसी विनियम के अनुसार वापस की जा सकती है। संचयी आस्थगित कर देयताओं / परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नवत है:

(₹ लाख में)

क्र.सं.		31.03.2010	31.03.2009
(i)	**आस्थगित कर देयताएं (ए)**		
	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	0	4109.32
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (बी)		
(ii)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	1410.32	0
(iii)	मूल्यह्रास के बाबत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	9625.04	8294.35
(iv)	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	81.14	5.99
(v)	कर्मचारी हित योजनाओं के लिए प्रावधान	2699.13	2121.94
	शुद्ध आस्थगित कर देयता (परिसम्पत्तियां) (ए–बी)	**(13815.63)**	**(6312.96)**

24. भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह वर्ष 2008–09 के दौरान 2007–08 के कर पूर्व लाभ 1% लाभ की दर से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधि के लिए तथा वर्ष 2009–10 के दौरान 2008–2009 के कर पूर्व लाभ के लिए 2% व्यय उद्ग्रहित कर ले। खर्च न हुए राशि के लिए व्यपगम न करने योग्य सीएसआर अधिक के रूप में प्रावधान किया गया है।

25. प्रबंधन की राय में अचल परिसम्पत्तियों, निर्माण संबंधी भंडारों, वसूले गये ऋणों और अग्रिमों के मूल्य तुलन–पत्र में दर्शाये गये मूल्य से कम नहीं होंगे।

26. (क) कंपनी के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ऐसे आपूर्तिकर्ता / सेवा प्रदाता नहीं हैं जिन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत 31 मार्च, 2010 तक सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में परिभाषित किया गया है।

(ख) 31 मार्च, 2010 के लघु / सहायक उद्योगों से की गई खरीददारी / सेवाओं के संबंध में 30 से अधिक दिन से अधिक कोई देयता नहीं है।

27. इस्तेमाल में लाए गए अतिरिक्त पुर्जों और घटकों का मूल्य

	%	चालू वर्ष (रुपये लाख में)	%	विगत वर्ष (रुपये लाख में)
आयातित	0	शून्य	0	शून्य
स्वदेशी	100	33.81	100	56.91

28. (i) महाराष्ट्र सरकार ने अपने दिनांक 21.04.2008 के पत्र सं. एमआईएस – 1207 / (126 / 2007) / एचपी के जरिये टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के अभी निगमित किये जाने वाले संयुक्त उद्यम को दो परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण का काम सौंपा है। इन परियोजनाओं के नाम हैं – धुले जिले में कालू नदी पर मालशेज घाट (600 मेगावाट) और सतारा जिले में कोयना परियोजना की अपस्ट्रीम पर बनायी जाने वाली हुम्बर्ली (400 मेगावाट)। इसके लिए टीएचडीसी और एनपीसीआईएल के बीच अगस्त, 2008 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं और सर्वेक्षण तथा अन्वेषण का काम शुरू कर दिया गया है और 31 मार्च, 2010 तक टीएचडीसी ने इस पर ₹ 253.52 लाख (पिछले वर्ष ₹ 28.79 लाख) खर्च किये गए हैं। इसे संयुक्त उद्यम से घसूली योग्य दर्शाया गया है।

(ii) इसके अलावा भारत सरकार ने दिनांक 22.07.2008 के अपने डी.ओ. नं. 11 / 01 / 2008–बीबीएमबी के जरिये वांगचू, भूटान के डीपीआर को संकोश परियोजना (4060 मेगावाट), संकोश और बुनाखा एचईपी (180 मेगावाट) अद्यतन करने का काम टीएचडीसी को सौंपा है। तदनुसार डीपीआर को अद्यतन करने का काम शुरू कर दिया गया है।

इन परियोजनाओं के डीपीआर के स्तरोन्नयन के लिए क्रमश: 23.3.10 और 24.6.10 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और भूटान की शाही सरकार के बीच करार किए गए । इन करारों के अनुसार क्रमश: संकोश एचई परियोजना और बुनाखा एचई परियोजनाओं के स्तरोन्नयन ₹ 1682.075 लाख और ₹ 1378.75 लाख की राशि भूटान की शाही सरकार द्वारा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को दिया जाना है।

कंपनी संकोश और बुनाखा परियोजनाओं पर 31.3.10 तक ₹ 602.15 लाख (विगत वर्ष ₹ 294.25 लाख) खर्च किए और इसे अवसूलनीय दर्शाया गया।

29. भारत सरकार के निर्देशानुसार कंपनी धरणावत पर्यंत के स्थिरीकरण के काम में एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में उत्तराखंड सरकार की मदद कर रहा है व्यय हुए खर्च की प्रतिपूर्ति उत्तराखंड सरकार द्वारा की जानी है। इस सिलसिले में ₹ 677.37 लाख (पिछले वर्ष ₹ 566.36 लाख) के विरूद्ध ₹ 239.77 लाख कंपनी को पहले ही वापस किये जा चुके हैं।

30. भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 1998 में किये गये निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड सरकारों को योजना की पुनर्वास गतिविधियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इनका संचालन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गयी निधियों में से सीधे उन्हीं के द्वारा किया जाना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये समेकित व्यय विवरण के अनुसार उद्ग्रहित व्यय कंपनी के लेखा बहियों में दर्ज किया गया है जो उत्तराखंड सरकार से संबंधित प्रभागों द्वारा महालेखाकार, उत्तराखंड को दिये गये मासिक विवरण के आधार पर समेकित किया जाता है। पुनर्वास काम में लगे उत्तराखंड सरकार के कार्मिकों के स्थापना खर्च प्राप्त लेखा विवरण में दर्शायी गयी सीमा तक दर्ज किये गये हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा की गयी सीधी प्रतिपूर्ति का हिसाब–किताब उनके लिए दावे मिलने पर किया जायेगा।

31. निर्धारित हानियों का लेखांकरण अंतिम बिलों / सुपुर्दगी अनुसूची के निस्तारण पर किया जाता है।

32. टिहरी बांध के गृह विस्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए केदारपुरम् में निर्मित भवनों और भूमि की कीमत अवर्गीकृत भूमि में शामिल की गई है। गृह विस्थापितों को आवंटित न की गई कुछ गौण भूमि और भवन का इस्तेमाल कंपनी कर रही है। इसका स्वामित्व अभी कंपनी को अंतरित नहीं किया गया है। लागत के ब्यौरों को पुनर्वास रिकार्ड से संबद्ध करना संभव होने के कारण इसे भूमि और भवन को अंतरित नहीं किया गया है।

33. (i) पावरहाउस एवं स्पिलवेज संविदा प्रावधानों के अनुसार मात्रा विभिन्नता के लिए छूट हेतु मैसर्स केसीटी एंड ब्रदर्स सी.एस. लिमिटेड (केसीटी) से वसूली हेतु नैनीताल हाईकोर्ट में कंपनी द्वारा प्रतिवाद किया गया है। अदालत के आदेशों के अनुसार ये मामले माध्यस्थम को सौंप दिये गये हैं। यह मामला अभी आरबिट्रल ट्रिब्यूनल के पास लम्बित है। इन ठेकों के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का मूल्य मुकदमे के फैसले पर निर्भर करेगा।

(ii) ठेकेदारों को दिये गये अग्रिम में ₹ 13182.43 लाख (मूलधन ₹ 10983.72 लाख और 16% की दर से ब्याज ₹ 2198.71 लाख) (गत वर्ष ₹ 7621.00 लाख, मूलधन 6674.35 लाख रुपये और 16% की दर से ब्याज ₹ 946.65 लाख) शामिल हैं जो कैएचइपी ठेकेदार (मैसर्स पीसीएल) के खर्च और जोखिम पर शक्ति प्रदत्त समिति द्वारा निष्पादित किये गये हैं। 31 मार्च, 2010 तक टीएचडीसी के पास उपलब्ध प्रतिभूति (निष्पादन गारंटी / नगद के रूप में कवल ₹ 5628.71 लाख) (गत वर्ष ₹ 4095.987 लाख) उपलब्ध है।

34. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने मार्च 2004 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (निबंधन और शर्तें) विनियम, 2004 अधिसूचित किया था। ये विनियम 01.4.2004 को लागू हुए और 5 वर्षों तक लागू रहें। कंपनी ने सीईआरसी की विनियमावली, 2004 के निर्धारित सिद्धांतों के अनुसरण में अनंतिम टैरिफ निर्धारण के लिए कंपनी ने सीईआरसी के समक्ष याचिका दायर की। सीईआरसी ने 28 दिसम्बर, 2006 को अनन्तिम टैरिफ आदेश जारी करते हुए कहा कि अनुमोदित टैरिफ एक अनंतिम उपाय है तथा याचिका में दावा किए गए वार्षिक नियत प्रभारों का अल्पीकरण करने वाला है। तद्नुसार 31.3.2007 तक की अवधि के लिए गौण ऊर्जा एवं क्षमता सूचकांक की कोई गणना नहीं होगी। इस प्रतिकूल आदेश के खिलाफ कंपनी ने विद्युत के लिए माननीय अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर की जिसने अपने दिनांक 02.07.2007 के आदेश में कहा है कि आयोग अंतिम टैरिफ निर्धारित करते समय सम्मिलित पक्षकरों के सभी सुसंगत तथ्यों पर विचार करेगा।

वर्ष 2007–2008 के दौरान अंतिम यूनिट अर्थात टिहरी चरण–I उत्पादन केन्द्र की पहली यूनिट को 08.07.2007 को वाणिज्यिक प्रचालन के लिए चालू घोषित किया तथा याचिका को 07.07.2007 तक लेखा परीक्षित एवं प्रमाणित खर्चों के आधार पर अद्यतन किया गया। बाद में सीईआरसी ने 14.03.08 के अपने आदेश द्वारा सूचित किया कि उत्पादन केन्द्र की अंतिम यूनिट यानि टिहरी चरण–I की यूनिट–I के वाणिज्यिक प्रचालन कि तिथि 09.07.2007 के 00.00 बजे से गिनी जाएगी। तद्नुसार कंपनी 08.07.2007 तक के लिए आईडी सी तथा एसोसिएटेड लागतों की हकदार होगी।

संशोधित लागत अनुमानों को सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने तक निर्धारित तिथि अर्थात 31.3.2009 तक के व्यय को, अंतिम इकाई अर्थात 09.07.2007 तक के वाणिज्यिक उत्पाद की तारीख को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षित और प्रमाणित एएफसी को वर्ष 2009–2010 वित्त वर्ष में शामिल कर लिया गया है। सीईआरसी द्वारा विनियम, 2009 में निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण करते वर्ष 2009–2010 के लिए एएफसी की गणना कर ली गई है तथा उसे सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित करा लिया गया है। तद्नुसार कंपनी ने ₹ 143291.92 लाख की बिक्री का बिल दिया है जिसमें गौण ऊर्जा प्रभारों का ₹ 2250.99 (पूर्ववर्ती वर्ष का ₹ 111349.39 लाख जिसमें ₹ 523.93 लाख गौण ऊर्जा प्रभार भी) शामिल है। वर्ष के दौरान ₹ 5221.42 लाख बिक्री के रूप में है और ऊर्जा प्रभार तथा गौण ऊर्जा प्रभार के ₹ 2250.99 लाख शामिल है जो निर्धारित तारीख तक व्यय और डिज़ाइन ऊर्जा में संशोधन के आधार पर एएफसी में संशोधन के परिणामस्वरूप विगत वर्ष के हैं। ₹ 3914.97 लाख मूल्यह्रास के लिए अग्रिम (एएडी)की पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में है। सीईआरसी द्वारा प्रशुल्क का निर्धारण होने तक वर्ष के लिए राजस्व अनंतिम रूप से तय किया गया है। सीईआरसी के अनुसार परिगणित एएफसी और प्रशुल्क को अंतिम रूप दिए जाने तक सीईआरसी द्वारा अनुमत्य अनंतिम दर के बीच बिलों में अंतर आने के कारण कर्जदारों पर ₹ 56825.35 लाख हैं।

35. वर्ष के दौरान कंपनी ने सीईआरसी (निर्वलमान विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के तहत गठित तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत मान्यताप्राप्त निकाय) द्वारा टैरिफ वसूली के लिए अधिसूचित दरों पर वर्ष के दौरान मूल्यह्रास का प्रावधान किया है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दरों से अलग है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने टैरिफ नीति अधिसूचित की है, जिसमें सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास दरों को टैरिफ के साथ–साथ लेखाकरण के लिए लागू करने का भी प्रावधान किया गया है। सीईआरसी द्वारा टैरिफ नीति के अनुसार मानदण्डों के तय होने तक वर्तमान टैरिफ नीति मानदंडों 2009–14 के तहत अधिसूचित दरों को वर्ष 2009.2014 के लिए मूल्यह्रास निकालने के लिए ठीक समझा गया है।

36. सीईआरसी विनियम 2004–2009 के तहत प्रशुल्क के घटक के रूप में अनुमत्य मूल्यह्रास के लिए अग्रिम बिक्री से घटाकर आस्थगित राजस्व मान लिया गया था जिसका समायोजन बाद के वर्षों में बिक्री में किया जाना था। सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार इस 01.04.2009 से समाप्त कर दिया गया है।

37. कम्पनी ने कर्मचारियों/कार्यालयों/अतिथिगृहों/आवागमन कैम्पों तथा वाहनों के लिए परिसर पट्टे/किराये पर लिए हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं प्रायः आपसी सहमति से तय शर्तों पर नवीकृत की जा सकती हैं लेकिन इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। किराया दर तथा करों में पट्टा भुगतान के लिए 402.72 लाख रुपये (गत वर्ष 335.26 लाख रुपये) शामिल है। (निवल वसूली)

38. कम्पनी निम्नलिखित के अनुसार भी प्रावधान किए हैं :–

₹ लाख में

क्रमांक	विवरण	प्रारंभिक शेष	अभिवृद्धि	प्रयुक्त/सभायोजन	अंतिम शेष
1.	निर्माण	3990.32	3264.84	3552.25	3702.91
2.	कर्मचारियों से संबंधित	16683.74	4358.11	1105.01	19936.84
3.	प्रस्तावित लाभांश	2800.00	8500.00	2800.00	8500.00
4.	अंतरिम लाभांश पर कर	0.00	1019.70	1019.70	0.00
5.	प्रस्तावित लाभांश पर कर	475.86	1444.58	475.86	1444.58
6.	अन्य	417.46	3689.19	892.28	3214.37
	योग	**24367.38**	**22276.42**	**9845.1**	**36798.70**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि निर्माण, कर्मचारियों, प्रस्तावित लाभांश, अंतरिम लाभांश पर कर, प्रस्तावित लाभांश पर कर तथा कर एवं अन्य का प्रावधान किया है। निर्माण कार्य में मुख्यतः 31.03.2010 की गैर–मापित निर्माण कार्य शामिल हैं। कर्मचारियों के लिए प्रावधान में लेखाकरण नीति सं. II (i) के तहत छुट्टी नगदीकरण, उपदान, सेवा निवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ, अंतिम संस्कार, बैगज भत्ता तथा वेतन बकाया, आदि शामिल है। अन्य में आयकर, संपत्ति कर पुनर्धास एवं पुनर्स्थापन, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आदि शामिल हैं।

39. (i) कम्पनी पूर्व निर्धारित दरों से भविष्य निधि का निश्चित अंशदान एक अलग ट्रस्ट को अदा करती है जो इस राशि को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में निवेश करता है। अवधि के लिए निधि के अंशदान को खर्च माना जाता है तथा लाभ एवं हानि खातों से प्रभारित किया जाता है। यह ट्रस्ट सदस्यों के अंशदान पर श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर भुगतान करता है। हालांकि, कम्पनी की प्रतिबद्धता ऐसे नियत अंशदान एवं ट्रस्ट द्वारा ब्याज प्रतिबद्धता, होने वाली कमी को पूरी करने तक सीमित है। तद्नुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार 31.01.2010 को एएस–15 (संशोधित) के अनुसार भविष्य निधि के लिए संवैधानिक ब्याज दर गारंटी के कारण देनदारी ₹ 320.00 लाख (विगत वर्ष ₹ 211.22 लाख) होती है जब कि तुलन–पत्र के तारीख को राजस्व अधिशेष ₹ 219.97 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 254.79 लाख) उपलब्ध थी। इसीलिए 100.03 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) के अंतर के देयता खातों दी गई है।

(ii) "कर्मचारियों को लाभ" के संबंध में एएस–15 के प्रावधानों के तहत प्रकटीकरण करना। 31.03.2010 को किए गए वास्तविक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार "कर्मचारियों को लाभ" के संबंध में लेखांकन मान 15 के प्रावधानों के तहत 31.3.2010 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण किया गया है।

सारणी – 1 निम्नलिखित पर एक्यूरियल मूल्यांकन के लिए प्रमुख एक्यूरिल अनुमान

₹ लाख में

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
मृत्यु सारणी	एलआईसी (1994–96) विधिवत संशोधित	एलआईसी (1994–96) विधिवत संशोधित
छूट की दर	7.5%	7%
भावी वेतन वृद्धि	5%	4.5%

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	एलटीसी	बैगेज भत्ता/सेवानिवृत्ति एवार्ड
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	5592.76	3042.82	1349.40	2468.60	433.86	541.81
ब्याज लागत	419.46	228.21	101.21	185.14	32.54	40.64
गत सेवा लागत	—	—	—	—	—	—
वर्तमान सेवा लागत	451.40	184.31	59.45	185.24	227.79	52.43
भुगतान किया गया लाभ	(198.85)	(946.84)	(15.82)	(57.15)	(304.75)	(50.97)
एक्यूरियल (लाभ/हानि)	794.81	221.14	19.75	198.43	60.60	(88.06)
वर्ष के अंत में पी वी ओ	6985.46	2729.64	1513.99	2980.27	450.04	495.85

सारणी–3 तुलन–पत्र में चिन्हित राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	एलटीसी	बैगेज भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड
वर्ष के अंत में पीवीओ	6985.46	2729.64	1513.99	2980.27	450.04	495.85
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—	—	—	—	—
निधियों की स्थिति	(6985.46)	(2729.64)	(1513.99)	(2980.27)	(450.04)	(495.85)
चिन्हित न हुए एक्चूरियल लाभ/हानि	—	—	—	—	—	—
तुलन–पत्र में चिन्हित शुद्ध देयता	6985.46	2729.64	1513.99	2980.27	450.04	495.85

सारणी– 4 लाभ और हानि खाते/ईडीसी में चिन्हित राशि

₹ लाख में

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	अस्वस्थता अवकाश	एलटीसी	बैगेज भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड
चालू सेवा लागत	451.4	184.31	59.45	185.24	227.79	52.43
ब्याज लागत	419.46	228.21	101.21	185.14	32.54	40.64
गत सेवा लागत	—	—	—	—	—	—
योजनागत परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल	—	—	—	—	—	—
वर्ष के लिए चिन्हित नियल एक्चूरियल (लाभ)/हानि	794.81	221.14	19.75	198.43	60.60	(88.06)
वर्ष के लिए लाभ और हानि ईडीसी में चिन्हित व्यय	1591.55	633.66	180.40	568.82	320.93	5.01

40. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के तहत देय उपकर की दर अधिसूचित नहीं की है इसलिए कंपनी ने कारोबार पर किसी प्रकार के उपकर का प्रावधान नहीं किया है।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

41. लेखांकन नीति में परिवर्तन

क्र.सं.	नीति	प्रभाव
1.	अवर्गीकृत भूमि से जुड़ी लेखांकन नीति सं. 5 (i) में संशोधन "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 35 वर्ष के लिए जाने वाली परियोजना की उपयोगी अवधि के संबंध में और परिशोधन किया जाना" शब्द सीईआरसी विनियम 2009– 2014 में प्रावधान किए पृथक मूल्यह्रास दर को देखते हुए हटा दिये गये हैं।	मूल्यह्रास में ₹ 581.17 लाख की बढ़ोत्तरी तथा निवल ब्लाक में समनुरूपी ₹ 581.17 लाख की कमी
2.	₹ 5000 तक की परिसंपत्ति की लागत लगाने से जुड़ी लेखांकन नीति 8 (iii) में संशोधन। परंतु 15,00.00 से अधिक नहीं शब्द (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जोड़ दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ₹ 1500.00 तक की लागत वाले कम मूल्य के मदों जो परिसंपत्तियों के स्वरूप में है तथा पूंजीगत रूप नहीं प्राप्त है तथा जिन पर राजस्व नहीं उद्ग्रहित किया गया है, के लिए नई लेखांकन नीति संख्या 8 (ii) शुरू की गई है।	अचल परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक में ₹ 6.17 लाख की कमी तथा संचित मूल्यह्रास में ₹ 6.17 लाख की समनुरूपी कमी। इसलिए निवल ब्लाक में कोई परिवर्तन नहीं। अन्य व्यय ₹ 6.17 लाख की वृद्धि मूलयह्रास में ₹ 6.17 लाख की समनुरूपी कमी इसलिए व्यय में कोई परिवर्तन नहीं।
3.	जिन परिसंपत्तियों पर कंपनी का स्वामित्व नहीं है उसके पूंजी व्यय से संबंधित लेखांकन नीति से 8 (vi) में संशोधन	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि यह परिवर्तन विस्तार और स्पष्टता लाने के लिए किया गया है।
4.	आय पुनर्गठन से संबंधित लेखांकन नीति सं. 10(i) में संशोधन किया गया है। सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार "आयकर के लिए वसूली" शब्द हटा दिए गए हैं।	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि आय कर वसूली को इक्विटी संबंधी विवरणी (रिटर्न) में शामिल कर लिया गया है जो कि प्रशुल्क का घटक है।
5.	सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुसार मूल्यह्रास के लिए अधिभ से जुड़ी लेखांकन नीति संख्या 10 (iii) हटा दी गई है।	लाभ पर कोई प्रभाव नहीं क्योंकि एएडी बिक्री से घटा ली गई थी और पूर्ववर्ती वर्षों में आस्थगित आय के रूप में दर्शाई गई थी।
6.	बीमा दावे के लेखांकन से संबंधित लेखांकन नीति संख्या 10 (vi) संशोधित कर दी गई है।	बीमा दावे में प्राप्त ₹ 66.12 लाख की कमी और बीमा दावे उधारी खाते में समनुरूपी कमी
7.	नई लेखांकन नीति संख्या 9 (xi) कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति शुरू की गई है।	₹ 752.78 लाख के प्रावधान की वृद्धि अभी ₹ 752.78 लाख व्यय में वृद्धि
8.	सीईआरसी विनियम 2009–2014 के अनुरूप आय संबंधी करों से जुड़ी लेखांकन नीति संख्या 13 में संशोधन कर दिया गया है।	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि आय कर वसूली को इक्विटी संबंधी विवरणी (रिटर्न) में शामिल कर लिया गया है जो कि प्रशुल्क का घटक है।

42. निदेशकों को भुगतान किया गया/भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक

₹ लाख में

		2009–10	2008–2009
(i)	वेतन और भत्ते	46.38	65.78
(ii)	भविष्य निधि में अंशदान	5.32	7.55
(iii)	अन्य लाभ	28.74	47.43
(iv)	निदेशकों की फीस	3.60	2.30
(v)	निदेशकों का यात्रा भत्ता	7.21	23.72

उपर्युक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को ₹780/– प्रतिमाह का भुगतान निजी यात्रा के लिए स्टाफ कार की अनुमति दी गई है। जैसाकि उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 26 मार्च, 1999 के परिपत्र संख्या 2(53)/90–डीपीई(डब्ल्यूसी)–जीआईवी के प्रावधानों के अनुसार लागू है।

43. लेखा परीक्षकों को भुगतान

₹ लाख में

	2009–10	2008–2009
लेखा परीक्षा शुल्क (सेवाकर सहित)	3.03*	3.03
अन्य क्षमता में	8.16	2.08
आउट ऑफ पाकेट एक्सपेंसेस	4.48	2.72

*वार्षिक आम सभा में अनुमोदन के अधीन

44. विदेशी मुद्रा (नकद आधार पर) में प्राप्त व्यय

विवरण	2009–10	2008–09
यात्रा	36.3	38.11
परामर्श और व्यावसायिक प्रभार	230.8	1291.24
प्रबंधन/वचनबद्धता शुल्क	0	0.15
ऋण एवं ब्याज की अदायगी	2660.36	3180.85
माल का आयात	66.77	179.33
अन्य (संचालन प्रभार)	6.68	47.33
कुल	**3000.91**	**4737.01**

45. (i) सीआईएफ आधार पर परिगणित आयात का मूल्य

₹ लाख में

	2009–10	2008–2009
पूंजी माल	180.37	207.31
(ii) वर्ष के दौरान निर्यात का मूल्य	शून्य	शून्य

46. लाइसेंस शुदा तथा संस्थापित क्षमताएं :

क्र.सं.	विवरण	2009–10	2008–09
(i)	लाइसेंसशुदा क्षमता (मे.वा.)	लागू नहीं**	लागू नहीं**
(ii)	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	1000 मे.वा	1000 मे.वा
(iii)	अनुमोदित क्षमता (मे.वा) –(सीसीईए द्वारा निवेश अनुमोदन पर आधारित)	2400 मे.वा	2400 मे.वा
(iv)	बिजली के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में मात्रात्मक (मिलियन यूनिटों में) सूचना		
	(क) पूर्व–वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	शून्य	शून्य
	बिक्री	शून्य	शून्य
	(ख) वाणिज्यिक अवधि		
	उत्पादन	2116.791811 एम.यू.	3164.234384 एम.यू.
	बिक्री (गृह राज्य को निःशुल्क विद्युत देने और अनुषंगी खपत के बाद निवल)	1840.412391 एम.यू.	2751.111857 एम.यू.

** विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 7 के अनुसार कोई भी उत्पादक कंपनी, इस अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन स्टेशन स्थापित कर सकती है। इसलिए लाइसेंस शुदा क्षमता लागू नहीं है।

47. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए यथावश्यक पुनः समूहबद्ध/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

48. अनुसूची '1' से '25' लेखों के अभिन्न अंग हैं।

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या – 84072

दिनांक : 13.08.2010
स्थान : नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के तहत आवश्यक अतिरिक्त सूचनाएं

राशि ₹ हजार में

तुलन पत्र सार और कंपनी का सामान्य व्यापार प्रोफाइल	
i) पंजीकरण का ब्यौरा	
पंजीकरण संख्या	00009822
राज्य का कोड	00000020
तुलन पत्र की तारीख	31 मार्च, 2010
ii) वर्ष के दौरान उगाही गई पूंजी	राशि ₹ हजार में
पब्लिक इश्यू	शून्य
राइट इश्यू	शून्य
प्राइवेट प्लेसमेंट	
(i) भारत सरकार को जारी शेयर (संख्या) (निवल)	शून्य
(ii) उत्तर प्रदेश सरकार को जारी शेयर (संख्या)	शून्य
शेयर पूंजी अंशदान लंबित आबंटन	
भारत सरकार	शून्य
उत्तर प्रदेश सरकार	शून्य
बोनस मुद्दा	शून्य
iii) निधियां एकत्र करने और लगाने की स्थिति	
कुल देयताएं	10,85,76,463
कुल परिसंपत्तिशां	10,85,76,463
निधियों के स्रोत	
प्रदत्त पूंजी	3,29,75,817
पूंजी लंबित आबंटन	शून्य
आरक्षित और अधिशेष जिसमें जीओयूपी का अंशदान शामिल है	2,15,29,823
प्रतिभूति ऋण	4,52,60,173
अप्रतिभूमि ऋण	8,17,326
मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व	28,33,089
निधियों का उपयोग	
निवल स्थिर परिसंपत्तियां	7,54,56,935
निर्माण स्टोरों और अग्रिमों सहित पूंजी कार्य प्रगति पर	2,30,71,727
निवेश	—
आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	7,50,267
निवल चालू परिसंपत्तियां	41,33,699
विविध व्यय	3,600

राशि ₹ हजार में

iv) कंपनी निष्पादन	
कारोबार (अन्य आय सहित)	1,42,39,066
कुल व्यय	93,32,457
कर पूर्व लाभ/हानि	49,06,609
करोपरांत लाभ/हानि	47,99,512
प्रति शेयर आय (रू.)	145.55
लाभांश दर (%)	4.39
v) प्रमुख उत्पाद/कंपनी सेवा का सामान्य नाम	
मद कोड संख्या	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	विद्युत का उत्पादन

(एस. क्यू. अहमद)
कंपनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 13.08.2010
स्थान : नई दिल्ली

वर्ष 2009-2010 के लिए नगदी प्रवाह का विवरण

राशि हजार रूपए में
(कोष्ठक में दिये गये आकड़े कमी के द्योतक हैं)

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
क. परिचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
कर पूर्व निवल लाभ तथा पूर्वानिधि समायोजन		**49,19,002**		**36,97,890**
निम्नलिखित के लिए समायोजन :–				
मूल्यह्रास	34,58,440		16,50,592	
प्रावधान	22,107		674	
मूल्यह्रास बाबत अग्रिम–आरक्षगेत	3,91,497		12,00,526	
ऋणों पर ब्याज	40,69,210		36,83,281	
ग्राहकों को छूट	1,14,701		1,35,680	
पूर्व अवधि समायोजन	(12,393)	80,43,562	(25,359)	66,45,394
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रवलित लाभ		**1,29,62,564**		**1,03,43,284**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजन				
वस्तु सूची	(18,441)		(36,709)	
विविध देनदार	(38,32500)		9,08,596	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	2,990		4,287	
ऋण और अग्रिम	(52,337)		5,95,396	
चालू देयताएं	(1,75,324)		(6,95,873)	
प्रावधान	12,43,132	(28,32,480)	11,60,410	19,36,107
परिचालनों से नकद अर्जन		**1,01,30,084**		**1,22,79,391**
चुकता प्रत्यक्ष कर		(8,57,364)		(4,20,469)
परिचालनों से निवल रोकड़	**(क)**	**92,72,720**		**1,18,58,922**
ख. निवेश गतिविधियों में परिवर्तन से नगदी प्रवाह:–				
अचल परिसंपत्तियां एवं सीडब्ल्यूआईपी	(64,94,495)		(71,75,448)	
निर्माण भण्डार	(15,164)		3574	
पूंजी अग्रिम	(3,29,848)		(7,54,807)	
विविध व्यय (समायोजित न की जाने वाली सीमा तक)	1,226		1,319	
निवेश गतिविधियों से निवल प्रवाह	**(ख)**	**(68,38,281)**		**(79,25,362)**
ग. वित्त–पोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह	–		**(27,787)**	
अंश पूंजी	4,53,400		8,87,199	
सिंचाई अंशदान	124		20,400	
अन्य आरक्षित पूंजी	26,35,129		(3,12,219)	
ऋण	(40,69,210)		(36,83,281)	
ऋणों पर ब्याज	(1,14,701)		(1,35,680)	
ग्राहकों को छूट	(16,96,428)		(11,46,551)	
लाभांश एवं लाभांश पर कर				
वित्त–पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ग)		**(27,91,686)**		**(43,97,919)**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

वर्ष 2009-2010 के लिए नगदी प्रवाह का विवरण

राशि हजार रूपए में
(कोष्ठक में दिये गये आकड़े कमी के द्योतक हैं)

विवरण	31/03/2010 को समाप्त वर्ष		31/03/2009 को समाप्त वर्ष	
	₹	₹	₹	₹
घ. वर्ष के दौरान निवल नगदी प्रवार (क+ख+ग)		**(3,57,247)**		**(4,64,359)**
ड. प्रारंभिक नगद और नगदी समतुल्य		**5,88,117**		**10,52,476**
च. अंतिम नगदी और नगदी के समकक्ष (घ+ड+)		**2,30,870**		**5,88,117**

1. नगदी और नगदी समतुल्य में बैंकों में शेष ₹ 136.78 लाख (पिछले वर्ष ₹ 136.78 लाख) है जो कारपोरेशन द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आकड़े को पुनः एकत्रित/व्यवस्थित/दर्शित किया गया है।

(एस. क्यू. अहमद)
कम्पनी सचिव

(सी. पी. सिंह)
निदेशक (वित्त)

(आर. एस. टी. शाई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार
सदस्यता संख्या–84072

दिनांक : **13.08.2010**
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सभी सदस्य

1. हमने 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लि. के संलग्न तुलन–पत्र तथा उसके साथ ही संलग्न उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि खाते तथा नगदी प्रवाह विवरण की भी लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अपनी राय जाहिर करना है।

2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उक्त मानकों में अपेक्षित है कि हम यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत कथनों से मुक्त हैं, लेखा परीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार पर राशियों के अनुसमर्थक साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटनों की जांच करना शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का मूल्यांकन करने के साथ–साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को युक्त संगत आधार प्रदान करती है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4ए) के अनुसरण में केन्द्रीय भारत सरकार द्वारा जारी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के साथ पठित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथापेक्षित तथा हमारे द्वारा उचित समझी गयी जांचों के अनुसार और हमें दी गयी सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अनुलग्नक में इस कंपनी पर लागू सीमा तक उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न कर रहे हैं।

4. हम आपका ध्यान निम्नलिखित की तरफ भी आकर्षित कर रहे हैं–

(क) अनुसूची 25 की टिप्पणी संख्या 5 – उत्तराखंड सरकार द्वारा अतिरिक्त जगह के लिए 31 मार्च, 2010 को देय ₹ 5880.00 लाख की बाकी राशि रॉयल्टी के लिए देयों के समायोजन के बाद भी अभी वसूल करनी बाकी है।

(ख) अनुसूची 25 की टिप्पणी संख्या 10 (i) शीर्ष 'अवर्गीकृत भूमि' के तहत खातों में पूंजीकृत ₹ 3467.34 लाख के पुनर्वास व्यय को उत्तराखंड सरकार / सरकारी प्राधिकारियों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर खातों में शामिल किया गया है और इस प्रकार यह सत्यापन के अध्यधीन नहीं है।

(ग) अनुसूची 25 की टिप्पणी संख्या 12 – फुटकर लेनदार, फुटकर देनदार, प्रतिभूति जमा / धरोहर राशि जमा, ऋण एवं अग्रिम सभी पुष्टि एवं समाधान के अध्यधीन हैं।

(घ) अनुसूची 25 की टिप्पणी संख्या 16 (i) यह कॉरपोरेशन द्वारा अधिग्रहीत भूमि पर 35 पलॉटों (गत वर्ष 75 पलॉटों) पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जों से संबंधित है।

(ङ) अनुसूची 25 की टिप्पणी संख्या 34 बिक्री का लेखांकन सीईआरसी द्वारा टैरिफ को अंतिम रूप से तय करने तक अन्तिम आधार पर किया जा रहा है।

5. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक में अपनी टिप्पणी के आगे तथा उपर्युक्त पैराग्राफ 4 में दी गई अन्य मदों पर ध्यानाकर्षित करते हुए हम सूचित करते हैं कि–

(क) अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमने अपनी परीक्षा के लिए जरूरी सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।

(ख) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित खातों की उचित बहियां रखी गयी हैं, जैसा कि हमारे द्वारा बहियों की जांच करने से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता तथा नगदी प्रवाह के विवरण खाता बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाता एवं नगदी प्रवाह विवरण, जिन्हें इस रिपोर्ट के साथ दिखाया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 17.7.2003 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 829 (ई) के मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) का खंड (जी), जो निदेशकों को अयोग्य ठहराने से संबंधित है, का प्रावधान इस सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होता।

6. हमारी राय में एवं सर्वश्रेष्ठ सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त खाते, जिन्हें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पढ़ा जाए एवं उन पर टिप्पणियां, जो उसके साथ संलग्न हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना निर्धारित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार सच्ची एवं उचित तस्वीर प्रकट करते हैं–

(क) तुलन–पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च, 2010 की कंपनी की कार्य स्थिति की।

(ख) लाभ एवं हानि के खाते के मामले में, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की, तथा

(ग) नगदी प्रवाह विवरण के मामले में इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नगदी प्रवाह की।

कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
रजि. नं. 002871N

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार, एफसीए
सदस्यता संख्या–84072

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13.08.2010

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक

(इसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में संदर्भित अनुलग्नक)

1. **इसकी अचल परिसंपत्तियों के संबंध मे –**

(क) कंपनी ने सामान्य रूप से अचल परिसंपत्तियों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्ड रखा है। लेकिन अचल परिसंपत्तियो की पहचान संख्या डालने की प्रक्रिया चल रही है। कुछ मामलों को छोड़कर इन परिसंपत्तियो के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की भौतिक जाच सनदी लेखाकारो की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गयी है। तथा सत्यापन के दौरान जानकारी मे आई विसगतियो को खाता बहियो में उचित प्रकार से दर्शाया गया है हालांकि ये विसंगतियां महत्वपूर्ण नही हैं। हमारी राय में आकार को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के लिए बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।

2. **इसकी वस्तुसूचियों के संबंध मे –**

(क) वस्तुसूची की वास्तविक जांच प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर की गई है।

(ख) कंपनी के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान मे रखते हुए प्रबंधन द्वारा अपनाई गयी वस्तुसूची की जांच की प्रक्रिया उचित तथा पर्याप्त है।

(ग) कंपनी ने वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रखा है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर मे शामिल कंपनियों, फार्मों या अन्य पार्टियो से कंपनी ने न कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण लिया और न ही दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ–4 का खंड–(iii) लागू नहीं है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार वस्तुसूची एवं अचल परिसंपत्तियों की खरीद के मामले मे आतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी के आकार और उसके व्यापार के प्रकृति के अनुरूप काफी है। लेखापरीक्षा के दौरान हमें न तो इस बात का कोई पता चला और न ही ऐसी कोई सूचना मिली कि अंतर्निहित आतरिक नियंत्रण प्रणालियों में प्रमुख कमजोरियों को ठीक करने में कंपनी लगातार असफल रही हो।

5. हमारे द्वारा प्रयोग में लाई गयी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर हमारे अधिकतम ज्ञान और विश्वास तथा दी गयी सूचना और स्प टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–301 मे संदर्भित कोई लेन या व्यवस्थाए ऐसी नहीं थी जिन्हे इस धारा के तहत अपेक्षित रजिस्टर मे दर्ज करना जरूरी हो। वर्ष के दौरान ₹ 5,00,000 से अधिक के लेन–देन की औचित्यता का प्रश्न नही उठता।

6. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–58–ए, 58–एए तथा अन्य संगत प्रावधानों और उनके अतर्गत बनाए गए नियमो के अनुपालन का प्रश्न नही उठता।

7. कंपनी के पास एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है, जिसमें कॉरपोरेशन की विभिन्न इकाइयों की समय–समय पर लेखापरीक्षा करने के लिए बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों को नियुक्त किया जाता है। हमारी राय में आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र और व्यापकता इसके व्यवसाय के काम और प्रकृति के अनुरूप होती है।

8. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा– 209 (1) (डी) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव निर्धारित किया है। कंपनी लागत रिकार्डों का अनुरक्षण कर रही है। लेकिन वर्ष 2009–10 के लिए लागत लेखा परीक्षा नहीं की गयी है।

9. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित सांविधानिक देय राशियां उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्यनिधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य सांविधानिक देय, जो कंपनी पर लागू है, शामिल है। देय तिथि से छः महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित सांविधानिक देय राशि 31 मार्च, 2010 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर निम्नलिखित विवादित आयकर / व्यापार कर / प्रवेश कर नहीं किए गए हैं।

निर्धारण वर्ष	धनराशि (₹ लाख में)	देयों की प्रकृति	वर्तमान स्थिति
1986–87	45.30	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा लगाई गई ब्याज की राशि के विरूद्ध मामले को उपायुक्त (अपील), देहरादून द्वारा वापस प्रति प्रेषित कर दिया गया है तथा मल्याकन प्राधिकारी ने उसी राशि का पुनः निर्धारण किया है। टीएचडीसी ने ए. ओ. के आदेश के विरूद्ध जे.सी. (अपील) के समक्ष अपील की है तथा जे. सी (अपील) ने स्थगनादेश दे दिया है।
1989–90	0.36	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1993–94	0.33	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई ब्याज धनराशि के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध व्यापार / वाणिज्यिक कर विभाग ने उच्च न्यायालय, नैनीताल मे एक अपील दायर की है।
1993–94	0.39	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध मे कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1994–95	0.88	व्यापार कर	मूल्यांकन प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई ब्याज धनराशि के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध व्यापार / वाणिज्यिक कर विभाग ने उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1994–95	1.10	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
1997–98	0.60	व्यापार कर	वाणिज्यिक कर विभाग ने इस्तेमाल के अधिकार के संबंध में कर में राहत के लिए ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में एक अपील दायर की है।
2000–01 113 महीनों के लिए ब्याज	136.35 308.15	प्रवेश कर	प्रवेश कर का मामला अपर आयुक्त (अपील) देहरादून के पास लंबित है।

10. (क) कंपनी के पास वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई संचयी हानियां नहीं थी तथा वित्त वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के अंतर्गत और ठीक इसके पहले वाले वर्ष में भी कोई नकद हानियां नही हुई।

(ख) कंपनी की चल रही परियोजनाओं के मामले में भी, जो निर्माणाधीन है, संचयी हानियों का खंड लागू नहीं होता।

11. कंपनी ने हमारे द्वारा अपनायी गयी लेखापरीक्षा पद्धति के आधार पर तथा अभिलेखों के अनुसार किसी वित्तीय संस्था या बैंकों की देय राशियों के लौटाने में कोई चूक नहीं की है।

12. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने प्रतिभूति के आधार पर शेयरों, डिबेन्चरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रखकर कोई ऋण तथा अग्रिम स्वीकृति नहीं किए हैं।

13. कंपनी चिट फंड या निधि / म्यूचुअल बेनीफिट फंड / सोसायटी नहीं है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 का खंड–xiii कंपनी पर लागू नहीं होता।

14. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार यह कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेन्चरों तथा अन्य निवेश का काम नहीं कर रही है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ 4 खंड–xiv कंपनी पर लागू नहीं होता।

15. हमें दी गयी सूचना के अनुसार कंपनी ने दूसरे लोगों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सावधि ऋण जिस काम के लिए थे उसी के लिए उनका इस्तेमाल किया और इन ऋणों को वर्ष के दौरान ही ले लिया गया था।

17. हमारी राय में तथा समग्ररूप में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्पावधि आधार पर इकट्ठा की गयी निधियों का इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के लिए नहीं किया है।

18. वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे जा रहे रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को इस कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानतः आवंटन नहीं किया है।

19. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई डिबेन्चर जारी नहीं किया इसलिए उनके लिए प्रतिभूति या प्रभार सृजन करने का प्रश्न नहीं उठता।

20. वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई प्रतिभूति या सार्वजनिक निर्गम जारी नहीं किया। अतः सार्वजनिक निर्गम के द्वारा इकट्ठा की गयी राशि के अंतिम प्रयोग के प्रकटन का प्रश्न नहीं उठता।

21. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी को जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला और न ही प्रबंधन द्वारा इस तरह के मामले की कोई सूचना दी गयी।

कृते **एचडीएसजी एण्ड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
रजि. नं. 00287IN

(हरबीर सिंह गुलाटी)
भागीदार, एफसीए
सदस्यता संख्या – 84072

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 13/08/2010

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

गोपनीय

संख्या / एमएबी–II / डीएल / 3–20 / 2009–10 / 233

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा,
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–II
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-II
NEW DELHI

दिनांक / Dated: 27 / 8 / 2010

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड,
भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल,
उत्तरांचल–249001

विषय: कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड** के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

मैं कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड** के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शून्य टिप्पणियां अग्रेषित करती हूं। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

भवदीया,

(नयना अ. कुमार)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II
नई दिल्ली

संलग्न : उपरोक्तानुसार

चौथा और पांचवा तल, एनेक्सी बिल्डिंग, सीएजी आफिस, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002
टेलीफोन 011–23239450 फैक्स 011–23239433 ई–मेल : mab2@nad.vsnl.net, mabnewdelhi2@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के खातों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा के अनुसार तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। उनके पेशेवर निकाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन मानदंडो के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर राय जाहिर करने की जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक की है। सूचना दी गयी है कि ऐसा उनके द्वारा 13 अगस्त, 2010 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में किया जा चुका है।

मैंने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अधीन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वित्तीय विवरणो की भारत के नियंत्रक एव महालेखा परीक्षक की ओर से अनुपूरक लेखा परीक्षा की है यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यों के कागजात (यदि कार्यों के कागजात की समीक्षा न की गयी हो) के बिना तथा सांविधिक लेखा परीक्षक की प्रारम्भिक जांच की सीमा तक और कंपनी के कार्मिकों तथा कुछ लेखा अभिलेखो के चुनिंदा परीक्षण के आधार पर की गयी। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बात आयी है जिस पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत निम्न महत्वपूर्ण मामलों पर मैं टिप्पणी कर रही हू क्योंकि मेरी राय में लेखा परीक्षा संबंधित वित्तीय विवरणों को बेहतर ढग से समझने के लिए ऐसा करना जरूरी है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(नयना अ. कुमार)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II
नई दिल्ली

नई दिल्ली
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 27.8.2010

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED